

24

28

MS (Exam. of Dredge Driver & Dredge Engineer)
Rules, 1982

वी.ए.सी. सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393]
No. 393]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1982/पौष 9, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1982/PAUSA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1982

वाणिज्य पोत परिवहन

सांका०नि० 774(अ)—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958(1958 का 44) की धारा 78 की उपधारा (3) और धारा 83 के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग—I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)—इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (निकर्षक चालक और निकर्षक इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं (1)—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुमोदित" से मुख्य परीक्षक द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है ;

(घ) "निकर्षक" से जलय निकासन संक्रियाओं के लिये सज्जित स्वचालित प्लवमान जलयान अभिप्रेत है ;

(ङ) "परीक्षा" से "निकर्षक चालकों" और "निकर्षक इंजीनियरों" के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिये परीक्षा अभिप्रेत है ;

(च) "परीक्षक" और "मुख्य परीक्षक" से परिशिष्टि "क" में विनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "मोटर निकर्षक" से ऐसा निकर्षक अभिप्रेत है जिसको चालन शक्ति अंतरवहन इंजनों द्वारा दी जाती है ;

(ज) "वाष्प निकर्षक" से ऐसा निकर्षक अभिप्रेत है जिसको चालन शक्ति प्रथागामी वाष्प इंजनों, या बायलरों के साथ संयोजन में वाष्प टरबाइनों द्वारा दी जाती है ;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. परीक्षाओं की श्रेणियां (1)—परीक्षाएं इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित चार श्रेणियों में सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए दी जायेंगी, अर्थात् :—

(क) निकर्षक चालक—श्रेणी II ;

(ख) निकर्षक चालक—श्रेणी I ;

(ग) निकर्षक इंजीनियर—श्रेणी II ; और

(घ) निकर्षक इंजीनियर—श्रेणी I ।

(2) निकर्षक चालकों और निकर्षक इंजीनियरों की प्रत्येक श्रेणी के लिये सक्षमता प्रमाणपत्र निम्नलिखित रूप में दिये जायेंगे, अर्थात्:—

- (i) मोटर प्रमाणपत्र, जिससे धारक किसी मोटर निकर्षक के फलक पर अपनी श्रेणी में सेवा करने का हकदार हो जाता है ;
- (ii) वाष्प प्रमाणपत्र, जिससे धारक किसी वाष्प निकर्षक के फलक पर अपनी श्रेणी में सेवा करने का हकदार हो जाता है ;
- (iii) संयुक्त मोटर और वाष्प प्रमाणपत्र जिससे धारक किसी मोटर निकर्षक या वाष्प निकर्षक से फलक पर अपनी श्रेणी में सेवा करने का हकदार हो जाता है।

4. प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन—मोटर या वाष्प के लिये निकर्षक चालक श्रेणी II, निकर्षक चालक श्रेणी I, निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II या निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस प्रकार के निकर्षक में जिसके लिये उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है इन नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कार्य करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा और ऐसी पृष्ठांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले किसी व्यक्ति को संबंधित श्रेणी के लिये संयुक्त रूप से मोटर और वाष्प प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा।

भाग II

सक्षमता प्रमाणपत्र की विभिन्न श्रेणी के लिए अर्हताएं

5. निकर्षक चालक श्रेणी II: (1) निकर्षक चालक श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

- (क) परीक्षा के लिये नियत की गई तारीख को 20 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा, और
- (ख) निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता उसके पास होगी, अर्थात्:—

- (i) निकर्षक चालक के प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त कार्य में या निकर्षक चालन मशीनरी के विनिर्माण या अनुरक्षण या दोनों में प्रशिक्षु या फिटर के रूप में अठारह मास से अन्यून अवधि की संतोषप्रद सेवा जिसके पश्चात् 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अन्यून सेवा जित में से 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से अन्यून अवधि तक जिसके दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था सेवा की गई है ; और
- (ii) 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिये, संतोषप्रद सेवा जिनमें से 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था ; अन्यून सेवा की गई है ; और
- (iii) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी का इंजन चालक का सक्षमता प्रमाणपत्र या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन बनाये गये विभिन्न बन्दरगाह

की नियमों (हार्बर क्राफ्ट रूल्स) के अधीन दिया गया समतुल्य प्रमाणपत्र जहां परीक्षा वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग के इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक द्वारा संचालित की जाती है जिसके पश्चात् 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से जिसके दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था अन्यून अवधि तक संतोषप्रद सेवा की हो।

(2) मोटर या पंप निकर्षक चालक श्रेणी 1 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, 375 किलोवाट से अन्यून नोदन शक्ति वाले निकर्षक के, जो ऐसा निकर्षक है जिसके संबंध में उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है इंजन कक्ष या पंप कक्ष में निरन्तर छह मास तक निगरानी सेवा जिस अवधि के दौरान वह निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

6. निकर्षक चालक श्रेणी-I:—निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

- (क) परीक्षा के लिये नियत की गई तारीख को बीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा; और
- (ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता रखेगा, अर्थात्—

- (i) निकर्षक चालक श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो साल से अन्यून सेवा जिसमें से 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से अन्यून अवधि तक जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा की गई है; या
- (ii) दसवें स्तर पर माध्यमिक विद्यालय निवर्तन प्रमाणपत्र के समतुल्य अर्हता जिसके पश्चात् निकर्षक चालक के लिये उपयुक्त कार्य में अथवा निकर्षक मशीनरी के विनिर्माण में प्रशिक्षु या फिटर के रूप में दो वर्ष से अन्यून अवधि की संतोषप्रद सेवा जो 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से 375 किलोवाट या उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून अवधि की सेवा की गई है; या
- (iii) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी इंजन चालक का सक्षमता प्रमाणपत्र या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 1) के अधीन बनाये गये विभिन्न बन्दरगाहों की नियमों (हार्बर क्राफ्ट रूल्स) के अधीन दिया गया समतुल्य प्रमाणपत्र जहां परीक्षा वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग के इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक द्वारा संचालित की जाती है जिसके पश्चात् 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से, जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि तक निकर्षण संक्रिया में लगा था अन्यून अवधि तक सेवा की हो,

धारण नोदन संबंध में नियत दिन से पश्चात्

9. के रूप

(क

(ख

C. 3(i)]

दिया गया
य विभाग
जाती है
क नोदन
श्रीजर या
क वर्ष से
के लिये
संतोषप्रद

सक्षमता
से अन्यून
संबंध में
उत्तर छह
120 दिन
के पश्चात्

के रूप में
व्यर्थी—

वर्ष से कम

प्रमाणपत्र
से अधिक
जलयान को
में से 375
ले निकर्षक
से अन्यून
था, सेवा

प्रमाणपत्र
चालक के
मशीनरी के
दो वर्ष से
किलोवाट
प्रकार के
तीन वर्ष से
या उससे
रानी रखने
कक्ष या पंप
240 दिन
में लगा था

17 का 1)
चालक का
नियम, 1908
बन्दरगाह
दिया गया
क समुद्रीय
संचालित
और उससे
रानी रखने
निकर्षक 240
में लगा था

(iv) समुद्रीगामी पोत के इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने की छह मास से अन्यून की, जिसके दौरान निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा; या

(v) भारत के किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा जिसके पश्चात् 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से एक वर्ष से, जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून की सेवा 375 किलोवाट या उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में की गई हो।

(2) मोटर या वाष्प निकर्षक श्रेणी I का सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति 375 किलोवाट से अन्यून नोदन शक्ति वाले निकर्षक के जो ऐसा निकर्षक है जिसके संबंध में उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी सेवा, जिस अवधि के दौरान वह निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

9. निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II—(1) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

(क) परीक्षा के लिए नियत तारीख को बीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता उसके पास होगी, अर्थात् :

(i) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1965 के अधीन आयोजित वाणिज्य नौसेना में द्वितीय श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा का भाग 'क' उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में या भारत के किसी संस्थान से विद्युत् इंजीनियरी में उपाधि जिसके पश्चात् 750 किलोवाट या उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक सेवा की हो जिसमें से 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक सेवा की हो जिसमें से 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में कम से कम एक वर्ष, जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा की गई हो; या

(ii) भारत के किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा जिसके पश्चात् निकर्षक इंजीनियर के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कार्य से प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में एक वर्ष से अन्यून सेवा और उसके पश्चात् 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से एक वर्ष से अन्यून अवधि की जिसके दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा की गई हो, या

(iii) माध्यमिक विद्यालय निवर्तन प्रमाणपत्र के दसवें स्तर के समतुल्य शैक्षिक अर्हता और अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया अन्तर्देशीय इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन बनाए गए विभिन्न बन्दरगाह नौका नियमों (हार्बर क्राफ्ट रूल्स) के अधीन दिया गया समतुल्य प्रमाणपत्र जहां परीक्षा वाणिज्य समुद्रीय विभाग के इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक द्वारा ली जाती है, जिसके पश्चात् 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजनकक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से जिसके दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून सेवा, या

(iv) माध्यमिक विद्यालय निवर्तन प्रमाणपत्र के दसवें स्तर के समतुल्य शैक्षिक अर्हता और निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से जिस अवधि के दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून सेवा की गई हो।

(2) मोटर या वाष्प निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, 750 किलोवाट से अन्यून नोदन शक्ति वाले निकर्षक के, जो ऐसा निकर्षक है जिसके संबंध में उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी करने की सेवा जिस अवधि के दौरान वह निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

8. निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I—(1) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

(क) परीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को बीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा, और

(ख) उसके पास निम्नलिखित अर्हता होगी, अर्थात् :—

(i) निकर्षक चालक श्रेणी II का सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 750 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से 750 किलोवाट के नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में निगरानी रखने वाले (ड्यूटी के समय की पाली) भारसाधक इंजीनियर के रूप में एक वर्ष से, जिस अवधि के दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून सेवा की गई हो, और

(ii) अग्निशमन में प्रवीणता प्रमाणपत्र और समुद्र में प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र :

परन्तु यह कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं है, परीक्षा में बैठने के लिए तब अनुज्ञात किया जा सकेगा जब परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास उक्त प्रमाणपत्र ऐसे कारणों से नहीं है जो उसके नियंत्रण के परे हैं।

(2) मोटर या वाष्प निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, निगरानी रखने वाले (इयूटी के समय की पाली) भारसाधक इंजीनियर के रूप में 750 किलोवाट से अन्यून नोदन क्षमता वाले निकर्षक के जो ऐसा निकर्षक है जिस के संबंध में उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है, इंजन कक्ष या पंप कक्ष में सेवा जिस अवधि दौरान निकर्षक, 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

9. अर्हक सेवा :—नियम 5 से 8 के जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, प्रयोजनों के लिए नियमों में विहित अर्हक निकर्षण सेवा से वहाँ जहाँ अभ्यर्थी मोटर प्रमाणपत्र की संबंधित श्रेणी के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए बैठना चाहता है, नोदन मशीनरी वाले निकर्षकों पर की गई सेवा और वहाँ जहाँ अभ्यर्थी वाष्प प्रमाणपत्र की संबंधित श्रेणी की सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए बैठना चाहता है वाष्प नोदन मशीनरी वाले निकर्षक पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

10. वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1965 के अधीन जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्तियों को निकर्षक इंजीनियर प्रमाणपत्र देना :—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य पोत परिवहन) (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1963 के अधीन दिया गया मोटर या वाष्प द्वितीय श्रेणी इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र है, इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि उसने विशेष प्रकार की मशीनरी और 750 किलोवाट और अधिक नोदन क्षमता वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में छह मास से अन्यून अवधि के लिए जिस अवधि के दौरान निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए संक्रिया में लगा था, संतोषप्रद सेवा की है तत्संबंधी प्रकार के निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में अपने प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित करवाने का पात्र होगा। ऐसे पृष्ठांकन के लिए एक सौ पचास रुपए की फीस संदेय होगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1963 के अधीन दिया गया मोटर या वाष्प द्वितीय श्रेणी इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र है इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि उसने विशेष प्रकार की मशीनरी और 750 किलोवाट नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में निगरानी रखने वाले (इयूटी के समय की पाली) भारसाधक इंजीनियर के रूप में छह मास से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था सन्तोष-प्रद सेवा की है निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में अपने सक्षमता प्रमाणपत्र पर तत्संबंधी प्रकार का पृष्ठांकन करवाने का पात्र होगा। और ऐसे किसी के पृष्ठांकन लिए 200 रुपए की फीस संदेय होगी।

11. भारतीय नौसेना के पोतों पर की गई सेवा :—किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय नौसेना के पोतों पर की गई सेवा का जो नियम 5 से 8 में जिनमें ये दोनों सम्मिलित हैं, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है, मुख्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जा सकेगा और इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र की संबंधित परीक्षाओं में बैठने के लिए अर्हक सेवा मध्ये स्वीकृत की जा सकेगी। परन्तु यह कि भारतीय नौसेना के पोतों के फलक पर की गई सेवा निकर्षक के फलक पर की जाने के लिए अपेक्षित सेवा के बदले स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

भाग III

साधारण उपबन्ध

12. शंसापत्र—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी—

(i) कर्मशाला सेवा की बाबत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो नियोजक/नियोजकों द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होंगे और ऐसे शंसापत्र में अभ्यर्थी के आचरण और योग्यता का प्रमाण होगा और कार्य की विस्तृत विशिष्टियां तथा कार्य की अवधि का भी

उल्लेख होगा जिसके दौरान अभ्यर्थी कर्मशाला की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत था।

(ii) वाणिज्य पोतों, नौसेना पोतों या निकर्षकों पर की गई सेवा की बाबत शंसापत्र, संबंधित पोत के मुख्य इंजीनियर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उन शंसापत्रों में अभ्यर्थी की धीरता, अनुभव, योग्यता और आचरण का प्रमाणपत्र होगा तथा उसकी निगरानी रखने वाली इयूटी के रैंक का विस्तृत ब्यौरा होगा और वह अवधि इंजीनियर या स्वामियों के किसी अवधि प्रतिनिधि द्वारा जो समतुल्य रैंक का हो प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा किन्तु कोई भी शंसापत्र तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह मुख्य इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित और यथापूर्वोक्त स्वामियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शंसापत्र परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में या उसके यथासंभव निकट प्ररूप में होगा।

13. सेवा का सत्यापन—(1) किसी पोत के फलक पर या निकर्षक पर की गई सेवा जो दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं है इन नियमों के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं की जा सकेगी।

(2) जहाँ कोई सेवा ऐसे पोत या जलयान पर की जाती है जो सामान्य रूप से कर्मचाल के साथ करार अनुच्छेद नहीं करता है वहाँ ऐसी सेवा अन्य समान रूप से अधिप्रामाणित दस्तावेज द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

(3) जब कभी उपनियम (1) या (2) में निर्दिष्ट किसी सेवा को स्वीकार किए जाने की बाबत कोई शंका हो वहाँ ऐसा मामला मुख्य इंजीनियर को निर्देशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगा।

14. दृष्टि—प्रत्येक अभ्यर्थी वाणिज्य समुद्रीय विभाग या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वह बर्णांध नहीं है और चश्मे के बिना या उसके साथ उसकी दृक्शक्ति सामान्य है।

15. शारीरिक और मानसिक बृटियां : यदि परीक्षक यह पाता है कि अभ्यर्थी बधिर है या किसी अन्य शारीरिक या मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त है और उसका यह समाधान हो जाता है कि दुर्बलता इस सीमा तक है कि इसके कारण उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा होगी तो वह पूर्ण विशिष्टियों सहित उस मामले की रिपोर्ट मुख्य परीक्षक को ऐसी कार्रवाई के लिए करेगा जो वह आवश्यक समझे।

16. सेवा की संगणना—शंसापत्रों में दर्शित किसी अभ्यर्थी की सेवा की संगणना कैलेंडर मासों में की जाएगी अर्थात् किसी विशेष मास में दिए और आगामी मास के पूर्ववर्ती दिन जिसमें वे दोनों दिन सम्मिलित हैं के बीच के समय के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार अभिनिश्चित अवधि के प्रारंभ से पूर्ण मासों की संख्या की संगणना की जानी चाहिए और उसके पश्चात् शेष दिनों की संगणना की जानी चाहिए। वह दिन जिसको सेवा प्रारंभ होती है और वह दिन जिसको सेवा समाप्त होती है दोनों ही सम्मिलित किए जाने चाहिए और सभी शेष दिन एक साथ जोड़कर 30 दिन के एक मास के रूप में संगणित किए जाने चाहिए।

भाग IV

17. परीक्षा आवेदन पत्र—(1) कोई अभ्यर्थी जो इन नियमों के भाग II के उपबन्धों के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने का पात्र है, परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाले अभ्यर्थी की धीरता, अनुभव, योग्यता और आचरण का प्रमाणपत्र होगा, कर्मचाल के किसी अवधि प्रतिनिधि द्वारा जो समतुल्य रैंक का हो प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा किन्तु कोई भी शंसापत्र तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह मुख्य इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित और यथापूर्वोक्त स्वामियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

(VI)

(VII)

(2)

सक्षमता प्रमाणपत्र

(3)

रिक्त है प्रमाणपत्र

19. प

श्रेणियों के सारण

श्रेण (क)

निकर्षक (मो)

निकर्षक (पू)

निकर्षक (मो)

निकर्षक (पू)

निकर्षक (मो)

निकर्षक (पू)

निकर्षक (मो)

निकर्षक (पू)

की विधि (2) निकर्षक चालक श्रेणी II या निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदनपत्र, वाणिज्य विभाग कलकत्ता, विशाखापटनम्, मद्रास, तूतीकोरिन, कोचिन, त्रिव, मुम्बई या जामनगर के पते पर भेजा जा सकेगा। निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II और निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र, वाणिज्य समुद्रीय विभाग, कलकत्ता या विशाखापटनम् के पते पर भेजा जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्र के साथ नियम 18 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज और नियम में विनिर्दिष्ट फीस के मापमान के अनुसार समुचित फीस होनी चाहिए।

18. आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज : (1) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, जो भी लागू हों, संलग्न किए जाने, अर्थात् :--

- (I) राष्ट्रिकता का प्रमाणपत्र;
- (II) जन्म का प्रमाणपत्र;
- (III) कर्मशाला, वाणिज्य पोत/नौसेना पोत और निकर्षकों में की गई सेवा की बाबत प्रशंसापत्र;
- (IV) सक्षमता का प्रमाणपत्र, यदि धारक के पास कोई हो;
- (V) दृष्टि का प्रमाणपत्र;
- (VI) समुद्र में प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र; और
- (VII) अग्निशमन में प्रवीणता का प्रमाणपत्र।

(2) आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों, आवेदन पत्र में उल्लिखित सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने के लिए उसकी पात्रता सत्यापन करने के पश्चात् अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी।

(3) राष्ट्रिकता का प्रमाणपत्र यह सिद्ध करेगा कि आवेदक भारत का नागरिक है और इस प्रयोजन के लिए जन्म का प्रमाणपत्र या देशीकरण प्रमाणपत्र पर्याप्त समझा जा सकेगा।

19. फीस (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट फीस के लिए परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस दी जाएगी।

सारणी	
श्रेणी (क)	परीक्षा फीस (ख)
निकर्षक चालक श्रेणी II (मोटर या वाष्प)	100 रु०
निकर्षक चालक श्रेणी II (पृष्ठांकन)	50 रु०
निकर्षक चालक श्रेणी I (मोटर या वाष्प)	200 रु०
निकर्षक चालक श्रेणी I (पृष्ठांकन)	100 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II (मोटर या वाष्प)	500 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II (पृष्ठांकन)	150 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I (मोटर या वाष्प)	400 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I (पृष्ठांकन)	200 रु०

(2) यह बात सत्यापित करने का इच्छुक कोई अभ्यर्थी, कि क्या वह किसी विशेष श्रेणी के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है, अपने संसाधन और अन्य दस्तावेज, उस वाणिज्य समुद्रीय विभाग को संबोधा के लिए प्रस्तुत कर सकेगा जिसे नियम 25 में उस श्रेणी के लिए परीक्षा केन्द्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और किसी भी श्रेणी के निकर्षक इंजीनियर के लिए परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक आवेदकों से ऐसी प्रत्येक जानकारी के लिए पचास रुपए की फीस और किसी भी श्रेणी निकर्षक चालक के लिए परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक आवेदकों से पच्चीस रुपए की फीस ली जाएगी।

20. भाषा-- (1) दोनों में से किसी भी श्रेणी के निकर्षक चालक के लिए परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में संचालित की जाएगी।

(2) दोनों में से किसी भी श्रेणी के निकर्षक इंजीनियर के लिए परीक्षा केवल अंग्रेजी में संचालित की जाएगी।

21. परीक्षा की प्रकृति-- (1) निकर्षक चालक श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए परीक्षा परिशिष्ट 6 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिक परीक्षा होगी।

(2) निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए परीक्षा परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिक परीक्षा होगी।

(3) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए परीक्षा, परिशिष्ट 'ब' में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा पत्र और मौखिक परीक्षा होगी।

(4) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए परीक्षा, परिशिष्ट 'छ' में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा पत्र और मौखिक परीक्षा होगी।

22. छूट-- निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने वाले किसी अभ्यर्थी को नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) या उपखंड (2) की अपेक्षाओं को पूरी करता है, साधारण इंजीनियर विज्ञान प्रश्नपत्र को परीक्षा में बैठने से छूट दी जा सकेगी।

22. उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अंक-- (1) उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों से प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में पचास प्रतिशत से अत्यून अंक प्राप्त करना और मौखिक परीक्षा में साठ प्रतिशत से अत्यून अंक प्राप्त करना अपेक्षित है।

(2) जहां किसी अभ्यर्थी की परीक्षा केवल मौखिक परीक्षा है वहां परीक्षाफल, परीक्षक द्वारा परीक्षा के तुरंत पश्चात् घोषित कर दिया जाएगा;

(3) जहां परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों रूप में है वहां परीक्षा फल, परीक्षा समाप्त होने के दो मास के भीतर घोषित कर दी जाएगी।

24. प्रमाणपत्र (1) ऐसे अभ्यर्थी को, जो इन नियमों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है उसे परिशिष्ट 'ब' में विनिर्दिष्ट प्रथम में प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा जो अभ्यर्थी के विकल्प के वाणिज्य समुद्रीय विभाग के जिला के प्रधान अधिकारी को, उसके बदले सक्षमता प्रमाणपत्र, उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तैयार हो जाने पर पारित करने के लिए, संबोधित होगा।

परन्तु यह कि उस अभ्यर्थी की दशा में जो निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, प्राधिकार पत्र तब तक रोके रखा जा सकता है जब तक कि अभ्यर्थी नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (11) की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर देता है।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार पत्र का, जब तक कि वह मुख्य परीक्षक द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, वही प्रभाव होगा मानो वह संबंधित श्रेणी के लिए, जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जिसके लिए सक्षमता प्रमाणपत्र अग्र्यर्थी को जारी किया गया है, इन में से जो भी पूर्वतरे हो, सक्षमता प्रमाणपत्र हो।

(3) विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र, पौत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाएगा।

25 परीक्षा का स्थान और दिन—(1) (क) निकर्षक चालक श्रेणी II और श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा वाणिज्य समुद्रीय विभाग कलकत्ता, विशाखापत्तनम, मद्रास, तूतीकोरिन, कोचीन, मडगांव मुम्बई और जामनगर में होगी। (ख) आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् अग्र्यर्थियों को वैयक्तिक रूप से सूचित किया जा सकेगा।

(2) निकर्षक चालक श्रेणी II और श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा वाणिज्य समुद्रीय विभाग कलकत्ता में मई मास में और वाणिज्य समुद्रीय विभाग, विशाखापत्तनम में नवम्बर मास में उन दिनों को होगी जो मुख्य इंजीनियर द्वारा अधिसूचित की जाए।

भाग V

प्रकीर्ण उपबंध

26. समय पालन—(1) ऐसा प्रत्येक अग्र्यर्थी जिसने इन नियमों के अधीन किसी श्रेणी के सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के लिए आवेदन फाइल किया है परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने से पहले उपस्थित रहेगा।

(2) परीक्षा केन्द्र में विलम्ब से आने वाले अग्र्यर्थी को केवल उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जिसमें परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अग्र्यर्थी परीक्षा केन्द्र में उन कारणों से विलम्ब से पहुंचा है जो उसके नियंत्रण से परे हैं, परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकेगी।

27. लेखन सामग्री—(1) उत्तरपत्र और लेखन सामग्री को अग्र्य मदे, पुस्तक, मेज ड्राइंग बोर्ड, टी वर्ग आदि जिनकी परीक्षा केन्द्र में अपेक्षा होती है, प्रत्येक अग्र्यर्थी को दी जायेगी।

(2) (क) उपयोग न की गई लेखन सामग्री, पुस्तकें, मेज आदि परीक्षक को परीक्षा केन्द्र छोड़ने से पहले लौटा दी जाएगी और ऐसा कोई अग्र्यर्थी जो लेखन सामग्री की किसी मद, पुस्तकों, मेजों आदि को नुकसान पहुंचाता है, नुकसानी की क्षतिपूर्ति का दायी होगा।

(ख) परीक्षक अग्र्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को तब तक रोके रख सकता है जब तक कि अग्र्यर्थी से वैसा प्रतिकर प्राप्त नहीं हो जाता है।

28. उपकरण—अग्र्यर्थी, परीक्षक की पूर्व अनुज्ञा से, प्रश्नपत्रों का उत्तर देने के लिए अपने उपकरण ला सकेगा और उसे स्लाइड नियमों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

29. प्रश्नों के उत्तर देना—(1) कोई भी अग्र्यर्थी परीक्षा केंद्र में उसे दिए गए उत्तर पत्रों पर के सिवाय किसी अन्य पत्र पर प्रश्न हल नहीं करेगा और इस प्रयोजन के लिए ब्लोटिंग पेपर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) उत्तरपत्रों पर किए गए सभी कार्य रेखा चित्रों को छोड़कर, स्याही में किया जाएगा और रेखा चित्र पेंसिल से बनाए जा सकेंगे।

(3) उत्तर उत्तरपत्रों के आर्बिट्ररी पृष्ठों पर ही लिखे जाएंगे जो साफ और सुपाठ्य होंगे और किसी प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करने से पहले, उत्तर पत्र के बायें पार्श्व में ऐसे प्रश्न का क्रम संख्याक लिखा जाएगा।

30. परीक्षा के दौरान नकल करना—किसी अन्य अग्र्यर्थी के उत्तरपत्रों से अन्य पुस्तक, प्रकाशन या पांडुलिपि से नकल करना या अपने

उत्तरपत्र से किसी अन्य अग्र्यर्थी को नकल कराने में सहायता करना जब परीक्षा चल रही है तब किसी अन्य अग्र्यर्थी को कोई जानकारी संचूषित करना अपराध होगा और अपराधी को, बारह मास से अनधिक अवधि के लिए मुख्य परीक्षक के विवेकानुसार, परीक्षा में बैठने से विवजित किया जा सकेगा।

31. परीक्षा भवन छोड़ना—कोई भी अग्र्यर्थी परीक्षक की पूर्व अनुज्ञा के बिना, परीक्षा भवन से नहीं जाएगा और इस प्रकार आने के पूर्व उत्तरपत्र और उपयोग न की गई लेखन सामग्री जिसके अन्तर्गत पुस्तकें और मेज भी हैं, परीक्षक के हवाले कर देगा।

32. कपट, दुर्व्यपदेशन, रिश्वत आदि—(1) कोई भी व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मिथ्या व्यपदेशन करेगा या करवाएगा या ऐसा करने में सहायता करेगा, भारतीय दंड संहिता 1860 (186 का 45) की धारा 182 और 420 के अधीन अभियोजित किए जा योग्य अपराध का दोषी होगा और यदि अपराधी इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में बैठने वाला कोई अग्र्यर्थी है तो वह अपने विरुद्ध नियम 36 के अधीन कार्रवाई किए जाने का भी भागी होगा।

(2) किसी ऐसे लोक सेवक को जो, इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के संचालन या उससे संबद्ध विषयों से किसी प्रकार संबंध रखता है, अवैध परिचोषण देने के प्रयत्न का इन नियमों के अधीन यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अवचार है और इस अवचार का दोष व्यक्ति अपने विरुद्ध दंडिक कार्रवाई और नियम 36 के अनुसार कार्रवाई का भागी होगा।

33. परीक्षा के पश्चात् सेवा का अप्रयाप्त पाया जाना—उस अग्र्यर्थी को दंडा में जिसने इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यह पाया जाता है कि उसको परीक्षा में बैठने के लिए हकदार बनाने के लिए अर्हक सेवा में कोई कमी है तो, ऐसे अग्र्यर्थी को तब तक प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता, जब तक कि—

(क) उसने ऐसी अतिरिक्त सेवा करके जो आवश्यक हो, वह कम दूर न कर दी हो; और

(ख) वह परीक्षा में पुनः नहीं बैठता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है।

परन्तु उपरोक्त खंड (ख) की अपेक्षाएं किसी अग्र्यर्थी के मामले में मुख्य परीक्षक के विवेकानुसार अधिव्यजित की जा सकेगी।

34. परीक्षा में पुनः बैठने वाले अग्र्यर्थियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएं—कोई अग्र्यर्थी जो इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ या संबंधित श्रेणी की परीक्षा में तब तक पुनः नहीं बैठेगा जब तक कि परीक्षा में उसके अंतिम प्रयत्न के पश्चात् सात कलेंडर मास व्यतीत नहीं हो गए हैं।

35. कतिपय दशाओं में परीक्षा में पुनः बैठने वाले अग्र्यर्थियों के लिए अतिरिक्त अनुभव—जहां इन नियमों के अधीन किसी श्रेणी के सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए बैठने वाला कोई अग्र्यर्थी इतना कमजोर या धज्जानी पाया जाता है जिससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि यदि उसे प्रमाणांकित अधिकारी के रूप में स्वतंत्र रूप से निगरानी रखने की अनुज्ञा दी जाती है तो उससे निकर्षक को या उस निकर्षक के फलक पर के व्यक्तियों को खतरा हो सकता है वहां ऐसे अग्र्यर्थी से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुज्ञा देने से पूर्व निकर्षक के फलक पर मुख्य परीक्षक के स्व-विवेकानुसार ऐसी अवधि के लिए जो बारह मास से अनधिक होगी अतिरिक्त सेवा करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

36. अवचार के लिए दंड—(1) जहां कोई अग्र्यर्थी, परीक्षा के संबंध में किसी अवचार का, जिसके अन्तर्गत नकल करना, किसी परीक्षक से धृष्टता करना, उच्छेदल या अनुचित व्यवहार करना भी है, दोषी पाया

भाग II-

जाएगा; या विनिर्दिष्ट विषयों:—

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

(2)

(1)

(1)

नियम 24

या विरुद्ध

परीक्षक

(2)

वाणिज्य स

को परिशि

षोषण हो

सक्षमता प्र

था या अ

समुद्रीय वि

उपस्थिति

के लिए

(3)

के आवेदन

और निक

दी जाएगी

1 भारत

2 परीक्षा

3 प्रधान

4 भारत

5 पौत

और वे

ता करवा
नकारी संघ
धिक अथवा विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक रीतियों से दंडित किया जा सकेगा,
विवर्जित किया जा सकेगा।

- (क) जहां परीक्षा प्रारम्भ नहीं हुई है वहां अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने से विवर्जित किया जा सकेगा ;
- (ख) जहां परीक्षा प्रारम्भ हो गई है किंतु पूरी नहीं हुई है वहां अभ्यर्थी को परीक्षा में और आगे भाग लेने से विवर्जित कर दिया जाएगा ;
- (ग) जहां परीक्षा पूरी हो गई है किंतु परिणाम घोषित नहीं हुए हैं वहां उसका परिणाम रोक जा सकेगा ;
- (घ) जहां परीक्षा पूरी हो गई है और यह घोषणा कर दी गई है कि अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण हो गया है वहां प्रमाणपत्र का जारी किया जाना उतने समय के लिए रोक जा सकेगा जो मुख्य परीक्षक द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध उपनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र का कार्यवाई की जाती है, इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र की किसी परीक्षा में बैठने से उतने और समय के लिए विवर्जित किया जा सकेगा जो मुख्य परीक्षक विनिश्चित करे।

37. सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित शूट प्रतिलिपि जारी करना—
(1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र या उपनियम 24 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार पत्र नष्ट हो जाता या विरूपित हो जाता है या अन्यथा खो जाता है, वहां धारक मुख्य परीक्षक से उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रमाणित के लिए आवेदन, प्रधान अधिकारी या किसी भी वाणिज्य समुद्रीय विभाग के भारसाधक सर्वेक्षक के माध्यम से मुख्य परीक्षक को परिशिष्ट 'क' में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ एक घोषणा होगी जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा जिसमें मूल सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र नष्ट हो गया था, विरूपित हो गया था या अन्यथा खो गया था और ऐसी घोषणा प्रधान अधिकारी, वाणिज्य समुद्रीय विभाग या उस वाणिज्य समुद्रीय विभाग के भारसाधक सर्वेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी जिसको आवेदन, मुख्य परीक्षक को अग्रप्रेषण के लिए दिया जाता है।

(3) सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के आवेदन के साथ, निकर्षक चालक प्रमाणपत्र की दशा में पचास रुपये की और निकर्षक इंजीनियर प्रमाण पत्र की दशा में 100 रुपये की फीस दी जाएगी।

परिशिष्ट 'क'

[नियम 2(1) ख देखें]

परीक्षक

- 1 भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक जो मुख्य परीक्षक होगा।
- 2 परीक्षा का भारसाधक भारत सरकार का उपमुख्य सर्वेक्षक।
- 3 प्रधान अधिकारी के रूप में प्रोन्नत उपमुख्य सर्वेक्षक।
- 4 भारत सरकार के उपमुख्य सर्वेक्षक।
- 5 पोत परिवहन महाविदेशालय से संबद्ध इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक और वे जो वाणिज्य समुद्रीय विभागों में हैं।

परिशिष्ट 'ख'

[नियम 12(2) देखें]

कर्मशाला में की गई सेवा के लिए प्रशंसापत्र का नमूना
इंजीनियरी संकर्मों का नाम और पता किए गए कार्य का प्रकार मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संकर्म में मेरे पर्यवेक्षण में श्री---के पुत्र श्री---द्वारा कर्मशाला में संतोषप्रद सेवा का पूर्ण और सत्य विवरण है।

कार्य का प्रकार	पदनाम	अवधि	कुल	टिप्पण
		से	तक	वर्ष मास दिन
1	फिटिंग			
2	धातु खराब			
3	बायलर बनाना/ मरम्मत करता			
4	पैटन बनाना			
5	आकार बनाना, भिलिंग करना आदि			
6	श्रीज़र कक्ष			
7	लौहार कार्य			
8	वेल्ड करना			
9	वैद्युत			
10				
11				
12				

योग

योग्यता के बारे में रिपोर्ट
आचरण के बारे में रिपोर्ट
साधारण टिप्पणियां

प्रशिक्षण के भारसाधक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
मुहर
..... द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित
नाम
पदनाम : महा प्रबंधक
मुहर

2. पोत सेवा के लिए प्रशंसा पत्र का नमूना प्ररूप नियोजक क, नाम और पता मैं प्रमाणित करता हूँ कि एम० वी०/एस० एस०/एम टी०/एस० टी० एम० डी०/एस० डी० के जिसकी अधिकृत सं..... है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम/तटवर्ती जलयान अधिनियम/संतदेशीय जलयान अधिनियम/बन्दरगाह नौका नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसमें अन्तर्वहन इंजन/वाष्प इंजन हैं, और जो किलोवाट की कुल शक्ति की शिगल दिवन सू द्वारा नोंदित किया जाता है, फलक पर मेरे पर्यवेक्षण के अधीन

श्री	के पुत्र श्री	द्वारा	योग्यता के बारे में रिपोर्ट
की गई सेवा का निम्नलिखित पूर्ण और सत्य विवरण है।			आचरण के बारे में रिपोर्ट
अवधि	कुल		धीरता के बारे में रिपोर्ट
...से...तक	वाई० एम० एम० डी०	नौदनकेदिन	साधारण टिप्पण
		रैंक	
		टिप्पण	
		वर्ष मास दिन	

योग्यता के बारे में रिपोर्ट
 आचरण के बारे में रिपोर्ट
 धीरता के बारे में रिपोर्ट
 साधारण टिप्पण :

मुख्य इंजीनियर के हस्ताक्षर
 नाम
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर
 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
 नाम
 पदनाम : इंजीनियर अधीक्षक
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर

3. निकर्षक सेवा के लिए प्रशंसापत्र का नमूना

नियोजक का नाम और पता

में प्रमाणित करता हूँ कि एम० डी०/ए० डी० के,
 प्रकार जिसकी अधिकृत सं०
 है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम/तटवर्ती जलयान
 अधिनियम/अंतर्देशीय जलयान अधिनियम/बन्दरगाह नौका नियमों के अधीन
 रजिस्ट्रीकृत है और जिसमें नौदन शक्ति के लिए कुल किलोवाट का
 अंतर्दहन इंजन/वाष्प इंजन है और निकर्षक पंप के लिए कुल
 किलोवाट है और सिंगल/ट्रिवल स्क्रू द्वारा नौदित किया जाता है, फलक पर
 पर्यवेक्षण के अधीन श्री द्वारा की गई सेवा का पूर्ण और सत्य
 विवरण है।

अवधि	कुल	निकर्षक	रैंक	कर्तव्य	टिप्पण
...से...तक		दिन		की	
				प्रकृति*	
	वर्ष मास दिन	वर्ष मास दिन			

*कर्तव्य की प्रकृति—

- (क) इंजन या पंप कक्ष में ग्रीजर या समतुल्य के रूप में निगरानी रखना
 (ख) इंजन या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखना।
 (ग) इंजन या पंप कक्ष में निगरानी का भारसाधक इंजीनियर।

मुख्य इंजीनियर के हस्ताक्षर
 नाम
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर
 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य इंजीनियर के हस्ताक्षर
 नाम
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर

..... द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

नाम
 पदनाम : इंजीनियर अधीक्षक
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर

परिशिष्ट 'ग'

[नियम 17 (1) देखें]

निकर्षक चालक/इंजीनियर की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र
 पत्तन चक्रानुक्रम सं०

(क) आवेदक की विशिष्टियां

पूरा नाम (मोटे अक्षरों में) स्थायी डाक पता

अंतिम	प्रथम	मध्य			
जन्म की तारीख	(जन्म प्रमाण-पत्र पेश किया जाए)	जन्म का स्थान	राष्ट्रिकता		
तारीख	मास	वर्ष	स्थान	राज्य	देश

(ख) पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र

सं० मोटर वाष्प चालक या स्थान और तारीख यदि कभी निलंबित
 पृष्ठांकन इंजीनियर; बित या रद्द किया गया हो तो बताएं
 प्राधिकारवान्
 तारीख न्यायालय
 कारण

(ग) अब अपेक्षित परीक्षा

मोटर, वाष्प, चार्जिंग या श्रेणी पत्तन मास वाणिज्य समुद्रीय विभाग कार्यालय जहाँ प्रमाणपत्र भेजा जाना है।

(ज) निकर्षक सेवा की विशिष्टियां

शंसापत्रों निकर्षक अधिकृत मोटर नौदन रैंक कर्तव्यों तारीख की सं० का नाम सं० या शक्ति की वाष्प (किलोवाट) प्रकृति . . से . तक

(घ) अब अपेक्षित परीक्षा के लिए पूर्ववर्ती परिणाम

पत्तन	दिन	मास	वर्ष	परिणाम
-------	-----	-----	------	--------

अवधि निकर्षण अवधि

वर्ष मास दिन वर्ष मास दिन

(ङ) शिक्षा

विद्यालय का नाम	पढ़े गए पाठ्यक्रम	उपस्थिति की अवधि	अभिप्राप्त प्रमाणपत्र
-----------------	-------------------	------------------	-----------------------

योग

(च) कर्मशाला सेवा का विवरण

शंसापत्रों की सं०	कर्मशाला का नाम	कर्मशाला में किए जाने वाले कार्यों का प्रकार	आवेदक द्वारा किए गए कार्य का प्रकार	तारीख	अवधि वर्ष मास दिन
-------------------	-----------------	--	-------------------------------------	-------	-------------------

योग

(छ) पोत पर सेवा की विशिष्टियां

शंसापत्रों की सं०	पोत का नाम	अधिकृत सं०	मोटर या वाष्प (किलोवाट)	नौदन या शक्ति	रैंक	तारीख	अवधि वर्ष मास दिन
-------------------	------------	------------	-------------------------	---------------	------	-------	-------------------

योग

कर्तव्य की प्रकृति :—

- (क) इंजन या पंप कक्ष में ब्रॉजर या समतुल्य के रूप में निगरानी रखना।
- (ख) इंजन या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखना।
- (ग) इंजन या पंप कक्ष में निगरानी का भारमाधक इंजीनियर।
- (घ) अभ्यर्थी की घोषणा।

(परीक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की जाएगी)

ध्यान दें:—कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्व्यपदेशन करेगा/करवाएगा या करने में सहायता करेगा ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन छल करने के अपराध के लिए साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अधीन लोक सेवक को जान बूझकर गलत जानकारी देने के लिए दंडित किए जाने का भागी होगा।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के प्रभाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ और ज में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है ; और यह कि भाग ज और ङ में वर्णित कागज पत्र जो इस प्ररूप के साथ भेजे गए हैं सही और असली दस्तावेज हैं। ये उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए और हस्ताक्षरित हैं जिनके नाम उनमें हैं। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि प्रभाग च, छ और ज में के कथन में बिना किसी अपवाद के मेरी संपूर्ण सेवा का सत्य और सही लेखा है।

और मैं यह घोषणा, इसके सत्य होने के विषय में निष्ठापूर्वक विश्वास करते हुए करता हूँ। इंजीनियरों के परीक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

आवेदक का हस्ताक्षर

वर्तमान पता

स्थान

तारीख

परिशिष्ट "च"

[नियम 21 (3) देखें]

निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

समय 3 घंटे

अंक—100

1. साधारण इंजीनियरी विज्ञान

- (क) मूल एकक; घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व; बलों के समांतर चतुर्भुज; बलों के त्रिभुज; सीमेंट इंज और लीवर; समांतर बल; गुरुत्व केंद्र; वाष्प और विलयन; घर्षण कार्य
- (ख) प्लवमान पिंडों की समावस्था; गहराई में द्रव्य दाब परिवर्तन डूबी हुई सतहों पर कुल दाब; दाब केंद्र; पाईपों से होकर द्रव्यों का प्रवाह; आन फायर से होकर प्रवाह; बेग गुणांक; क्षेत्र का आकृष्य और निस्सरण।
- (ग) ताप का मापमान; ताप परिवर्तन के कारण प्रसार; विशिष्ट ऊष्मा; ताप स्थायीकरण; बायल और चार्ज की विधि; इंधनों का दहन; अपेक्षित न्यूनतम वायु; केलेरी वैल्यू; प्रशीतन के सिद्धांत।

निकर्षक का ज्ञान

समय 3 घंटे

अंक—100

- (क) निकर्षक के संरचनात्मक अंग; विभिन्न अंगों के नाम; जल रोधी दीवाल; पिच्छल नली; रडर; विलज और बैलास्ट प्रणाली
- (ख) संक्षारण रोकने की पद्धति, स्थानीय स्थिरक; निकर्षकों और उसके उपकरणों का आवधिक निरीक्षण और सर्वेक्षण; टापर ब्राज और उपस्कर।
- (ग) पाइपलाइन; लंगर और केबल; निकर्षक लंगर और सर्वेस; डेबिटल डेरिकस; सुरक्षा उपस्कर; ड्राई डाकिंग स्टोन-आपात मरम्मत; मरम्मत सूची।
- (घ) निकर्षण उपस्कर का अनुरक्षण, निकर्षण पंप; नियंत्रण उपस्कर; निकर्षक शीर्ष; निकर्षण ट्यूब; निकर्षक होज; गिम्बलरिंग; चूषण प्रदाय पाइप तथा वाल्व; कटर शीफ्ट और सीड़ियां।
- (ङ) प्लवमान और तटीय पाइपलाइन; प्लबक; बाल साकेट; नमनीय होज; फ्रेम पान्टून।
- (च) अपकेंद्री पंपों का सिद्धांत; निकर्षक पंपों के लक्षण; निकर्षण में जेट पंप; मनोमीटर;
- (छ) विद्युत शक्ति और सहायक मशीनरी।

3. मोटर का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) कार्यकरण के सिद्धांत, दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक वाले अंतर्दहन इंजन का निर्माण; प्रचालन और अनुरक्षण;
- (ख) अतिभारित और प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजन; स्टार्टिंग और रिबसिंग व्यवस्था; सुरक्षोपय।
- (ग) वायु संपीड़कों का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण; एयर बैसलों का चालन और माउंटिंगस।
- (घ) ईंधन; स्नेहक तेल और जल की खपत; क्रैक केसों में विस्फोट और एयर सिस्टम स्टार्ट करना।
- (ङ) तेल वाष्प या गैस का कारण आग या विस्फोट रोकने के लिए पूर्ववधानियां; प्रज्वलन बिंदु; तेल रिसने का खतरा; बंकरिंग करते समय पूर्ववधानियां।

4. वाष्प का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) वाष्प इंजनों और बायलरों के निर्माण की रूप रेखा; प्रचालन और अनुरक्षण; वाष्प टरबाइनों के सिद्धांत।
- (ख) प्रत्यागामी इंजन में वाल्वगियर, परिवर्तन के प्रभाव स्ने प्रणाली स्थापित करना।
- (ग) बायलरों के विभिन्न प्रकार; बायलर माउंटिंग; गेज शील्ड; बायलर जल परीक्षण और अभिक्रियान्वयन. बायलरों को ठंडा करना।
- (घ) वाष्प बहाना; प्रणोदित शुष्कता; कोयला और तेल जलाना; धुआं रोकना।
- (ङ) सहायक वाष्प इंजन; उद्वाष्पित; खाद्य जल हीटर और फिल्टर; संपनक।

5. मौखिक परीक्षा

अंक—100

परीक्षा निकर्षक के इंजन व. पंप कक्ष में निगरानी रखने वाले इंजीनियर के कार्यों के और समुचित कानूनी उपबंधों के ज्ञान के विषयों के व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होगी।

परीक्षा का विस्तार

मोटर या वाष्प की पूर्ण परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को

1. साधारण इंजीनियरी विज्ञान (याद नियम 22 के अर्धन छूट नहीं दी गई है) और 2. निकर्षक के ज्ञान की लिखित परीक्षा के बैठना होगा। मोटर परीक्षा या मोटर पृष्ठांकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लिखित प्रश्नपत्र 3 में बैठना होगा। मोटर के ज्ञान और वाष्प परीक्षा या वाष्प पृष्ठांकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लिखित प्रश्नपत्र 4 वाष्प का ज्ञान में बैठना होगा। सभी अभ्यर्थियों को समुचित मौखिक परीक्षा में बैठना होगा।

परिशिष्ट छ

[नियम 21 (4) देखें]

निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

1. मशीन रेखांकन

समय—6 घंटे

अंक 100

- (क) ब्लू प्रिंट का पाठन और निर्वचन
- (ख) मशीन और इंजन के पुर्जों के कार्यकरण रेखांक बनाना
- (ग) भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित साधारण इंजीनियरी रेखांकन की व्यवहार संहिता का गहन ज्ञान।

2. विद्युत

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) यूनिट एम्पियर, आह और वाट, आह की विधि, श्रृंखला और समांतर परिपथ; साधारण परिपथ में तरंग वितरण; शक्ति और ऊर्जा, माप यांत्रिक और विद्युत यूनितों के बीच संबंध; प्रतिरोध लम्बाई का प्रभाव, क्षेत्र; सामग्री और तापमान; विशिष्ट प्रतिरोध; विद्युत रोधन के प्रकार, चालन गियरों को लागू करना; फन प्रतिरोधी पार्सीमोटर आदि।
- (ख) प्राथमिक और द्वितीय काल, निर्माण और सिद्धांत अनुरक्षण, चार्ज करना; दक्षता।

- (ग) साधारण चुम्बकीय सिद्धांत; चुम्बकीय क्षेत्र; बल मार्ग; क्षेत्र प्रबलता; क्षेत्र तीव्रता सीधे संवाहकों में तरंग के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, लूप, कुंडलिया और पलालिका; तरंग और क्षेत्र की सापेक्ष दिशा; आयतन फलकस डेंसिटी का प्रभाव टोटल फलकस; प्रतिष्टम्भ; पारगम्यता; प्रतिरूपी बी/एच और यू/बी कर्व।
- (घ) फराडे और लेन की विधि; तरंग बहने वाले संवाहक पर उत्पन्न किए गए उत्प्रेरित सी० एम० एफ० बल का परिमाण और दिशा।
- (ङ) इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ में उपयोग किए गए; वैरिआनिक उत्सर्जन; शून्य में संवाहन: गैस रोधक; अर्धसंवाहक और संवाहक; शुद्धिकरण।
- (च) ज्यामिकीय तरंग आवृत्ति; आर एम एस और परिवर्ती तरंग का औसत मूल्य; सादिश निरूपण; फेज के अन्तर; ए० सी० परिपथ; विप्रेरक; विप्रेरण और उसका परिपथों पर प्रभाव; प्रतिरोध प्रतिकार्य और अवबाधिता के बीच संबंध; शक्ति गुणांक।
- (छ) ए० सी० और डी० सी० सिद्धांत और कार्यकरण, गतिमान कुंडली के सूचक उपस्कर; मूविंग आयरन और शक्तिमापी टाइपस; रेंज बढ़ाने के लिए शंट और श्रृंखला प्रतिरोधी; तरंग ट्रांसफार्मर; विभव ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी और टास्टबूस्टर।
- (ज) ए० सी० और डी० सी० संस्थापन के वितरण की प्रणाली; संस्थापन; फ्यूजों का उपयोग; परिपथ समापक और अर्थ लैप।
- (झ) ए० सी० जनित्रों की सुरक्षा; काल समोकरण और समांतर चालन; एस० सी० मोटरों के स्टार्टर; गति और टॉर्क: गति नियंत्रण।
- (ञ) डी० सी० जनित्रों की सुरक्षा; स्वउर्ध्वपन; भार-लक्षण; वोल्टेज नियंत्रण; समांतर प्रचालन; डी० सी० मोटरों के स्टार्टर; गति और टॉर्क, भार लक्षण और गति नियंत्रण।

3. निकर्षक का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) निकर्षक निर्माण में उपयोग की गई सामग्रियाँ; निकर्षक के प्रकार; संरचनात्मक बल; वेल्ड करने की पद्धति; वेल्डिंग का निरोक्षण और परीक्षण।
- (ख) लांड लाइन का समनुदेशन; स्वायत्त्व अपेक्षा; हल के उपभाग; अग्निशुरक्षा; नुकसान नियंत्रण
- (ग) शिपर बल और बंकन आच्यूर्ण; शिपर और नंकर द्वारा उत्पन्न प्रतिबल।
- (घ) ड्राई डाकिंग या आउटिंग करते समय स्थिरता, और टिम; विलॉजिंग का प्रभाव और कक्षों का आप्लावन।
- (ङ) निकर्षण संविदा; दर, बोली लगाना; निकर्षण संविदा के खंड; निकर्षक के स्वामी के दायित्व और उत्तरदायित्व; परियोजना तैयार करना और कार्यान्वयन; बजट नियंत्रण।
- (च) जल के नीचे सन्निर्माणों निकर्षण उत्पाद; शक्ति और दक्षता मूल गति उत्पादक; निकर्षक की मितव्ययिता।
- (छ) जलीय निकर्षण में हाल में हुए विकास; पुनरुद्धार निकर्षण उभरण; विनिर्देश; अन्वेषण, प्रबंध; कार्मिक

4. मोटर का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) अंतर्दहन इंजन के कार्यकरण के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के इंजनों में अन्तर; साधारण उपयोग के अंतर्दहन इंजन का संरचनात्मक व्योरे।
- (ख) अंतर्दहन इंजन में साधारणतया उपयोग किए जाने वाले ईंधन और स्टेहक तेल की प्रकृति और गुणधर्म; विभिन्न प्रकार के इंजनों के सिलिंडरों में वायु और ईंधन का प्रदाय; वायु संपीडकों के संरचनात्मक व्योरे और कार्यकरण।
- (ग) अंतर्दहन इंजनों के निर्माण की पद्धति; वे प्रक्रियाएँ जिनमें अनेक पुर्जों को डाला जाता है या जो उनके विनिर्माण के आनुषंगिक हैं; और निकर्षक के पालक पर उस मशीनरी को फिट करने में अपनाई गई प्रक्रिया;
- (घ) स्टाविंग और प्रतिवर्ती व्यवस्था और उससे संबद्ध विभिन्न संक्रियाएँ।
- (ङ) मशीनरी के विभिन्न पुर्जों को प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अर्पेक्षित सावधानी।
- (च) मशीनरी के कार्यकरण से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों की संज्ञाना और वर्णन और ऐसी त्रुटियों को दूर करने के उपाय।
- (छ) सहायक बाष्प बायलरों के संरचनात्मक व्योरे और प्रबंध; जलमानी और सुरक्षा वाल्वों के प्रति विशेष निर्देश से उनको फिट करना, उनकी माउंटिंग; सहायक मशीनरी के संरचनात्मक व्योरे और प्रबंध बात-प्रवाह, दहन उपस्कर और तेल ईंधन उपस्कर।

वाष्प का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) वाष्प इंजन टरबाइनों और बायलरों के निर्माण की पद्धति; वे प्रक्रियाएँ जिनमें विभिन्न पुर्जों को डाला जाता है; और निकर्षक के फलक पर मशीनरी को फिट करने के लिए अपनाई जाती है।
- (ख) विभिन्न प्रकार के नोदन और निकर्षण मशीनरी-प्रत्येक महत्वपूर्ण पुर्जों के कार्य और निकर्षक के पालक पर मशीनरी के विभिन्न पुर्जों द्वारा अर्पेक्षित सावधानी।
- (ग) सहायक मशीनरी के वाष्प प्रवेशन और निष्कास वाल्वों का परीक्षण करने और उनको सैटिंग को परिवर्तित करने की पद्धति तथा वाल्वों की सैटिंग में निश्चित परिवर्तन करके इंजन के कार्यकरण पर उत्पन्न प्रभाव।
- (घ) उद्वाष्पित्रों, निवेप्य जल हीटरो और निवेप्य जल फिटरो के सन्निर्माण के व्योरे और कार्यकरण।
- (ङ) विभिन्न प्रकार के आधुनिक वायलर उनका निर्माण और निकर्षक लगाने की रीति।
- (च) जल प्रमापियों और सुरक्षा वाल्वों के प्रति विशेष निर्देश वायलर फिटिंग और माउंटिंग का उपयोग और प्रबंध नाट हैमर कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले खतरे के प्रति विशेष निर्देश से वाष्प बनाते समय और सोपान वाल्व को प्रचालित करने समय आवश्यक पूर्वविधानियाँ।
- (छ) बात-प्रवाह की सहायता, वाष्प का अस्तित्वापन और ईंधन जलाने के लिए साधारणतया लगाए जाने वाले संस्थापनों के संरचनात्मक व्योरे, प्रचालन और अनुरक्षण।

पर 3
मशीन
मुख्य
कार्य
समुच्चि

आवेदक

चक्रानुद

उत्तीर्ण

श्रेणी

वाणिज्य

से अपने

प्राप्त क

अभ्यर्थी

पत्तन

तारीख

मुहर

भारत सर

जारी की

ध्यान

6. मौखिक परीक्षा

अंक—100

मौखिक परीक्षा, सामान्यतः परीक्षा के विषयों के व्यावहारिक ज्ञान पर प्राधान्य होगी और इसमें मशीनरी और वायलरों के प्रबंध, विद्युत् मशीनरी, अग्नि निवारण और अग्निशमन, निकर्षक इंजीनियर के कर्तव्यों, मुख्य इंजन वायलरों और सहायक मशीनरी के संबंध में किए जाने वाले कार्य और कार्यक्रम पुर्जों की कालिक परीक्षा पर प्रश्न सम्मिलित होने समुचित कानूनी उपबंधों का ज्ञान भी अपेक्षित है।

परिशिष्ट "ज"

[नियम 24(1) देखें]

प्राधिकार पत्र

निकर्षक प्रमाणपत्र

सं०

आवेदक का नाम

चक्रानुक्रम सं०

उत्तीर्ण की गई परीक्षा

श्रेणी

वाणिज्य समुद्रीय विभाग

से अपने सक्षमता का प्रमाणपत्र

प्राप्त करने के लिए उपरोक्त

अभ्यर्थी को दिया गया प्राधिकार

पत्तन

तारीख

परिशिष्ट झ

[नियम 37(1) देखें]

भारत सरकार द्वारा जारी की गई
निकर्षक चालक या इंजीनियर के प्रमाण-पत्र की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन-पत्र
पूर्ववर्ती प्रमाण-पत्र का सं० ...
पूर्ववर्ती प्रमाण-पत्र की श्रेणी ...

ध्यान दें :—यह प्रश्न किसी भी वाणिज्य सामुद्रीय कार्यालय से नि-शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। जब मुद्रित शीर्षक के अनुसार प्रभाग (क) (ख) और (ग) को भर दिया गया हो तो प्रश्न उस प्रधान अधिकारी को वापस किया जाना है जिससे प्राप्त किया गया है। यदि दी गई जानकारी संतोषप्रद है तो प्रमाणपत्र, आवेदक द्वारा नीचे प्रभाग (घ) में नामित वाणिज्य समुद्रीय विभाग को भेज दिया जाएगा। प्रमाणित किए जाने के लिए आदिष्ट फीस को छोड़कर जो प्रधान अधिकारी को संदेत की जानी चाहिए; कोई भी पारिश्रमिक या उपदान, प्रत्यक्ष रूप से, या अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। सरकार का ऐसा अधिकारी या सेवक जो कोई उपहार या उपदान प्राप्त करता है, संक्षिप्त रूप से पदभूत किए जाने का भागी होगा।

परीक्षा का विस्तार

मोटर या स्टीम पूर्ण परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र 1. मशीन रेखांकन तथा लिखित प्रश्नपत्र, 2. विद्युत्, और 3. निकर्षक के ज्ञान में बैठने की अपेक्षा की जाएगी। मोटर परीक्षा या मोटर पृष्ठांकन के लिए अभ्यर्थियों से लिखित प्रश्नपत्र, 4. मोटर का ज्ञान और वाष्प परीक्षा या वाष्प पृष्ठांकन के लिए अभ्यर्थियों से लिखित प्रश्नपत्र, 5. वाष्प का ज्ञान में बैठने की अपेक्षा की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों से समुचित मौखिक परीक्षा, 6. में बैठने की अपेक्षा की जाएगी।

उस अभ्यर्थी को जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है निकर्षक सक्षमता प्रमाणपत्र के प्रदान के लिए प्राधिकार पत्र।

सं०

आवेदक का पूरा नाम
उत्तीर्ण की गई परीक्षा श्रेणी
लम्बाई मी० से०मी० रंग
आंखों का रंग बाल
व्यक्तिगत चिह्न

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त व्यक्ति को अपेक्षाएं पूरी करने पर सक्षमता प्रमाणपत्र का परिदान कर दें जो मुख्य परीक्षक द्वारा आपको अधिषिक्त किया गया था।

परीक्षक के हस्ताक्षर
तारीख

प्रधान अधिकारी/भारत्साधक सर्वेक्षक
वाणिज्य समुद्रीय विभाग।

मुहर

(क)

आवेदक का नाम आदि

नाम	पता	जन्म की तारीख	जन्म-स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)

(ख)

अंतिम सेवा की विधिष्टियां

अंतिम निकर्षक का नाम	अंतिम नि-कर्षक का रजिस्ट्री पत्तन और अधिकृत सं०	पदनाम	अंतिम नियोजन का वर्णन
का नाम	का रजिस्ट्री पत्तन और अधिकृत सं०	का अव-पत्तन और अधिकृत सं०	सेवा का प्रारंभ समापन का स्थान
5	6	7	8 9 10

खोया गया प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले कुछ अन्य निकर्षक जिसमें आवेदक ने सेवा की है।

निकर्षक का नाम	रजिस्ट्री पत्तन और अधिकृत सं०	फलक पर पदनाम	सेवा
11	12	13	कब प्रारंभ हुई कब समाप्त हुई 14 15

(ग)

प्रधान अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा दी जाने वाली घोषणा ध्यान दें :— कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए दुर्यपदेशन करेगा या करवाएगा या करने में सहायता करेगा, नियम 32 और 36 के अधीन भारी शास्तियों का भागी होगा।

मैं जो का हूँ इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि

- (1) मेरा प्रमाणपत्र निकर्षक श्रेणी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र या और उसका संख्यांक था तारीख को।
- (2) उक्त प्रमाणपत्र पर नष्ट हो गया था।
- (3) इसमें और प्रमाण (क) तथा (ख) में किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही और सत्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष तारीख को घोषित और हस्ताक्षरित किया गया

प्रधान अधिकारी
वाणिज्य समुद्रीय विभाग
..... जिला

* यहां प्रमाणपत्र के खो जाने के स्थान, तारीख, घटना और कारण कथित करें।

(घ)

प्रमाणपत्र का गंतव्य स्थान
(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

मैं चाहता हूँ कि प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति, पत्तन पर जारी की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ङ)

प्रधान अधिकारी द्वारा पृष्ठीकन

सं.

मुख्य परीक्षक, पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई को अर्पणित।
..... की फीस प्रभारित कर ली गई है।

ता.

प्रधान अधिकारी
वाणिज्य समुद्रीय विभाग
..... जिला

(च)

मुख्य परीक्षक, पोतपरिवहन महानिदेशालय, मुम्बई द्वारा प्रमाणपत्र संलग्न हैं :

निर्देश

मुम्बई, तारीख

सेवा में,

प्रधान अधिकारी,
वाणिज्य समुद्रीय विभाग,
..... जिला

मुख्य परीक्षक

प्रमाणपत्र जारी करने के विषय में प्रधान अधिकारी का टिप्पण आज तारीख को प्रमाणपत्र जारी किया गया।

प्रधान अधिकारी
वाणिज्य समुद्रीय विभाग,
..... जिला

[सं० एम० डब्ल्यू/5-एम०एस०आर (1)/81-एम० ए०]

अनुराग भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT (Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1982
(Merchant Shipping)

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 read with the sub-section (3) of section 78 and section 83 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I—PRELIMINARY

1. Short Title and commencement—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Examination of Dredge Driver and Dredge Engineers) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions—(1) In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "Appendix" means an appendix to these rules.

(c) 'Approved' means approved by the Chief Examiner;

(d) 'Dredger' means a self-propelled floating craft equipped for hydraulic dredging operations;

(e) "Examination" means the examination for the grant of certificates of competency as "Dredge Drivers" and "Dredge Engineers".

(f) "Examiner" and 'Chief Examiner' mean the respective persons specified in Appendix 'A';

(g) 'motor dredger' means a dredger, propulsion power of which is provided by internal combustion engines;

(h) 'ste
whi
stea(2) Wor
shall have t3. Gra
held in acc
of certifica
namely.—

(a) Dre

(b) Dre

(c) Dre

(d) Dre

(2) For
certificates(i) Me
in(ii) Ste
in
an(iii) Co
ho
an4. End
Dredge Dr
ficate or st
Engineer C
prescribed
which he
examinatic
nation ma
for the re

QUA

5. Dre
at the exan
Grade II—(a) sh
fi(b) sh
na(i) sa
mtr.
m

fo

er

ha

n

th

p
d
tl(ii) S
frsc
2

sc

(h) 'steam dredger' means a dredger, propulsion power of which is provided by reciprocating steam engines or steam turbines in conjunction with boilers.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Grades of Examinations : (1) Examinations shall be held in accordance with provisions of these rules for the grant of certificates of competency in the following four grades namely.—

- | | |
|---------------------|---------------|
| (a) Dredge Driver | Grade II; |
| (b) Dredge Driver | Grade I; |
| (c) Dredge Engineer | Grade II; and |
| (d) Dredge Engineer | Grade I. |

(2) For each grade of Dredge Drivers and Dredge Engineers, certificates of competency may be granted as follows, namely:—

- (i) Motor Certificate, entitling the holder thereof to serve in the respective grade on board any motor dredger;
- (ii) Steam Certificate, entitling the holder thereof to serve in the respective grade on board any steam dredger; and
- (iii) Combined Motor and Steam Certificate, entitling the holder thereof to serve in the respective grade on board any motor dredger or a steam dredger.

4. Endorsement of Certificates:—Any person holding as Dredge Driver Grade II, Dredge Driver Grade I, Motor Certificate or steam certificate, Dredge Engineer Grade II or Dredge Engineer Grade I, for Motor or Steam may, after serving for the prescribed period specified in these rules in the type of dredger for which he does not hold a certificate appear of endorsement examination and any person passing such endorsement examination may be granted a combined motor and steam certificate for the respective grade.

PART II

QUALIFICATIONS FOR VARIOUS GRADE OF CERTIFICATES OF COMPETENCY

5. Dredge Driver Grade -II.—(1) Every candidate appearing at the examination for certificate of Competency as Dredge Driver Grade II—

- (a) shall not be less than twenty years of age; on the date fixed for the examination and
- (b) shall possess any one of the following qualifications namely:—
 - (i) satisfactory service for a period of not less than eighteen months as apprentice or fitter on work suitable for the training of a Dredge Driver or in the manufacture or maintenance or both of dredging Driver machinery followed by service for not less than three years in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 250 KW and above, of which not less than one year as service has been performed in the capacity of a watchkeeping greaser or equivalent in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and
 - (ii) Satisfactory service for a period of not less than five years in the engine department of any type of self propelled vessel having propulsion power of 250KW and above, and of which not less than one year's service has been performed in the capacity of a watch-

keeping greaser or equivalent in the engine or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and

- (iii) Certificate of competency as Second Class Engine Driver granted under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)/or equivalent certificate granted under the various Harbour Craft Rules made under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) where the examination is considered by an Engineer and Ship Surveyor of the Mercantile Marine Department, followed by satisfactory Service for a period of not less than one year in the capacity of a watch-keeping greaser or equivalent in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days.

(2) Any person holding a Certificate of Competency as dredge Driver Grade II, Motor or steam, may, after performing six months service in keeping regular watch in the engine room or pump room of dredger having propulsion power of not less than 375 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

6. Dredge Driver Grade-I—(1) Every candidate appearing at the examination for certificate of competency as Dredge Driver Grade I—

- (a) shall not be less than twenty years of age on the date fixed for the examination; and
- (b) shall possess any one of the following qualifications namely:—

- (i) Certificate of Competency as Dredge Driver Grade II followed by satisfactory service for a period of not less than two years in the engine department on any type of self propelled vessel having propulsion power of 250 KW and above, of which not less than one year service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and
- (ii) Educational qualification equivalent secondary school leaving Certificate at Xth level followed by satisfactory service for a period of not less than two years as an apprentice or a fitter on work suitable for the training of a Dredge Driver or in the manufacture of dredging machinery further supplemented by service for a period of not less than three years in the engine department of any type of self propelled power of 250 KW and above, of which not less than one year service has been performed in the capacity of watch-keeping greaser or equivalent in the engine room or pump room of dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or
- (iii) Certificate of Competency as First Class Engine Driver granted under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or an equivalent certificate granted under the various Harbour Craft Rules made under the

Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) where the examination is conducted by an Engineer and Ship Surveyor of the Mercantile Marine Department, followed by not less than one year's service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or

- (iv) Certificate of Competency as Engine Driver of sea-going ship following by not less than six months service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days; or
- (v) Diploma in Mechanical Engineering granted by a Board of Technical Education of a state in India followed by not less than two years service in the engine department on any type of self-propelled vessel having propulsion power of 250 KW and above, of which not less than one year's service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days.

(2) Any person holding a certificate of competency as Dredge Grade I, Motor or Steam, after performing service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of not less than 375 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

(7) Dredge Engineer Grade II—(1) Every candidate appearing at the examination for Certificate of competency as Dredge Engineer Grade II—

- (a) shall be not less than twenty one years of age; on the date fixed for the examination; and
- (b) shall possess any one of the following qualifications namely :—
- (i) Pass in Part 'A' of the examination for Certificate of Competency as Second Class Engineer in the Merchant Navy held under the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1965 or a degree in Mechanical Engineering of a recognised University or Electrical Engineering, or Institution in India followed by not less than two years service in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 750 KW or above, of which not less than one year service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or
- (ii) Diploma in Mechanical Engineering of a Board of Technical Education of any State in India followed by satisfactory service for a period of not less than one year as an apprentice engineer on work suitable for training of a dredge Engineer further supplemented by service for a period of

not less than three years in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 750 KW and above, of which not less than one year's service has been performed in keeping regular watch in the engine room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or

- (iii) Educational qualification equivalent to secondary school leaving certificate at Xth level and Inland Engineer's Certificate of Competency granted under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or an equivalent certificate granted under the various Harbour craft rules made under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) where the examination is conducted by an Engineer and ship surveyor of the Mercantile Marine Department followed by not less than one year's service on keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which the period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or
- (iv) Educational qualification equivalent to Secondary School Leaving Certificate at Xth level and Certificate of Competency as Dredge Driver Grade I followed by not less than three years service in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 750 KW and above out of which not less than one year's service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days.

(2) Any person holding a certificate of competency as Dredge Engineer Grade II, Motor or steam, may, after performing service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of not less than 750 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

(8) Dredge Engineer Grade I—(1) Every candidate appearing at the examination for certificate of Competency as Dredge Engineer Grade I—

- (a) shall not be less than twenty three years of age on the date fixed for the examination; and
- (b) shall possess,—
- (i) Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade II followed by not less two years' service in engine department of any type of self propelled vessel having propulsion power of 750 KW and above of which not less than one year's service has been performed in the capacity of Engineer-in-charge a watch (shift of duty hours) in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and
- (ii) Certificate of proficiency in Fire Fighting and First Aid at sea Certificate.

Prov
certificat
permitted
satisfied
for reasc
(2) Any
Dredge Engi
ng service as
the engine
on power o
r which he
e dredger
an 120 da
9. Qualif
th inclusiv
ctive rules
otor prope
r certificate
ertificate ar
here a can
ncy of the
10. Gran
g Certificat
hipping (Ex
ules, 1963.
ency as S
nder the M
erchant Na
his certific
pe on pro
vice for n
the engine
lar type of
ove during
perations fo
ent a fee of
(2) Any
cond Class
erchant Shi
avy Rules,
the Dredge
roducing ev
not less th
om or pum
achinery an
which period
not less th
rupees two
(3) Any p
rst Class E
ant Shippin
avy) Rules,
ate of Com
ective type o
actory service
a watch (sh
om of a dre
propulsion po
e dredger wa
20 days and
undred only
11. Service
ny person on
such service
e assessed by
132 GI/82—

Provided that a candidate who does not possess the certificate required under Sub-Clause (ii) of clause (a), permitted to appear for the examination if the examiner is satisfied that candidate does not possess the said certificate for reasons beyond his control.

(2) Any person holding a certificate of competency as Dredge Engineer Grade I, Motor or steam, may, after performing service as Engineer-in-charge of a watch (shift of duty hours) in the engine room and pump room of a dredger having propulsion power of not less than 750 KW, being a dredger of the type in which he does not hold the certificate, during which period the dredger was engaged in dredging operations, for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

9. Qualifying service—For the purposes of rules 5 to 8, both inclusive, qualifying dredger service prescribed in the respective rules shall mean service performed on dredgers having motor propelling machinery where a candidate seeks to appear for certificate of competency of the respective grade for a Motor Certificate and an dredgers having steam propelling machinery where a candidate seeks to appear for a certificate of competency of the respective grade for a Steam Certificate.

10. Grant of Dredge Engineers Certificate to Persons holding Certificate of Competency Issued Under the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963. (1) Any person who holds a Certificate of Competency as Second Class Engineer, Motor or Steam, granted under the Merchant Shipping Examination of Engineers in the Merchant Navy Rules, 1963, May be eligible for endorsement of his certificate as Dredge Engineer Grade II of the respective type on producing evidence of having performed satisfactory service for not less than six months in keeping regular watch in the engine room or pump room of dredger having the particular type of machinery and propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days. For any such endorsement a fee one hundred and fifty only shall be payable.

(2) Any person who holds Certificate of Competency as Second Class Engineer, Motor or Steam granted under the Merchant Shipping Examination of Engineers in the Merchant Navy Rules, 1963 may be eligible for endorsement of his certificate as Dredge Engineer Grade I of the respective type on producing evidence of having performed satisfactory service for not less than one year in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having the particular type of machinery and propulsion power of 750 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days and for any such endorsement a fee of rupees two hundred only shall be payable.

(3) Any person who holds a Certificate of Competency as First Class Engineer, Motor or Steam granted under the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963, may be eligible for endorsement of his Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade I of the respective type on producing evidence of having performed satisfactory service for not less than six months as Engineer in-charge of a watch (shift of duty hours) in the engine room and pump room of a dredger having the particular type of machinery and propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days and for any such endorsement a fee of rupees two hundred only shall be payable.

11. Service on Indian in Naval Ships—Service performed by any person on Indian naval ships which meets the requirement of such service specified in rules 5 to 8, both inclusive, he may be assessed by the Chief Examiner and accepted towards qualification.

12. Testimonials—(1) Every candidate shall produce:—

(i) Testimonials in respect of workshop service duly signed by the employer(s) or his/their authorised representatives and such testimonials shall testify as to the conduct and ability of the candidate and certain detailed particulars of work and the period for which the candidate was engaged in different branches of the workshop.

(ii) Testimonials in respect of service on merchant ships, Naval ships or dredgers duly signed by the Chief Engineer of the respective ship and such testimonials shall testify as to the society, experience, ability and conduct of the candidate and contain detailed particulars as to his rank on watch-keeping duties and shall be countersigned by Engineer Superintendent or any other representative of the owners of equivalent rank, but not testimonial shall be deemed as valid unless it is signed by the Chief Engineer and countersigned by owners representative as aforesaid.

(2) Testimonials referred to in sub-rule (1) shall be in the forms specified in Appendix 'B' or as near thereto as possible.

13. Verification of Service—(1) Any service claimed to have been rendered on board a ship or dredger which is not supported by documentary evidence may not be accepted for the purpose of these rules.

(2) Where any service is rendered on a ship or vessel which does not normally open Articles of Agreement with the crew, such service should be supported by other equally authentic evidence.

(3) Whenever there is any doubt as to acceptability of any service referred to in sub-rules (1) and (2) such case may be referred to the Chief Examiner who shall decide the same.

14. Eye-sight—Every candidate shall produce a certificate granted by the Merchant Marine Department or Port Health Office certifying that he is not colour blind and he possessed normal vision with or without glasses.

15. Physical or Mental Defects—If the Examiner finds that a candidate is afflicted with deafness or with some other physical or mental infirmity and is satisfied that the degree of infirmity is such as to interfere with the proper performance of the candidate's duties, he shall report the case with full particulars to the Chief Examiner for such action as may be deemed necessary.

16. Calculation of Service—The service of any candidate as shown in the testimonials shall be reckoned by the calendar month, that is to say the time included between any given day in any month and the preceding day of the following month, both inclusive. The number of complete months from the commencement of the period, ascertained in this way, should be computed after which the number of odd days should be counted. The day on which the service commences as well as that on which it terminates should both be included and all odd days added together and reckoned at 30 days to a month.

PART—IV

17. Examinations-Applications—(1) Any candidate who is eligible for appearing of any examination for Certificate of Competency in accordance with the provisions of Part II of these rules may submit his application in the form specified in Appendix 'C'.

(2) Application for examination for certificate of Competency as Dredge Driver Grade II or Dredge Driver Grade I may be addressed to the Mercantile Marine Department, Calcutta Visakhapatnam, Madras, Tuticorin, Cochin, Marmugao, Bombay, or Jamnagar. Application for examination for Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade II or Dredge Engineer Grade I may be addressed to the Mercantile Marine Department, Calcutta or Vishakapatnam. Every such application shall be accompanied by supporting documents specified in rule 18 and appropriate fees in accordance with the scale of fees specified in rule 19.

18. Documents required to accompany applications :—

(1) Every application shall be accompanied by the following documents, as applicable, namely :—

- (i) Certificate of nationality;
- (ii) Certificate of birth;
- (iii) Testimonials in respect of service rendered in workshop, merchant ships/naval ships and dredgers;
- (iv) Certificate of Competency, if any held by the applicant;
- (v) Certificate of eye-sight;
- (vi) First Aid at Sea Certificate; and
- (vii) Certificate of Proficiency in Fire Fighting.

(2) All documents received with the application shall be returned to the candidate after verifying his eligibility for appearing for the examination for Certificate of Competency mentioned in the application.

(3) Certificate of nationality shall establish that applicant is a citizen of India and Certificate of birth or certificate of naturalisation may be accepted as adequate for this purpose.

19. Fees—(1) Every application for appearing for the examination for the grades specified in column (2) of the Table set out below shall be accompanied by fees specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Grade	Examination Fee
(a)	(b)
Dredge Driver Grade II (Motor or Steam)	Rs. 100/-
Dredge Driver Grade II (Endorsement)	Rs. 50/-
Dredge Driver Grade I (Motor or Steam)	Rs. 200/-
Dredge Driver Grade I (Endorsement)	Rs. 100/-
Dredge Engineer Grade II (Motor or Steam)	Rs. 300/-
Dredge Engineer Grade II (Endorsement)	Rs. 150/-
Dredge Engineer Grade I (Motor or Steam)	Rs. 400/-
Dredge Engineer Grade I (Endorsement)	Rs. 200/-

(2) A candidate desirous of verifying whether he is eligible for appearing at the examination for any particular grade may submit his testimonials and other documents for scrutiny to the office of the Mercantile Marine Department which has been specified as an examination centre for that grade in rule 25 and every such enquiry shall be accompanied by a fee of rupees fifty in the case of applicants aspiring for appearing at examinations for Dredge Engineers of any Grade and rupees twentyfive in the case of applicants aspiring for appearing in examinations for Dredge Drivers of any Grade.

20. Language—(1) Examination for Dredge Drivers of either grade shall be conducted in both Hindi and English languages.

(2) Examinations for Dredge Engineers of either grade shall be conducted in English only.

21. Nature of Examination—(1) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Driver Grade II shall consist of viva voce examination in accordance with the syllabus specified in Appendix 'D'.

(2) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Driver Grade I shall consist of viva voce examination in accordance with the syllabus specified in Appendix 'E'.

(3) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Engineer Grade II shall consist of written papers and viva voce in accordance with syllabus specified in Appendix 'F'.

(4) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Engineer Grade I shall consist of written papers and viva voce in accordance with the syllabus specified in Appendix 'G'.

22. Exemption—Any candidate appearing at the examination for Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade II, being a candidate satisfying the requirements specified in sub-clause (b)(i) of (b) (ii) sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 7 may be exempted from appearing for the paper on 'General Engineering Science'.

23. Marks Required for Passing—(1) Candidates are required to obtain not less than fifty per cent marks in each written paper and not less than sixty per cent marks in viva voce for being declared as pass.

(2) Where examination of a candidate consists of only viva voce examination, result shall be declared by the examiner after the examination is over.

(3) Where examination consists of both written papers as well as viva voce, results shall be declared at the examination centre within two months of the completion of the examination.

24. Certificate—(1) A candidate who passes examination for any Certificate of Competency under these rules shall be issued a letter of Authority in the form specified in Appendix 'H' addressed to the Principal Officer of any district of the Mercantile Marine Department of the choice of the candidate for delivery of Certificate of Competency in exchange of the fee when the said certificate is ready for issue.

Provided that in the case of a candidate passing examination for the Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade I, issue of such letter of Authority may be held up until the candidate complies with requirement of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 8.

(2) The letter of Authority referred to in sub-rule (1) unless cancelled by the Chief Examiner, shall have the same effect as if it were a Certificate of Competency for the respective grade for a period of two years from the date of its issue or until such shorter time as a Certificate of Competency is issued to the candidate, whichever is earlier.

(3) Certificate of Competency for different Grades shall be issued in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Certificates of Competency) Rules, 1961.

25. **Place and Day of Examination**—(1) (a) Examination for Certificates of Competency as Dredge Drivers, Grades II and I, shall be held at the Mercantile Marine Department Calcutta, Visakhapatnam, Madras, Tuticorin Cochin, Mormugao, Bombay and Jamnagar. (b) Candidates may be individually informed of the date of examination on acceptance of the applications.

(2) Examination for Certificates of Competency as Dredge Engineers, Grades II and I, shall be held at the Mercantile Marine Department Calcutta, in the month of May of Mercantile Marine Department Visakhapatnam in the month of November on days notified by the Chief Examiner.

PART V MISCELLANEOUS PROVISIONS

26. **Punctuality** :—(1) Every candidate who has filed his application for appearing at the examination for Certificate of Competency of any Grade under these rules shall be present at the examination centre prior to the commencement of examination.

(2) A candidate arriving late at the examination centre may not be permitted to appear at the examination except under special circumstances where the examiner is satisfied that delayed arrival of the candidate at the examination centre has occurred due to reasons beyond his control.

27. **Stationery** :—(1) Answer papers and other items of stationery, books, tables, drawing boards, T-squares etc. required at the examination centre shall be supplied to every candidate.

(2) (a) Unused stationery, books, table etc., shall be returned to the examiner before leaving the examination centre and any candidate who causes damage to any item of stationery, books, tables, etc., shall be liable to compensate for such damage.

(b) The Examiner may withhold the documents submitted by the candidate until such compensation is received from the candidate.

28. **Instruments**—A candidate may, subject to prior permission of the examiner, bring in the examination hall his own instruments, for answering papers and may be permitted to use Slide Rules.

29. **Answering Questions**—(1) No candidate shall work out problems on any other paper except on answer papers supplied to him at the examination hall and the blotting papers shall not be used for this purpose.

(2) All working on answer papers except for sketches shall be in ink, and the sketches may be drawn in pencil.

(3) Answers shall be written in clear and legible manner on the allotted page of the answer paper and of at the commencement of answer to any question, serial number of such question shall be written on the left hand margin of the answer paper.

30. **Copying During Examination**—Copying from answer papers of any other candidates or from other books, publications or manuscripts or affording assistance to any other candidate for copying from his own answer paper or communicating any information to any other candidate while examination is in progress shall constitute an offence and the offender may be debarred from appearing at the examination for such period not exceeding twelve months at the discretion of the Chief Examiner.

31. **Leaving Examination Hall**—No candidate shall leave examination hall without prior permission of the examiner and before so leaving he shall hand over to the Examiner his answer paper and unused items of stationery including books and tables.

32. **Fraud, Mis-representation, Bribery etc.**—(1) Any persons who makes, causes to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself or for any other person a Certificate of Competency under these rules, shall be guilty of an offence liable for prosecution under Sections 182 and 420 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and if the offender be the candidate appearing for at any examination under these rules, he shall further be liable for action under rule 36.

(2) Any attempt at offering illegal gratification to any public servant who is in any way connected with the conduct of the examinations for Certificates of Competency under these rules or related matters, shall be construed as misconduct within the meaning of these rules and person guilty of such misconduct shall be liable for criminal proceeding and other action in accordance with rule 36.

33. **Service Found to be Insufficient After Examination**—Where in the case of a candidate who has passed any examination for a Certificate of Competency under these rules it is found that there is any deficiency in his qualifying service entitling him to appear for at the examination, such candidate may not be granted the certificate until.

- (a) he has made good the deficiency in qualifying service by rendering such additional service as necessary; and
- (b) he has reappeared for and passed the examination :

Provided that the requirement of clause (b) above may be waived in the case of any candidate at the discretion of the Chief Examiner.

34. **Requirement to be Complied with by Candidates reappearing at an examination.** No candidate who had failed in any examination for a Certificate of Competency under these rules shall reappear for examination of the respective grade unless seven calendar months have elapsed since his last attempt at the examination.

35. **Further Experience for candidates reappearing at an examination in Certain cases**—Where any candidate appearing at an examination for a Certificate of Competency of any grade under these rules is found to be so weak and ignorant as to give cause for apprehension that his lack of knowledge may, if he is allowed to keep independent watch as certificated officer, endanger a dredger or lives of persons on board a dredger, such candidate may be required to perform additional service on board a dredger for such period, not exceeding twelve months at the discretion of the Chief Examiner, before he is permitted to reappear for the examination.

36. **Punishment for Misconduct**—(1) Where a candidate has been found to be guilty of any misconduct in relation to an examination including copying, insolence to any examiner or

disorderly or improper conduct in or about the hall where the examination is conducted or is guilty of contravention of any provision of these rules, he may be liable for punishment in any one or more of the ways specified below namely:—

- (a) Where the examination has not commenced, the candidate may be debarred from appearing in the examination;
- (b) Where the examination has commenced but not completed, the candidate may be debarred from taking further part in the examination.
- (c) Where the examination is completed but its result is not declared, the candidate's result may be withheld;
- (d) where the examination is completed and the candidate has been declared to have passed it, issued of certificate to the candidate may be held up for such period as may be decided by the Chief Examiner.

(2) Any candidate against whom action is taken under sub-rule (1) may be debarred from appearing at any examination for Certificate of Competency under these rules for such further period as may be decided by the Chief Examiner.

37. Issue of Certified True Copy of Certificate of Competency—

- (1) Where a Certificate of Competency issued under these rules or a Letter of Authority specified in sub-rule (1) of rule 24 is destroyed or defaced or otherwise lost, the holder may obtain a certified copy thereof from the Chief Examiner.
- (2) Application for such certified copy shall be made in the form specified in Appendix 'I' to the Chief Examiner

through the Principle Officer, or Surveyor-in-charge of any of the Mercantile Marine Departments and shall be accompanied by a declaration explaining the circumstances in which the original Certificate of Competency or the letter of Authority was destroyed, defaced or otherwise lost, and such declaration shall be made in the presence of the Principal Officer, Mercantile Marine Department or the Surveyor in Charge of the Mercantile Marine Department to whom the application is made for onward transmission to the Chief Examiner.

- (3) Every application for a certified copy of Certificate of Competency or Letter of Authority shall be accompanied by a fee of rupees fifty in the case of Certificate for Dredge Drivers and rupees one hundreds in the case of Certificate for Dedger Engineers.

APPENDIX 'A'

[See Rule 2(1)(d)]

EXAMINERS

- 1. Chief Surveyor with the Government of India who shall be the Chief Examiner.
- 2. Deputy Chief Surveyor with the Government of India in charge of examination.
- 3. Deputy Chief Surveyors promoted as Principal Officer:
- 4. Deputy Chief Surveyors with the Government of India:
- 5. Engineer and Ship Surveyors attached to the Directorate General of Shipping and those in the Mercantile Marine Departments.

APPENDIX 'B'

[See Rule 12(2)]

Specimen Form of Testimonial for Workshop Service

Name and address of the Engineering Works

Types of job undertaken

I certify that the following is a full and true statement of the satisfactory workshop service performed by Shri.....son of Shri.....under my supervision at the above works.

Type of work	Designation	Period		Total			Remarks
		From	To	Y	M	D	
1. Fitting							
2. Metal Turning							
3. Boiler making/ reporting							
4. Pattern making							
5. Shaping, Milling etc.							
6. Tool room							
7. Smithy							
8. Welding							
9. Electrical							
10.							
11.							
12.							
		Total					

3
N

ur
O:
In
to
pe

Report as to ability
Report as to conduct
General Remarks

Signature of the Officer-in-Charge of Training.

Name
Designation :
Seal

Countersigned by

Name :
Designation : General Manager
Seal

2. Specimen Form of Testimonial for Ship Service

Name and address of the employer

I certify that the following is a full and true statement of service performed by Shri.
son of Shri. under my supervision on board MV/SS/MT/ST/MD/SD.
Official No. registered under the Merchant Shipping
ACT Coasting Vessels Act/Inland Vessels Act/Harbour Craft Rules having Internal Combustion/Steam Engine, propelled by
single twin screw of total power KW.

Period		Total			Propelling Days			Rank	Remarks
From	To	Y	M	D	I	M	D		

Report as to ability

Report as to conduct
Report as to sobriety
General remarks

Signature of Chief Engineer

Name
Certificate of Competency No.
Seal

Countersigned by
Name
Designation : Engineer Superintendent
Certificate of Competency No.

3. Specimen Form of Testimonial for Dredger Service

Name and address of the employer

I certify that the following is a full and true statement of service performed by Shri.
under the supervision on board MD/SD. Type
Official No. registered under the Merchant Shipping Act/Coasting Vessels Act/
Inland Vessels Act/Harbour Craft Rules having Internal Combustion/Steam engine of Kw
total for propelling power and Kw. total for dredge pump and pro-
pelled by single/twin screw.

Period		Total			Dredging Days			Rank	Nature of duties*	Remarks
From	To	Y	M	D	Y	M	D			

*Nature of duties—

- Keeping watch as greaser or equivalent in the engine or pump room.
- Keeping regular watch in the engine or pump room.
- Engineer-in-charge of a watch in the engine and pump room.

Report as to ability
 Report as to conduct
 Report as to sobriety
 General Remarks

Signature of the Chief Engineer
 Name
 Certificate of Competency No.
 Seal
 Countersigned by
 Name
 Designation : Engineer Superintendent
 Certificate of Competency No.
 Seal

APPENDIX 'C'

[See Rule 17(1)]

Application for Drope Duties/Engineers Examination

Port Rotation No.

(A) Particulars of Applicant

Full Name (in Block Letters)			Permanent Postal Address
Last	First	Middle	

Date of Birth (Birth Certificate to be produced)			Where Born	Nationality
Day	Month	Year	Place State Country	

(B) Previous Certificate

Number	Motor, Steam, Endorsement	Driver or Engineer	Place and Date of		If at any times suspended or cancelled, state	
			Examination	Issue	Court of of authority	Date Cause

(C) Examination Now Required

Motor, Steam Endorsement	Driver or Engineer	Grade	Port	Month and Year	Mercantile Marine Department office to which certificate is to be sent
-----------------------------	--------------------	-------	------	----------------	---

(D) Previous Results for the Examination Now Required

Port	Day	Month	Year	Results
------	-----	-------	------	---------

4. Results—

- (a) Written papers
(b) Viva voce examination

5. In case of failed candidates—

- (a) Reason for failure.....
(b) Details of serious weakness in particular knowledge, if any,.....
(c) Further dredger service to be performed before appearing in the examination
- I hereby certify that the particulars contained in Division 'K' are correct.

Port Signature of Examiner

Date

APPENDIX 'D'

[See Rule 21 (i)]

Syllabus for Dredge Driver Grade II Examination:

Viva Voce Examination

Marks 100

(a) Dredge Knowledge

Development of dredging processes; Running of dredging machinery; Tracing and rectification of faults; Operation of dredging pumps; Reading of measuring gauges Dredging pipelines; Electrical power circuits.

(b) Motor knowledge

Principal parts of machinery: Attention required by the various parts; starting and reversing; overhauling of engines; Fuel and lubricating oils; Precautions against explosion; Air compressors and starting air vessels, Estimation of consumption.

(c) Steam knowledge

Principal parts of machinery: Raising of steam in boilers; Reading of guage glass; Treatment of boiler water; overhauling and setting of engines; Evaporators and condensers; Precautions against explosion; Estimates of consumption.

Candidates for motor certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (b) and candidates for steam certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (c). Candidates for endorsement of certificate shall be examined in (b) or (c) as applicable.

APPENDIX 'E'

[See Rule 21 (2)]

Syllabus for Dredge Driver Grade I Examination

Viva Voce Examination

Marks 200

(a) Dredge knowledge

- (i) Early dredgers; first hydraulic dredger; pipeline; dredger speeds; types of modern dredgers.
(ii) Cutterheads happer dredger; flow of dredged material.
(iii) Dredge pumps; operation and maintenance; emergency repairs.
(iv) Electrical Installation and Safety devices.

(b) Motor knowledge

- (i) Construction, operation and maintenance of two stroke and four stroke engines (naturally aspirated and supercharged); starting and reversing arrangements; safety devices.
(ii) Starting air vessels and mounting; air compressors and safety devices.
(iii) Explosions in crank cases and starting air systems; fuel and lubricating oils; flash point; bunkering.

(c) Steam knowledge

- (i) Operation and maintenance of reciprocating steam engines; valve setting; lubrication.
(ii) Boilers; mountings; gauge glasses; treatment of boiler water; blowing down boilers.
(iii) Pump engines; auxiliary engines; evaporators; condensers; feed water filters and heaters.

Candidates for motor certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (b) and candidates for steam certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (c). Candidates for endorsement of certificate shall be examined in (b) or (c) as applicable.

APPENDIX 'F'

[See Rule 1 (3)]

Syllabus for Dredge Engineer Grade II Examination

Time 5 Hours Marks 100

1. General Engineering Science

- (a) Fundamental units; density and specific gravity; parallelogram of forces; triangle of force; moments and levers; parallel forces; centre of gravity; steam and strain; friction work.

- (b) Equilibrium of floating bodies; variation fluid pressure with depth; total pressure on immersed surfaces; centre of pressure flow of liquid through pipes; flow through orifice; coefficients of velocity; contraction of area and discharge.
- (c) Temperature scales; expansion due to temperature change; specific heat; heat transfer; Boyle's and Charles' laws; combustion of fuels; minimum air required; calorific value; principles of refrigeration.

Time 5 Hours, Marks 100

2. Dredge knowledge

- (a) Structural members of dredger; name of various parts; watertight bulkhead; stern tube; rudder; bilge and ballast system.
- (b) Methods for preventing corrosion; local stiffening periodic inspections and surveys of dredgers hopper barged & equipments.
- (c) Pipelines anchors and cables; dredging anchors and spuds; davital derricks; safety equipment; drydocking routines; emergency repairs; repair lists.
- (d) Maintenance of dredging equipment; dredge pumps; central equipments; dredgeheads; dredging tubes; dredging hoses; gimbal rings; suction and delivery pipes and valves; cutter shafts and ladders.
- (e) Floating and shore-pipelines; floaters; ball sockets; flexible hoses; frame pontoon.
- (f) Theory of centrifugal pumps; characteristics of dredge pumps; jet pumps in dredging; manometers.
- (g) Electric power and auxiliary machinery.

Time 3 Hours, Marks 100

3. Motor knowledge

- (a) Principles of working, construction, operation and maintenance of two stroke and four/internal combustion engines.
- (b) Supercharged and naturally aspirated engines; starting and reversing arrangements; safety devices.
- (c) Construction; operation and maintenance of air compressors; starting air vessels and mountings.
- (d) Fuel lubricating oil and water consumption; explosions in crank cases and starting air systems.
- (e) Precautions against fire and explosions due to oil vapour or gas; flash point; danger of oil leakage; precautions while bunkering.

Time 3 Hours, Marks 100

4. Steam knowledge

- (a) Construction features of steam engines and boilers; operation and maintenance; principles of steam turbines.
- (b) Valve gear in reciprocating engine; effects of altering setting lubricating system.
- (c) Various types of boilers; boiler mounting gauge glasses; boiler water testing and treatment; blowing down boilers.
- (d) Raising steam; forced draught; coal and oil burning; prevention of smoke.
- (e) Auxiliary steam engines; evaporators; food water heaters and filters; condensers.

Marks 100

5. Viva Voce

The examinations will be based upon practical knowledge subjects of the examination, duties of an engineer keeping watch in engine room and pump room of a dredger and knowledge of the appropriate statutory provisions.

Scope of Examination

Candidates for full examination, motor or steam, shall be required to appear in written papers 1, General Engineering Science (if not exempted under rule 22) and 2 Dredge knowledge. Candidates for motor examination or motor endorsement shall be required to appear in written paper 3. Motor knowledge, and candidates for steam examination or steam endorsement shall be required to appear in written paper 4, steam knowledge. All candidates shall be required to appear for the appropriate Viva Voce Examination (5).

APPENDIX 'G'

[See rule 21 (4)]

Syllabus for Dredge Engineer Grade I Examination

Time 6 Hours, Marks 100

1. Machine Drawing

- (a) Reading and interpretation of blue prints.
- (b) Production of working drawings of machine and engine parts.
- (c) Thorough knowledge of Code of Practice of General Engineering Drawing published by the Indian Standards Institution.

Time 3 Hours, Marks 100

2. Electricity

- (a) Units—Ampere, Ohm and Volt; Ohm's law; Series and parallel circuits; Current distribution in simple circuits; power and energy; Relationship between heat, mechanical and electrical units; Resistance—Effect of length, area, material and temperature. Specific resistance; Types of insulation; Application to Steering gears, resistance pyrometers, etc.
- (b) Primary and Secondary Cells, Construction and principle Maintenance; Charging; Efficiency.
- (c) Simple Magnetic theory; Magnetic field; lines of force; Field strength; field intensity; Magnetic fields due to current in straight conductors, loops, coils and solenoids Relative directions of current and field; Effect of iron Flux density; Total flux; Reluctance; Permeability; Typical B/H and U/B curves.
- (d) Faraday's and Len's laws, Magnitude and direction of induced e.m.f. Force produced on a current carrying conductor.
- (e) Terms used in electronic circuits; The atomic commission; Conduction in vacuum, gases, insulators, semi-conductors and conductors; Rectification.
- (f) Sinusoidal wave; Frequency; r.m.s. and average values of alternating current; Vector representation; Phase difference; a.c. circuit; Inductor; Inductance and its effects on circuits; Relationship between resistance, reactance and impedance; power factor.
- (g) Principles and functions of a.c. and d.c. indicating instruments of moving-coil, moving-iron and dynamometer types; shunt and series resistance to increase range; Current transformer; Potential transformer; Rectifiers and transducers.
- (h) Distribution systems for a.c. and d.c. installation; use of fuses, circuit-breakers and earth lamps.
- (i) Protection of a.c. generators, Synchronising and parallel running; Starter for s.c. motors, speed and torque; speed control.
- (j) Protection of d.c. generators, Self-excitation, Load characteristics, Voltage control, Parallel operation; Starters for d.c. motors. Speed and torque; Load Characteristics and speed control.

3. Dredge knowledge

Time 3 Hours, Marks 100

- (a) Material used in dredger construction; types of dredgers; structural strength; methods of welding; inspection and testing of welds.
- (b) Assignment of load line; stability requirements; sub-division of hull, fire protection; damage control.
- (c) Shear forces and bending moments; stresses produced by shear and bending.
- (d) Stability and trim when drydocking or grounding; effects of bilging and flooding of compartments.
- (e) Dredging contracts; rates; bidding; clauses in a contract of dredging; dredge owners liabilities and responsibilities; project formulation and execution; budget control.
- (f) Dredging in underwater construction; output, power and efficiency; Prime mover; economics of dredging.
- (g) Recent development in hydraulic dredging; reclamation dredging instrumentation; specification; investigation management; personnel.

4. Motor knowledge

Time 3 hours, Marks 100

- (a) The principles underlying the working of internal combustion engines; The differences between various types of engines; Constructional details of internal combustion engines in general use.
- (b) The nature and properties of the fuel and lubricating oils generally used in internal combustion engines; The supply of air and fuels to cylinders of engines of different types; Constructional details and working of air compressors.
- (c) The methods of constructing internal combustion engines; The processes to which the several parts are subjected or which are incidental to their manufacture, and the methods employed in fitting the machinery on board dredgers.
- (d) Starting and reversing arrangements and the various operations connected therewith.
- (e) The attention required for the operation and maintenance of the various parts of machinery; The use and management of valves, pipes, connections and safety devices employed.
- (f) Enumeration and description of defects arising from working of machinery and remedy for such defects.
- (g) Constructional details and management of auxiliary steam boilers, their fittings and mountings, with special references to water-gauges and safety valves; Constructional details and management of auxiliary machinery Draught, combustion equipment and oil fuel equipment.

5. Steam knowledge

Time 3 hours, Marks 100

- (a) The methods of constructing steam engines turbines and boilers; The processes to which the several parts are subjected; and employed in fitting the machinery on board dredgers.
- (b) The various types of propelling and dredging machinery; The functions of each important part and the attention required by the different parts of the machinery on board dredgers.
- (c) The methods of testing and altering the setting of the steam admission and exhaust valves of auxiliary machinery and the effect produced in the working of the engine by definite alterations in the setting of the valves.
- (d) The construction details and working of evaporators, feed water heaters and feed water filters.
- (e) Boilers of various modern designs; Their construction and manner of attachment of dredger.
- (f) The use and management of boiler fittings and mounting with special reference to water-gauges and Safety valves; Precautions necessary when raising steam and operating stop valves with particular reference to the danger arising from water-hammer action.
- (g) Constructional details, operation and maintenance of installations generally employed for assisting draught, superheating steam and burning fuel.

6. Viva Voce

Marks 100

The viva voce examination will be largely based upon the practical knowledge subjects of the examination and will include questions on the management of machinery and boilers, electrical machinery, prevention of fire and methods of fighting fires, the duties of the dredge engineer, the work to be done to main engines boilers and auxiliary machinery and the periodical examination of the working parts.

A knowledge of the appropriate statutory provisions is also required.

Scope of Examination

Candidates for full examination, motor or steam, shall be required to appear in paper 1, Machine Drawing, as well as written papers 2, Electricity and 3, Dredge knowledge. Candidates for motor examination or motor endorsement shall be required to appear in written paper 4, Motor knowledge and candidates for Steam examination or Steam endorsement shall be required to appear in written paper 5, Steam knowledge. All the candidates shall be required to appear for the appropriate Viva Voce Examination (6).

APPENDIX 'H'

[See Rule 24(1)]

Letter of Authority Dredge Certificate

Letter of Authority for delivery of a Dredger Certificate of Competency to an applicant who has passed the Examination.

No.

No.

Name of the applicant.....

Full name of applicant.....

Registration No.....

Examination passed..... Grade.....

Examination Passed.....

Height.....m.....cm..... Complexion.....

Grade.....

Colour of Eyes..... Hair.....

Personal Marks.....

Authority given to the above candidate to

Signature of applicant.....

2. Certificate of competency from the Marine Department..... Please deliver to the above named person on his complying with the requirements the Certificate of Competency forwarded to you by the Chief Examiner.
Signature of the.....
Examiner

Dated at.....the.....day of.....19.....

..... Examiner The Principal Officer/Surveyor-incharge Mercantile Marine Department.

SEAL

APPENDIX 'F'
[See Rule 37(1)]

SEAL
Issued by the Government
of India

APPLICATION FOR CERTIFIED COPY OF THE CERTIFICATE
OF A DREDGE DIVER OR ENGINEER

N.B. :—This form can be obtained at any Mercantile Marine Office, free of charge. When the divisions (A),(B) and (C) have been filled in according to the printed heading, the form is to be returned to the Principal Officer from whom it is received. If the information given is satisfactory the Certificate will be sent to the Mercantile Marine office named by the Applicant in Division (D) below. No remuneration or gratuity whatever, either directly or indirectly, can be received by any Officer or Servant of the Government except the fees ordered to be charged which should be paid to the Principal Officer. Any Officer or Servant of the Government accepting any present or gratuity, is liable to summary dismissal.

No. of Former Certificate
Grade of Former Certificate

(A)

NAME, ETC., OF APPLICANT

Name	Address
1	2
Date of birth	Place of birth
3	4

(B)

PARTICULARS OF LAST SERVICE

Name of last dredger	Port of registry of last dredger and official No.	Designation	Description of last employment		
			Location of dredger	Service commenced	Service ended
5	6	7	8	9	10

SOME OTHER DREDGERS IN WHICH APPLICANT HAS SERVED BEFORE AND
AFTER OBTAINING THE CERTIFICATE LOST

Name of Dredger	Port of Registry & Official No.	Designation on board	Service	
			Commenced	Ended
11	12	13	14	15

~~46~~ 46

वा. पौ. परिवहन (निष्कर्षक - चालक और
निष्कर्षक इंजीनियर परीक्षा) नियम 1982.

M.S. (Dredge Driver and Dredge
Engineer Exam.) Rules 1982



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]
No. 393]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1982/पौष 9, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1982/PAUSA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन खंड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1982

वाणिज्य पोत परिवहन

सं. 774(अ)—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 की उपधारा (3) और धारा 83 के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग—I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और शरारं (1)—इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (निकर्षक चालक और निकर्षक इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं (1)—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ग) "अनुमोदित" से मुख्य परीक्षक द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है;

(घ) "निकर्षक" से जलीय निकर्षण संक्रियाओं के लिये सज्जित स्वचालित प्लवमान जलयान अभिप्रेत है;

(ङ) "परीक्षा" से "निकर्षक चालकों" और "निकर्षक इंजीनियरों" के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिये परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षक" और "मुख्य परीक्षक" से परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "मोटर निकर्षक" से ऐसा निकर्षक अभिप्रेत है जिसको चालन शक्ति अंतरवहन इंजनों द्वारा दी जाती है;

(ज) "वाष्प निकर्षक" से ऐसा निकर्षक अभिप्रेत है जिसको चालन शक्ति प्रत्यागामी वाष्प इंजनों या वायुतरों के साथ संयोजन में वाष्प टरबाइनों द्वारा दी जाती है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।

3. परीक्षाओं की श्रेणियां (1)—परीक्षाएं इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित चार श्रेणियों में सक्षमता प्रमाणपत्र देने के लिए दी जायेंगी, अर्थात् :—

(क) निकर्षक चालक—श्रेणी II;

(ख) निकर्षक चालक—श्रेणी I;

(ग) निकर्षक इंजीनियर—श्रेणी II; और

(घ) निकर्षक इंजीनियर—श्रेणी I।

(2) निकर्षक चालकों और निकर्षक इंजीनियरों की प्रत्येक श्रेणी के लिये सक्षमता प्रमाणपत्र निम्नलिखित रूप में दिये जायेंगे, अर्थात्:—

- (i) मोटर प्रमाणपत्र, जिससे धारक किसी मोटर निकर्षक के फलक पर अपनी श्रेणी में सेवा करने का हकदार हो जाता है ;
- (ii) वाष्प प्रमाणपत्र, जिससे धारक किसी वाष्प निकर्षक के फलक पर अपनी श्रेणी में सेवा करने का हकदार हो जाता है ;
- (iii) संयुक्त मोटर और वाष्प प्रमाणपत्र जिससे धारक किसी मोटर निकर्षक या वाष्प निकर्षक से फलक पर अपनी श्रेणी में सेवा करने का हकदार हो जाता है ।

4. प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन—मोटर या वाष्प के लिये निकर्षक चालक श्रेणी II, निकर्षक चालक श्रेणी I, निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II या निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति उस प्रकार के निकर्षक में जिसके लिये उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है इन नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कार्य करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा और ऐसी पृष्ठांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले किसी व्यक्ति को संबंधित श्रेणी के लिये संयुक्त रूप से मोटर और वाष्प प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा ।

भाग II

सक्षमता प्रमाणपत्र की विभिन्न श्रेणी के लिए अर्हताएं

5. निकर्षक चालक श्रेणी II: (1) निकर्षक चालक श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

- (क) परीक्षा के लिये नियत की गई तारीख को 20 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा, और
- (ख) निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता उसके पास होगी, अर्थात्:—

- (i) निकर्षक चालक के प्रशिक्षण के लिये उपयुक्त कार्य में या निकर्षक चालक मशीनरी के विनिर्माण या अनुरक्षण या दोनों में प्रशिक्षु या फिटर के रूप में अठारह मास से अल्प अवधि की संतोषप्रद सेवा जिसके पश्चात् 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अल्प सेवा जिसमें से 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से अल्प अवधि तक जिसके दौरान निकर्षक, 240 दिन से अल्प अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था सेवा की गई है ; और
- (ii) 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में पांच वर्ष से अल्प अवधि के लिये, संतोषप्रद सेवा जिसमें से 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से अल्प अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था; अल्प सेवा की गई है; और
- (iii) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया द्वितीय श्रेणी का इंजन चालक का सक्षमता प्रमाणपत्र या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन बनाये गये विभिन्न बन्दरगाह

नौका नियमों (हाबेर क्राफ्ट रूल) के अधीन दिया गया समतुल्य प्रमाणपत्र जहां परीक्षा वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग के इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक द्वारा संचालित की जाती है जिसके पश्चात् 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से अल्प अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था अल्प अवधि तक संतोषप्रद सेवा की हो ।

(2) मोटर या पंप निकर्षक चालक श्रेणी 1 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, 375 किलोवाट से अल्प नोदन शक्ति वाले निकर्षक के, जो ऐसा निकर्षक है जिसके संबंध में उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है इंजन कक्ष या पंप कक्ष में निरन्तर छह मास तक निगरानी सेवा जिस अवधि के दौरान वह निकर्षक 120 दिन से अल्प अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा ।

6. निकर्षक चालक श्रेणी-I:—निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

- (क) परीक्षा के लिये नियत की गई तारीख को बीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा; और
- (ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता रखेगा, अर्थात्—

- (i) निकर्षक चालक श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो साल से अल्प सेवा जिसमें से 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से अल्प अवधि तक जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अल्प अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा की गई है; या
- (ii) दसवें स्तर पर माध्यमिक विद्यालय निवर्तन प्रमाणपत्र के समतुल्य अर्हता जिसके पश्चात् निकर्षक चालक के लिये उपयुक्त कार्य में अथवा निकर्षक मशीनरी के विनिर्माण में प्रशिक्षु या फिटर के रूप में दो वर्ष से अल्प अवधि की संतोषप्रद सेवा जो 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अल्प सेवा जिसमें से 375 किलोवाट या उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले ग्रीजर या समतुल्य के रूप में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में एक वर्ष से अल्प अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, अल्प अवधि की सेवा की गई है; या
- (iii) अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया प्रथम श्रेणी इंजन चालक का सक्षमता प्रमाणपत्र या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 1) के अधीन बनाये गये विभिन्न बन्दरगाह नौका नियमों (हाबेर क्राफ्ट रूल) के अधीन दिया गया समतुल्य प्रमाणपत्र जहां परीक्षा वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग के इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक द्वारा संचालित की जाती है जिसके पश्चात् 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से, जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अल्प अवधि तक निकर्षण संक्रिया में लगा था, अल्प अवधि तक सेवा की हो,

- (iv) समुद्रीगामी पोत के इंजन चालक के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 375 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने की छह मास से अन्यून की, जिसके दौरान निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा; या
- (v) भारत के किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा जिसके पश्चात् 250 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से एक वर्ष से, जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून की सेवा 375 किलोवाट या उससे अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में की गई हो।

(2) मोटर या वाष्प निकर्षक श्रेणी I का सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति 375 किलोवाट से अन्यून नोदन शक्ति वाले निकर्षक के जो ऐसा निकर्षक है जिसके संबंध में उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी सेवा, जिस अवधि के दौरान वह निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

9. निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II—(1) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

(क) परीक्षा के लिए नियत तारीख को बीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता उसके पास होगी, अर्थात् :

- (i) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1965 के अधीन आयोजित वाणिज्य नौसेना में द्वितीय श्रेणी इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा का भाग 'क' उत्तीर्ण या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी में या भारत के किसी संस्थान से विद्युत् इंजीनियरी में उपाधि जिसके पश्चात् 750 किलोवाट या उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक सेवा की हो जिसमें से 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून अवधि तक सेवा की हो जिसमें से 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में कम से कम एक वर्ष, जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा की गई हो; या

- (ii) भारत के किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा जिसके पश्चात् निकर्षक इंजीनियर के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त कार्य से प्रशिक्षु इंजीनियर के रूप में एक वर्ष से अन्यून सेवा और उसके पश्चात् 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से एक वर्ष से अन्यून अवधि की जिसके दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, सेवा की गई हो, या

- (iii) माध्यमिक विद्यालय निवर्तन प्रमाणपत्र के दसवें स्तर के समतुल्य शैक्षिक अर्हता और अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन दिया गया अन्तर्देशीय इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र या भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) के अधीन बनाए गए विभिन्न बन्दरगाह नौका नियमों (हाबेर क्राफ्ट रूलस) के अधीन दिया गया समतुल्य प्रमाणपत्र जहां परीक्षा वाणिज्य समुद्रीय विभाग के इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक द्वारा ली जाती है; जिसके पश्चात् 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजनकक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से जिसके दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून सेवा, या

- (iv) माध्यमिक विद्यालय निवर्तन प्रमाणपत्र के दसवें स्तर के समतुल्य शैक्षिक अर्हता और निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में तीन वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से 750 किलोवाट और अधिक नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखने वाले के रूप में एक वर्ष से जिस अवधि के दौरान निकर्षक 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून सेवा की गई हो।

(2) मोटर या वाष्प निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, 750 किलोवाट से अन्यून नोदन शक्ति वाले निकर्षक के, जो ऐसा निकर्षक है जिसके संबंध में उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है इंजन कक्ष या पंप कक्ष में नियमित निगरानी करने की सेवा जिस अवधि के दौरान वह निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

8. निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I—(1) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी—

(क) परीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को बीस वर्ष से कम आयु का नहीं होगा, और

(ख) उसके पास निम्नलिखित अर्हता होगी, अर्थात् :—

- (i) निकर्षक चालक श्रेणी II का सक्षमता प्रमाणपत्र जिसके पश्चात् 750 किलोवाट और उससे अधिक नोदन शक्ति वाले किसी प्रकार के स्वचालित जलयान के इंजन विभाग में दो वर्ष से अन्यून सेवा जिसमें से 750 किलोवाट के नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में निगरानी रखने वाले (इयुटी के समय की पाली) भारसाधक इंजीनियर के रूप में एक वर्ष से, जिस अवधि के दौरान निकर्षक, 240 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, अन्यून सेवा की गई हो, और

- (ii) अग्नेिशमन में प्रवीणता प्रमाणपत्र और समुद्र में प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र ;

परन्तु यह कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके पास खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र नहीं है, परीक्षा में बैठने के लिए तब अनुज्ञात किया जा सकेगा जब परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास उक्त प्रमाणपत्र ऐसे कारणों से नहीं है जो उसके नियंत्रण के परे हैं।

(2) मोटर या वाष्प निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, निगरानी रखने वाले (इयूटी के समय की पाली) भारसाधक इंजीनियर के रूप में 750 किलोवाट से अन्यून नोदन क्षमता वाले निकर्षक के जो ऐसा निकर्षक है जिस के संबंध में उसके पास प्रमाणपत्र नहीं है, इंजन कक्ष या पंप कक्ष में सेवा जिस अवधि दौरान निकर्षक, 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था, करने के पश्चात् पृष्ठांकन परीक्षा में बैठ सकेगा।

9. अर्हक सेवा :—नियम 5 से 8 के जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं, प्रयोजनों के लिए नियमों में विहित अर्हक निकर्षण सेवा से वहां जहां अभ्यर्थी मोटर प्रमाणपत्र की संबंधित श्रेणी के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए बैठना चाहता है, नोदन मशीनरी वाले निकर्षकों पर की गई सेवा और वहां जहां अभ्यर्थी वाष्प प्रमाणपत्र की संबंधित श्रेणी की सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए बैठना चाहता है वाष्प नोदन मशीनरी वाले निकर्षक पर की गई सेवा अभिप्रेत है।

10. वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1965 के अधीन जारी किए गए सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्तियों को निकर्षक इंजीनियर प्रमाणपत्र देना :—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य पोत परिवहन) (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1963 के अधीन दिया गया मोटर या वाष्प द्वितीय श्रेणी इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र है, इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि उसने विशेष प्रकार की मशीनरी और 750 किलोवाट और अधिक नोदन क्षमता वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में छह मास से अन्यून अवधि के लिए जिस अवधि के दौरान निकर्षक 120 दिन से अन्यून अवधि के लिए संक्रिया में लगा था, संतोषप्रद सेवा की है तत्संबंधी प्रकार के निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में अपने प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित करवाने का पात्र होगा। ऐसे पृष्ठांकन के लिए एक सौ पचास रुपए की फीस संदेय होगी।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना इंजीनियर परीक्षा) नियम, 1963 के अधीन दिया गया मोटर या वाष्प द्वितीय श्रेणी इंजीनियर का सक्षमता प्रमाणपत्र है इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि उसने विशेष प्रकार की मशीनरी और 750 किलोवाट नोदन शक्ति वाले निकर्षक के इंजन कक्ष या पंप कक्ष में निगरानी रखने वाले (इयूटी के समय की पाली) भारसाधक इंजीनियर के रूप में छह मास से अन्यून अवधि के लिए निकर्षण संक्रिया में लगा था सन्तोषप्रद सेवा की है निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में अपने सक्षमता प्रमाणपत्र पर तत्संबंधी प्रकार का पृष्ठांकन करवाने का पात्र होगा। और ऐसे किसी के पृष्ठांकन लिए 200 रुपए की फीस संदेय होगी।

11. भारतीय नौसेना के पोतों पर की गई सेवा :—किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय नौसेना के पोतों पर की गई सेवा का जो नियम 5 से 8 में जिनमें ये दोनों सम्मिलित हैं, विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है, मुख्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जा सकेगा और इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र की संबंधित परीक्षाओं में बैठने के लिए अर्हक सेवा मद्धे स्वीकृत की जा सकेगी। परन्तु यह कि भारतीय नौसेना के पोतों के फलक पर की गई सेवा निकर्षक के फलक पर की जाने के लिए अपेक्षित सेवा के बदले स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

भाग III

साधारण उपबन्ध

12. शंसापत्र—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी—

(i) कर्मशाला सेवा की बाबत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो नियोजक/निर्वाहकों द्वारा या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होंगे और ऐसे प्रशंसापत्र में अभ्यर्थी के आचरण और योग्यता का प्रमाण होगा और कार्य को विस्तृत विनिर्दिष्टों तथा कार्य की अवधि का भी

उल्लेख होगा जिसके दौरान अभ्यर्थी कर्मशाला की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत था।

(ii) वाणिज्य पोतों, नौसेना पोतों या निकर्षकों पर की गई सेवा की बाबत शंसापत्र, संबंधित पोत के मुख्य इंजीनियर द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उन शंसापत्रों में अभ्यर्थी की धीरता, अनुभव, योग्यता और आचरण का प्रमाणपत्र होगा तथा उसकी निगरानी रखने वाली इयूटी के रैंक का विस्तृत ब्यौरा होगा और वह अधीक्षण इंजीनियर या स्वामियों के किसी अवयव प्रतिनिधि द्वारा जो समतुल्य रैंक का हो प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा किन्तु कोई भी प्रशंसापत्र तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह मुख्य इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित और यथापूर्वोक्त स्वामियों के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रशंसापत्र परिशिष्ट 'ख' में विनिर्दिष्ट प्ररूपों में या उसके यथासंभव निकट प्ररूप में होगा।

13. सेवा का सत्यापन—(1) किसी पोत के फलक पर या निकर्षक पर की गई सेवा जो दस्तावेजों साक्ष्य से समर्थित नहीं है इन नियमों के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं की जा सकेगी।

(2) जहां कोई सेवा ऐसे पोत या जलयान पर की जाती है जो सामान्य रूप से कर्मदल के साथ करार अनुच्छेद नहीं करता है वहां ऐसी सेवा अन्य समान रूप से अधिप्रामाणित दस्तावेज द्वारा समर्थित होनी चाहिए।

(3) जब कभी उपनियम (1) या (2) में निर्दिष्ट किसी सेवा को स्वीकार किए जाने की बाबत कोई शंका हो वहां ऐसा मामला मुख्य इंजीनियर को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगा।

14. दृष्टि—प्रत्येक अभ्यर्थी वाणिज्य समुद्रीय विभाग या पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि वह वर्णांध नहीं है और चश्मे के बिना या उसके साथ उसकी दृक्शक्ति सामान्य है।

15. शारीरिक और मानसिक त्रुटियां: यदि परीक्षक यह पाता है कि अभ्यर्थी बधिर है या किसी अन्य शारीरिक या मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त है और उसका यह समाधान हो जाता है कि दुर्बलता इस सीमा तक है कि इसके कारण उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा होगी तो वह पूर्ण विनिर्दिष्टों सहित उस मामले की रिपोर्ट मुख्य परीक्षक को ऐसी कार्रवाई के लिए करेगा जो वह आवश्यक समझे।

16. सेवा की संगणना—शंसापत्रों में दशित किसी अभ्यर्थी की सेवा की संगणना कैलेंडर मासों में की जाएगी अर्थात् किसी विशेष मास में दिए और आगामी मास के पूर्ववर्ती दिन जिसमें वे दोनों दिन सम्मिलित हैं के बीच के समय के अनुसार की जाएगी। इस प्रकार अभिनिश्चित अवधि के प्रारंभ से पूर्ण मासों की संख्या की संगणना की जानी चाहिए और उसके पश्चात् शेष दिनों की संगणना की जानी चाहिए। वह दिन जिसको सेवा प्रारंभ होती है और वह दिन जिसको सेवा समाप्त होती है दोनों ही सम्मिलित किए जाने चाहिए और सभी शेष दिन एक साथ जोड़कर 30 दिन के एक मास के रूप में संगणित किए जाने चाहिए।

भाग IV

17. परीक्षा आवेदन पत्र—(1) कोई अभ्यर्थी जो इन नियमों के भाग II के उपबन्धों के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने का पात्र है, परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) निकर्षक चालक श्रेणी II या निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदनपत्र, वाणिज्य समुद्रीय विभाग कलकत्ता, विशाखापटनम्, मद्रास, तूतीकोरिन, कोच्चिन, मर्मुगाव, मुम्बई या जामनगर के पते पर भेजा जा सकेगा। निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II और निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र, वाणिज्य समुद्रीय विभाग, कलकत्ता या विशाखापटनम् के पते पर भेजा जा सकेगा। ऐसे प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ नियम 18 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज और नियम 19 में विनिर्दिष्ट फीस के मापमान के अनुसार समुचित फीस होनी चाहिए।

18. आवेदन पत्र के साथ लगाए जाने वाले दस्तावेज: (1) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, जो भी लागू हों, संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:--

- (I) राष्ट्रिकता का प्रमाणपत्र;
- (II) जन्म का प्रमाणपत्र;
- (III) कर्मशाला, वाणिज्य पोत/नौसेना पोत और निकर्षकों में की गई सेवा की श्रावत प्रशंसापत्र;
- (IV) सक्षमता का प्रमाणपत्र, यदि धारक के पास कोई हो;
- (V) दृष्टि का प्रमाणपत्र;
- (VI) समुद्र में प्राथमिक उपचार का प्रमाणपत्र; और
- (VII) अग्निशमन में प्रवीणता का प्रमाणपत्र।

(2) आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों, आवेदन पत्र में उल्लिखित सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने के लिए उसकी पात्रता का सत्यापन करने के पश्चात् अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी।

(3) राष्ट्रिकता का प्रमाणपत्र यह सिद्ध करेगा कि आवेदक भारत का नागरिक है और इस प्रयोजन के लिए जन्म का प्रमाणपत्र या देशीकरण का प्रमाणपत्र पर्याप्त समझा जा सकेगा।

19. फीस (1) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक प्रमाण पत्र के साथ उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस दी जाएगी।

सारणी

श्रेणी (क)	परीक्षा फीस (ख)
निकर्षक चालक श्रेणी II (मोटर या वाण्य)	100 रु०
निकर्षक चालक श्रेणी II (पूष्ठांकन)	50 रु०
निकर्षक चालक श्रेणी I (मोटर या वाण्य)	200 रु०
निकर्षक चालक श्रेणी I (पूष्ठांकन)	100 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II (मोटर या वाण्य)	500 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II (पूष्ठांकन)	150 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I (मोटर या वाण्य)	400 रु०
निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I (पूष्ठांकन)	200 रु०

(2) यह बात सत्यापित कराने का इच्छुक कोई अभ्यर्थी, कि क्या वह किसी विशेष श्रेणी के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है, अपने संसा-पत्र और अन्य दस्तावेज, उस वाणिज्य समुद्रीय विभाग को संबोधा के लिए प्रस्तुत कर सकेगा जिसे नियम 25 में उप श्रेणी के लिए परीक्षा केन्द्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और किसी भी श्रेणी के निकर्षक इंजीनियर के लिए परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक आवेदकों से ऐसी प्रत्येक जानकारी के लिए पचास रुपये की फीस और किसी भी श्रेणी निकर्षक चालक के लिए परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक आवेदकों से पच्चीस रुपये की फीस ली जाएगी।

20. भाषा--(1) दोनों में से किसी भी श्रेणी के निकर्षक चालक के लिए परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में संचालित की जाएगी।

(2) दोनों में से किसी भी श्रेणी के निकर्षक इंजीनियर के लिए परीक्षा केवल अंग्रेजी में संचालित की जाएगी।

21. परीक्षा की प्रकृति--(1) निकर्षक चालक श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पूष्ठांकन के लिए परीक्षा परिशिष्ट 6 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिक परीक्षा होगी।

(2) निकर्षक चालक श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पूष्ठांकन के लिए परीक्षा परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार मौखिक परीक्षा होगी।

(3) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पूष्ठांकन के लिए परीक्षा, परिशिष्ट 'ब' में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा पत्र और मौखिक परीक्षा होगी।

(4) निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र और पूष्ठांकन के लिए परीक्षा, परिशिष्ट 'छ' में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा पत्र और मौखिक परीक्षा होगी।

22. छूट--निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में बैठने वाले किसी अभ्यर्थी को नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) या उपखंड (न) की अपेक्षाओं को पूरी करता है, साधारण इंजीनियर विज्ञान प्रश्नपत्र की परीक्षा में बैठने से छूट दी जा सकेगी।

22. उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित अंक--(1) उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों से प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में पचास प्रतिशत से अभ्यून अंक प्राप्त करना और मौखिक परीक्षा में साठ प्रतिशत से अभ्यून अंक प्राप्त करना अपेक्षित है।

(2) जहां किसी अभ्यर्थी की परीक्षा केवल मौखिक परीक्षा है वहां परीक्षाफल, परीक्षक द्वारा परीक्षा के तुरंत पश्चात् घोषित कर दिया जाएगा;

(3) जहां परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों रूप में है वहां परीक्षा फल, परीक्षा समाप्त होने के दो मास के भीतर घोषित कर दी जाएगी।

24. प्रमाणपत्र (1) ऐसे अभ्यर्थी को, जो इन नियमों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है उसे परिशिष्ट 'ज' में विनिर्दिष्ट प्रथम में प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा जो अभ्यर्थी के विकल्प के वाणिज्य समुद्रीय विभाग के जिला के प्रधान अधिकारी को, उसके बदले सक्षमता प्रमाणपत्र, उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तैयार हो जाने पर पारित करने के लिए, संबोधित होगा:

परन्तु यह कि उस अभ्यर्थी की दशा में जो निकर्षक इंजीनियर श्रेणी 1 के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, प्राधिकार पत्र तब तक रोके रखा जा सकता है जब तक कि अभ्यर्थी नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के उपखंड (11) की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर देता है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकार पत्र का, जब तक कि वह मुख्य परीक्षक द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, वही प्रभाव होगा मानो वह संबंधित श्रेणी के लिए, जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जिसके लिए सक्षमता प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को जारी किया गया है, इन में से जो भी पूर्वतर हो, सक्षमता प्रमाणपत्र हो।

(3) विभिन्न श्रेणियों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र, पीत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार जारी किया जाएगा।

25 परीक्षा का स्थान और दिन—(1) (क) निकर्षक चालक श्रेणी II और श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा वाणिज्य समुद्रीय विभाग कलकत्ता, विशाखापटनम, मद्रास, तूतीकोरिन, कोचीन, मडगांव मुम्बई और जामनगर में होगी। (ख) आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों को वैयक्तिक रूप से सूचित किया जा सकेगा।

(2) निकर्षक चालक श्रेणी II और श्रेणी I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा वाणिज्य समुद्रीय विभाग कलकत्ता में मई मास में और वाणिज्य समुद्रीय विभाग, विशाखापटनम में नवम्बर मास में उन दिनों को होगी जो मुख्य इंजीनियर द्वारा अधिसूचित की जाए।

भाग V

प्रकीर्ण उपबंध

26. समय पालन—(1) ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी जिसने इन नियमों के अधीन किसी श्रेणी के सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के लिए आवेदन फाइल किया है परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने से पहले उपस्थित रहेगा।

(2) परीक्षा केन्द्र में विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थी को केवल उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर जिसमें परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में उन कारणों से विलम्ब से पहुंचा है जो उसके नियंत्रण से परे हैं, परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकेगी।

27. लेखन सामग्री—(1) उत्तरपत्र और लेखन सामग्री की अन्य मदें, पुस्तक, मेज ड्राइंग बोर्ड, टी वर्ग आदि जिनकी परीक्षा केन्द्र में अपेक्षा होती है, प्रत्येक अभ्यर्थी को दी जायेगी।

(2) (क) उपयोग न की गई लेखन सामग्री, पुस्तकें, मेज आदि परीक्षक को परीक्षा केन्द्र छोड़ने से पहले लौटा दी जाएगी और ऐसा कोई अभ्यर्थी जो लेखन सामग्री की किसी मद, पुस्तकों, मेजों आदि को नुकसान पहुंचाता है, नुकसानी की क्षतिपूर्ति का दायी होगा।

(ख) परीक्षक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को तब तक रोके रख सकता है जब तक कि अभ्यर्थी से वैसा प्रतिकर प्राप्त नहीं हो जाता है।

28. उपकरण—अभ्यर्थी, परीक्षक की पूर्ण अनुज्ञा से, प्रश्नपत्रों का उत्तर देने के लिए अपने उपकरण ला सकेगा और उसे स्लाइड नियमों का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

29. प्रश्नों के उत्तर देना—(1) कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा भवन में उसे दिए गए उत्तर पत्रों पर के सिवाय किसी अन्य पत्र पर प्रश्न हल नहीं करेगा और इस प्रयोजन के लिए ब्लॉटिंग पेपर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(2) उत्तरपत्रों पर किए गए सभी कार्य रेखा चित्रों को छोड़कर, स्याही में किया जाएगा और रेखा चित्र पेंसिल से बनाए जा सकेंगे।

(3) उत्तर उत्तरपत्रों के आर्बिट्ररी पृष्ठों पर ही लिखे जाएंगे जो साफ और सुपाठ्य होंगे और किसी प्रश्न का उत्तर प्रारम्भ करने से पहले, उत्तर पत्र के बायें पार्श्व में ऐसे प्रश्न का क्रम संख्यांक लिखा जाएगा।

30. परीक्षा के दौरान नकल करना—किसी अन्य अभ्यर्थी के उत्तरपत्रों से अन्य पुस्तक, प्रकाशन या पांडुलिपि से नकल करना या अपने

उत्तरपत्र से किसी अन्य अभ्यर्थी को नकल कराने में सहायता करना या जब परीक्षा चल रही है तब किसी अन्य अभ्यर्थी को कोई जानकारी संचूचित करना अपराध होगा और अपराधी को, बारह मास से अनधिक अवधि के लिए मुख्य परीक्षक के विवेकानुसार, परीक्षा में बैठने से विवजित किया जा सकेगा।

31. परीक्षा भवन छोड़ना—कोई भी अभ्यर्थी परीक्षक की पूर्ण अनुज्ञा के बिना, परीक्षा भवन से नहीं जाएगा और इस प्रकार आने के पूर्व वह उत्तरपत्र और उपयोग न की गई लेखन सामग्री जिसके अन्तर्गत पुस्तकें और मेज भी हैं, परीक्षक के हवाले कर देगा।

32. कपट, दुर्यपदेशन, रिश्वत आदि—(1) कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ मिथ्या व्यपदेशन करेगा या करवाएगा या ऐसा करने में सहायता करेगा, भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 182 और 420 के अधीन अभियोजित किए जाने योग्य अपराध का दोषी होगा और यदि अपराधी इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में बैठने वाला कोई अभ्यर्थी है तो वह अपने विरुद्ध नियम 36 के अधीन कार्रवाई किए जाने का भी भागी होगा।

(2) किसी ऐसे लोक सेवक को जो, इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा के संचालन या उससे संबंध विषयों से किसी प्रकार का संबंध रखता है, अवैध परितोषण देने के प्रयत्न का इन नियमों के अधीन यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अवैध है और इस अवैधता का दोषी व्यक्ति अपने विरुद्ध दंडिक कार्रवाई और नियम 36 के अनुसार अन्य कार्रवाई का भागी होगा।

33. परीक्षा के पश्चात् सेवा का अपर्याप्त पाया जाना—उस अभ्यर्थी की दशा में जिसने इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यह पाया जाता है कि उसको परीक्षा में बैठने के लिए हकदार बनाने के लिए अर्हक सेवा में कोई कमी है तो, ऐसे अभ्यर्थी को तब तक प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता, जब तक कि—

(क) उसने ऐसी अतिरिक्त सेवा करके जो आवश्यक हो, वह कमी दूर न कर दी हो; और

(ख) वह परीक्षा में पुनः नहीं बैठता है और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है।

परन्तु उपरोक्त खंड (ख) की अपेक्षाएँ किसी अभ्यर्थी के मामले में मुख्य परीक्षक के विवेकानुसार अधित्यजित की जा सकेगी।

34. परीक्षा में पुनः बैठने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएँ—कोई अभ्यर्थी जो इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ या संबंधित श्रेणी की परीक्षा में तब तक पुनः नहीं बैठेगा जब तक कि परीक्षा में उसके अंतिम प्रयत्न के पश्चात् सात कलेंडर मास व्यतीत नहीं हो गए हैं।

35. कतिपय दशाओं में परीक्षा में पुनः बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त अनुभव—जहां इन नियमों के अधीन किसी श्रेणी के सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए बैठने वाला कोई अभ्यर्थी इतना कमजोर या भ्रष्टानी पाया जाता है जिससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि यदि उसे प्रमाणिकृत अधिकारी के रूप में स्वतंत्र रूप से निगरानी रखने की अनुज्ञा दी जाती है तो उससे निकर्षक को या उस निकर्षक के फलक पर के व्यक्तियों को खतरा हो सकता है वहां ऐसे अभ्यर्थी से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुज्ञा देने से पूर्व निकर्षक के फलक पर मुख्य परीक्षक के स्व-विवेकानुसार ऐसी अवधि के लिए जो बारह मास से अनधिक होगी अतिरिक्त सेवा करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

36. अवैधता के लिए दंड—(1) जहां कोई अभ्यर्थी, परीक्षा के संबंध में किसी अवैधता का, जिसके अन्तर्गत नकल करना, किसी परीक्षक से धृष्टता करना, उच्छेदल या अनुचित व्यवहार करना भी है, दोषी पाया

जाएगा, या इन नियमों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वहां बंद नीति विनिदिष्ट किसी एक या अधिक रीतियों से दंडित किया जा सकेगा, धर्यात:—

- (क) जहां परीक्षा प्रारम्भ नहीं हुई है वहां अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने से विवर्जित किया जा सकेगा ;
- (ख) जहां परीक्षा प्रारम्भ हो गई है किंतु पूरी नहीं हुई है वहां अभ्यर्थी को परीक्षा में और आगे भाग लेने से विवर्जित कर दिया जाएगा ;
- (ग) जहां परीक्षा पूरी हो गई है किंतु परिणाम घोषित नहीं हुए हैं वहां उसका परिणाम रोका जा सकेगा ;
- (घ) जहां परीक्षा पूरी हो गई है और यह घोषणा कर दी गई है कि अभ्यर्थी उसमें उत्तीर्ण हो गया है वहां प्रमाणपत्र का जारी किया जाना उतने समय के लिए रोका जा सकेगा जो मुख्य परीक्षक द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(2) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध उपनियम (1) के अधीन कार्यवाई की जाती है, इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र की किसी परीक्षा में बैठने से उतने और समय के लिए विवर्जित किया जा सकेगा जो मुख्य परीक्षक विनिश्चित करे।

37. सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित शूट प्रतिलिपि जारी करना—

(1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र या नियम 24 के उपनियम (1) में विनिदिष्ट प्राधिकार पत्र नष्ट हो जाता या विरूपित हो जाता है या अन्यथा खो जाता है, वहां धारक मुख्य परीक्षक से उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

(2) ऐसी प्रमाणित के लिए आवेदन, प्रधान अधिकारी या किसी भी वाणिज्य समुद्रीय विभाग के भारतसाधक सर्वेक्षक के माध्यम से मुख्य परीक्षक को परिशिष्ट झ में विनिदिष्ट रूप में किया जाएगा और उसके साथ एक घोषणा होगी जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जाएगा जिसमें मूल सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र नष्ट हो गया था, विरूपित हो गया था या अन्यथा खो गया था और ऐसी घोषणा प्रधान अधिकारी, वाणिज्य समुद्रीय विभाग या उस वाणिज्य समुद्रीय विभाग के भारतसाधक सर्वेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी जिसको आवेदन, मुख्य परीक्षक को अग्रोषण के लिए दिया जाता है।

(3) सक्षमता प्रमाणपत्र या प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के आवेदन के साथ, निकर्षक चालक प्रमाणपत्र की दशा में पचास रुपए की और निकर्षक इंजीनियर प्रमाण पत्र की दशा में 100 रुपये की फीस दी जाएगी।

परिशिष्ट 'क'

[नियम 2(1) ख देखें]

2 परीक्षक

- भारत सरकार का मुख्य सर्वेक्षक जो मुख्य परीक्षक होगा।
- परीक्षा का भारतसाधक भारत सरकार का उपमुख्य सर्वेक्षक।
- प्रधान अधिकारी के रूप में प्रोन्नत उपमुख्य सर्वेक्षक।
- भारत सरकार के उपमुख्य सर्वेक्षक।
- पोत परिवहन महाविदेशालय से संबद्ध इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक और वे जो वाणिज्य समुद्रीय विभागों में हैं।

परिशिष्ट 'ख'

[नियम 12(2) देखें]

कर्मशाला में की गई सेवा के लिए प्रशंसापत्र का नमूना

इंजीनियरी संकर्मों

का नाम और पता

किए गए कार्य का प्रकार

में प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संकर्म में मेरे पर्यवेक्षण में श्री---के पुत्र श्री---द्वारा कर्मशाला में संतोषप्रद सेवा का पूर्ण और सत्य विवरण है।

कार्य का प्रकार	पदनाम	अवधि	कुल	टिप्पण
		से	तक	वर्ष मास दिन

- फिटिंग
- धातु खराद
- वायलर बनाना/
मरम्मत करना
- पेटर्न बनाना
- आकार बनाना,
मिलिंग करना आदि
- श्रीजार कक्ष
- लोहार कार्य
- वेल्ड करना
- बैधुत
-
-
-

योग

योग्यता के बारे में रिपोर्ट
आचरण के बारे में रिपोर्ट
साधारण टिप्पणियां

प्रशिक्षण के भारतसाधक अधिकारी के
हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

मुहर

द्वारा
प्रतिहस्ताक्षरित

नाम

पदनाम : महा प्रबंधक

मुहर

- पोत सेवा के लिए प्रशंसा पत्र का नमूना प्ररूप
नियोजक क, नाम और पता

में प्रमाणित करता हूँ कि एम० वी०/एस० एस०/एम टी०/एस० टी०
एम० डी०/एस० डी० के जिसकी अधिकृत सं०..... है, जो
वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम/तटवर्ती जलयान अधिनियम/अंतर्वेशीय
जलयान अधिनियम/बन्दरगाह नौका नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
और जिसमें अन्तर्वहन इंजन/वाष्प संयंत्र है, और जो किलोवाट
की कुल शक्ति की शिवाल ट्विन स्कू द्वारा निर्दिष्ट किया जाता
है, फलक पर मेरे पर्यवेक्षण के अधीन

श्री	के पुत्र श्री	द्वारा
की गई सेवा का निम्नलिखित पूर्ण और सत्य विवरण है।		
अवधि	कुल	
...से...तक	वाई० एम० एम० डी०	नौदनकेदिन रैंक टिप्पण
		वर्ष मास दिन

योग्यता के बारे में रिपोर्ट.....
 आचरण के बारे में रिपोर्ट.....
 धीरता के बारे में रिपोर्ट.....
 साधारण टिप्पण :

मुख्य इंजीनियर के हस्ताक्षर
 नाम
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर
 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
 नाम
 पदनाम : इंजीनियर अधीक्षक
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर

3. निकर्षक सेवा के लिए प्रशंसापत्र का नमूना

नियोजक का नाम और पता

में प्रमाणित करता हूँ कि एम० डी०/ए० डी० के,
 प्रकार जिसकी अधिकृत सं०

..... है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम/तटवर्ती जलयान अधिनियम/अंतरदेशीय जलयान अधिनियम/बन्दरगाह नौका नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसमें नौदन शक्ति के लिए कुल किलोवाट का अंतर्दहन इंजन/वाष्प इंजन हैं और निकर्षक पंप के लिए कुल किलोवाट है और सिंगल/ट्रिवल स्क्रू द्वारा नौदित किया जाता है, फलक पर पर्यवेक्षण के अधीन श्री द्वारा की गई सेवा का पूर्ण और सत्य विवरण है।

अवधि	कुल	निकर्षक दिन	रैंक	कर्तव्य की प्रकृति*	टिप्पण
...से...तक					
	वर्ष मास दिन	वर्ष मास दिन			

*कर्तव्य की प्रकृति—

- (क) इंजन या पंप कक्ष में ग्रीजर या समतुल्य के रूप में निगरानी रखना
 (ख) इंजन या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखना।
 (ग) इंजन या पंप कक्ष में निगरानी का भारसाधक इंजीनियर।

योग्यता के बारे में रिपोर्ट
 आचरण के बारे में रिपोर्ट
 धीरता के बारे में रिपोर्ट
 साधारण टिप्पण

मुख्य इंजीनियर के हस्ताक्षर
 नाम
 सक्षमता प्रमाणपत्र सं०
 मुहर

..... द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

नाम
 पदनाम : इंजीनियर अधीक्षक
 सक्षमता प्रमाण पत्र सं०
 मुहर

परिसिद्ध 'ग'

[नियम 17 (1) देखें]

निकर्षक चालक/इंजीनियर की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र
 पत्तन चकानुक्रम सं०

(क) आवेदक की विशिष्टियां

पूरा नाम (मोटे अक्षरों में) स्थायी डाक पता					
अंतिम	प्रथम	मध्य			
जन्म की तारीख	(जन्म प्रमाण-पत्र पेश किया जाए)	जन्म का स्थान	राष्ट्रियता		
तारीख	मास	वर्ष	स्थान	राज्य	देश

(ख) पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र

सं० मोटर वाष्प पृष्ठांकन चालक या इंजीनियर स्थान और तारीख यदि कभी निलंबित या रद्द किया गया हो तो बताएं प्राधिकारवान् तारीख न्यायालय कारण

(ग) अब अपेक्षित परीक्षा

मोटर, वाष्प, पृष्ठांकन	चालक या इंजीनियर	श्रेणी	पत्तन	मास	वाणिज्य समुद्रीय विभाग का कार्यालय जहाँ प्रमाणपत्र भेजा जाना है।
------------------------	------------------	--------	-------	-----	--

(घ) अब अपेक्षित परीक्षा के लिए पूर्ववर्ती परिणाम

पत्तन	दिन	मास	वर्ष	परिणाम
-------	-----	-----	------	--------

(ङ) शिक्षा

विद्यालय का नाम	पढ़े गए पाठ्यक्रम	उपस्थिति की अवधि	अभिप्राप्त प्रमाणपत्र
-----------------	-------------------	------------------	-----------------------

(च) कर्मशाला सेवा का विवरण

संसाधनों की सं०	कर्मशाला का नाम	कर्मशाला में किए जाने वाले कार्यों का प्रकार	आवेदक द्वारा किए गए कार्य का प्रकार	तारीख	अवधि
-----------------	-----------------	--	-------------------------------------	-------	------

योग

(छ) पोत पर सेवा की विशिष्टियां

संसाधनों की सं०	पोत का नाम	अधिकृत	मोटर	नौदल	रैंक	तारीख	अवधि
-----------------	------------	--------	------	------	------	-------	------

योग

(ज) निकर्षक सेवा की विशिष्टियां

संसाधनों की सं०	निकर्षक का नाम	अधिकृत	मोटर	नौदल	रैंक	कर्मियों की प्रकृति	तारीख
-----------------	----------------	--------	------	------	------	---------------------	-------

अवधि निकर्षण अवधि

वर्ष मास दिन वर्ष मास दिन

योग

कर्तव्य की प्रकृति :—

- (क) इंजन या पंप कक्ष में ग्राजर या समतुल्य के रूप में निगरानी रखना।
- (ख) इंजन या पंप कक्ष में नियमित निगरानी रखना।
- (ग) इंजन या पंप कक्ष में निगरानी का भारसाधक इंजीनियर।
- (घ) अभ्यर्थी की घोषणा।
- (परिक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की जाएगी)

ध्यान दें :—कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से दुर्घटना/करोना/कार-वाणो या करने में सहायता करेगा ऐसे अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन छल करने के अपराध के लिए साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अधीन लोक सेवक को जान बूझकर गलत जानकारी देने के लिए दंडित किए जाने का भागी होगा।

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रत्येक के प्रभाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ और ज में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं ; और यह कि भाग ज और ङ में वर्णित कामज पत्र जो इस प्रत्येक के साथ भेजे गए हैं सही और असली दस्तावेज हैं। ये उन्हीं व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए और हस्ताक्षरित हैं जिनके नाम उनमें हैं। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि प्रभाग च, छ और ज में के कथन में बिना किसी अपवाद के मेरी संपूर्ण सेवा का सत्य और सही लेखा है।

और मैं यह घोषणा, इसके सत्य होने के विषय में निष्ठापूर्वक विश्वास करते हुए करता हूँ। इंजीनियरों के परीक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

आवेदक का हस्ताक्षर

वर्तमान पता

स्थान

तारीख

(अ) आवेदन की प्राप्ति

उपरोक्त घोषणा झ पर मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया और
स्पष्ट की फीस मेरे द्वारा प्राप्त की गई।

इंजीनियरों के परीक्षक
वाणिज्यिक समुद्रीय विभाग
तारीख

पत्तन

(ट) परीक्षक का प्रमाणपत्र

टिप्पण—परीक्षक को प्रभाग 'ट' भरना चाहिए और आवेदन तथा-
शीघ्र मुख्य परीक्षक को भेज देना चाहिए।

यदि आवेदक उत्तीर्ण हो जाता है तो उसका पूर्वतर प्रमाणपत्र, यदि
कोई हो, संलग्न किया जाना चाहिए।

1. आवेदक का व्यक्तिगत बर्णन

- | | | |
|---|-----|--------|
| (क) लम्बाई | मी० | से०मी० |
| (ख) रंग | | |
| (ग) व्यक्तिगत चिन्ह विलक्षणताएं
यदि कोई हो | | |
| (घ) निम्नलिखित के रंग | | |
| (1) बाल | | |
| (2) आँखें | | |

2. परीक्षा की तारीख

3. परीक्षा का स्थान

4. परिणाम

- (क) लिखित प्रश्नपत्र
(ख) मौखिक परीक्षा

5. अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की दशा में

- (क) असफलता के कारण
(ख) गंभीर दुर्बलता, यदि कोई हो, का व्योरा विशेष रूप से ज्ञान
(ग) परीक्षा में बैठने के पूर्व की जाने वाली अतिरिक्त निकर्षक
सेवा

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि प्रभाग 'ट' में अंतर्विष्ट विधि-
ष्टियां सही हैं।

पत्तन

परीक्षक के हस्ताक्षर
तारीख

परिशिष्ट 'थ'

[नियम 21 (1) देखें]

निकर्षक चालक श्रेणी 2 के लिए पाठ्यक्रम

मौखिक परीक्षा

अंक 100

(क) निकर्षक का ज्ञान:

निकर्षण प्रक्रिया का विकास, निकर्षण मशीनरी चलाना;
दुटियों को पता लगाना और दूर करना; निकर्षण पंपों का
चालन, माप गेजों, निकर्षण पाइपलाइन की रीडिंग; विद्युत्-
शक्ति सकिट।

(ख) मोटर का ज्ञान:

मशीनरी के मुख्य पुर्जों, विभिन्न पुर्जों द्वारा अपेक्षित देखभाल; स्टार्ट
करना और रिवर्स करना; इंजन की ओवरहालिंग; ईंधन और स्नेहक
तेल; विस्फोट रोकने के लिए पूर्वविधानियां वायु दाब और एयर
वेसल स्टार्ट करना; खपत का प्रानकलन।

(ग) वाष्प का ज्ञान:

मशीनरी के मुख्य पुर्जे; बायलरों में वाष्प भरना; गेज सीशे को
पढ़ना, बायलर के पानी का अभिक्रियान्वयन; इंजनों की ओवरहालिंग
और सेटिंग, उद्वाष्पित और संघारित; विस्फोट रोकने के लिए पूर्वा-
विधानियां; खपत का प्रानकलन।

मोटर प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थियों से (क) और (ख) में गहन ज्ञान
अपेक्षित है और वाष्प प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थियों से (क) और (ग)
में गहन ज्ञान अपेक्षित है। प्रमाणपत्र और पृष्ठांकन के लिए अभ्यर्थियों
की (ख) या (ग) में जो लागू हो, परीक्षा ली जाएगी।

परिशिष्ट 'ड'

[नियम 21 (2) देखें]

निकर्षक चालक श्रेणी I परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

मौखिक परीक्षा

अंक 200

(क) निकर्षक का ज्ञान:

- (i) अर्ली निकर्षक, प्रथम द्रव्यचालित निकर्षक; पाइपलाइन,
निकर्षक स्पिंडल; आधुनिक निकर्षकों के प्रकार।
(ii) कटरहेड्स; हापर निकर्षक: निकर्षित सामग्री का प्रवाह।
(iii) निकर्षक पंप; प्रचालन और अनुरक्षण, आपात मरम्मत।
(iv) विद्युत् संस्वापन और सुरक्षोपाय।

(ख) मोटर का ज्ञान:

- (i) दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक वाले इंजनों का निर्माण, प्रचालन
और अनुरक्षण (प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटिड और सुपरचार्ज),
स्टार्ट करना और रिवर्स करने की व्यवस्था, सुरक्षोपाय।
(ii) एयर बेसल स्टार्ट करना और माउंट करना, वायुसपीडक
और सुरक्षोपाय।
(iii) क्रैंक केसों में विस्फोट और स्टार्टिंग एयर सिस्टम, ईंधन और
स्नेहक तेल, प्रचालन तापक और बंकरिंग।

(ग) वाष्प ज्ञान:

- (i) प्रत्यागामी वाष्प इंजन का प्रचालन और अनुरक्षण; बाल्व
लगाना स्नेहन।
(ii) बायलर; माउंटिंग; गेज सीशे बायलर जेलका अभिक्रियान्वयन
बायलर ठंडा करना।
(iii) पंप इंजन; सहयक इंजन; उद्वाष्पित संघारित फीडवाट
फिल्टर और हीटर।

मोटर प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थियों से (क) और (ख) में गहन ज्ञान
अपेक्षित है और वाष्पप्रमाणपत्र के अभ्यर्थियों से (क) और (ग)
गहन ज्ञान अपेक्षित है। पृष्ठांकन प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा
(क) या (ग) में जो लागू हो, में ली जाएगी।

परिशिष्ट "ब"

[नियम 21 (3) देखें]

निकर्षक इंजीनियर श्रेणी II परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

समय 3 घंटे

अंक—100

1. साधारण इंजीनियरी विज्ञान

- (क) मूल एकक; घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व; बलों के समांतर चतुर्भुज; बलों के त्रिभुज; सीमेंटिज और लीवर; समांतर बल; गुरुत्व केंद्र; वाष्प और वितति; वर्षण कार्य
- (ख) प्लवमान पिंडों की समावस्था; गहराई में द्रव्य दाब परिवर्तन डूबी हुई सतहों पर कुल दबाव; दाब केंद्र; पाईपों से होकर द्रव्यों का प्रवाह; आन फायर से होकर प्रवाह; बेग गुणांक; क्षेत्र का आकृष्य और निस्तरण।
- (ग) ताप का मापमान; ताप परिवर्तन के कारण प्रसार; विशिष्ट ऊष्मा; ताप स्थानांतरण; बायल और चर्लस की विधि; इंशनों क. दहन; अपेक्षित न्यूनतम वायु; केलोरी वैल्यू; प्रशीतन के सिद्धांत।

निकर्षक का ज्ञान

समय 3 घंटे

अंक—100

- (क) निकर्षक के संरचनात्मक अंग विभिन्न अंगों के नाम; जल रोधी दीवाल; पिच्छल नली; रडर; क्लिज और बैलास्ट प्रणाली
- (ख) संश्रारण रोकने की पद्धति, स्थानीय स्विचरक; निकर्षकों और उसके उपकरणों का आवधिक निरीक्षण और सर्वेक्षण; टापर ब्राज और उपस्कर।
- (ग) पाइपलाइन; लंगर और केबल; निकर्षक लंगर और स्पड्स; डेविटल डेरिकस; मुश्का उपस्कर; ड्राई डाकिंग स्टोन-आपात मरम्मत; मरम्मत सूची।
- (घ) निकर्षण उपस्कर क; अनुरक्षण, निकर्षण पंप; नियंत्रण उपस्कर; निकर्षक शीर्ष; निकर्षण ट्यूब; निकर्षक होज; गिम्बलरिंग; चूषण प्रदाय पाइप तथा वाल्व; कटर शैफ्ट और सीढ़ियां।
- (ङ) प्लवमान और तटीय पाइपलाइन; प्लवक; बाल साकेट; नमनीय होज; फ्रेम पाटून।
- (च) अपकेंद्री पंपों का सिद्धांत; निकर्षक पंपों के लक्षण; निकर्षण में जेट पंप; मनोमीटर;
- (छ) विद्युत शक्ति और सहायक मशीनरी।

3. मोटर का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) कार्यकरण के सिद्धांत, दो स्ट्रोक और चार स्ट्रोक वाले अंत-दहन इंजन क. निर्माण; प्रचालन और अनुरक्षण;
- (ख) अतिभारित और प्राकृतिक रूप से एस्पिटेड इंजन; स्टाटिंग और रिवर्सिंग व्यवस्था; गुरुक्षोप.व।
- (ग) व.यू. संपीडकों का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण; एयर बैसलों का चालन और माउंटिंगस।
- (घ) इंजन; स्नेहक तेल और जल की अपत; क्रैक केसों में विस्फोट और एयर सिस्टम स्टार्ट करना।
- (ङ) तेल वाष्प या गैस के कारण आग या विस्फोट रोकने के लिए पूर्वावधानियां; प्रज्वलन बिंदु; तेल रिसने का खतरा; बंकरिंग करते समय पूर्वावधानियां।

4. वाष्प का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

- (क) वाष्प इंजनों और बायलरों के निर्माण की रूप रेखा; प्रचालन और अनुरक्षण; वाष्प टरबाइनों के सिद्धांत।
- (ख) प्रत्यागामी इंजन में वाल्वगियर, परिवर्तन के प्रभाव; स्ने प्रणाली स्थापित करना।
- (ग) बायलरों के विभिन्न प्रकार; बायलर माउंटिंग; गेज शीशे; बायलर जल परीक्षण और अभिक्रियान्वयन; बायलरों को ठंडा करना।
- (घ) वाष्प बढ़ाना; प्रणोदित शुष्कता; कोयला और तेल जलाना; धुआं रोकना।
- (ङ) सहायक वाष्प इंजन; उद्वाष्पित्र; खाद्य जल हीटर और फिल्टर; संपनक।

5. मौखिक परीक्षा

अंक—100

परीक्षा निकर्षक के इंजन व. पंप कक्ष में निगरानी रखने वाले इंजीनियर के कार्यों के और समुचित कानूनी उपबंधों के ज्ञान क विषयों के व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होगी।

परीक्षा का विस्तार

मोटर या वाष्प की पूर्ण परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को

1. साधारण इंजीनियरी विज्ञान (यदि नियम 22 के अर्थन छूट नहीं दी गई है) और 2. निकर्षक के ज्ञान की लिखित परीक्षा के बैठना होगा। मोटर परीक्षा या मोटर पृष्ठांकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लिखित प्रश्नपत्र 3 में बैठना होगा। मोटर के ज्ञान और वाष्प परीक्षा या वाष्प पृष्ठांकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को लिखित प्रश्न पत्र 4 वाष्प का ज्ञान में बैठना होगा। सभी अभ्यर्थियों को समुचित मौखिक परीक्षा में बैठना होगा।

परिशिष्ट छ

[नियम 21 (4) देखें]

निकर्षक इंजीनियर श्रेणी I परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

1. मशीन रेखांकन

समय—6 घंटे

अंक 100

- (क) ब्लू प्रिंट का पाठन और निर्वचन
- (ख) मशीन और इंजन के पुर्जों के कार्यकरण रेखांक बनाना
- (ग) भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित साधारण इंजीनियरी रेखांकन की व्यवहार संहिता का गहन ज्ञान।

2. विद्युत

समय—3 घंटे,

अंक—100

- (क) यूनिट एम्पियर, वॉल्ट और बोल्ट, वॉल्ट को विधि; श्रृंखला और समांतर परिपथ; साधारण परिपथ में तरण वितरण; शक्ति और ऊर्जा, माप यांत्रिक और विद्युत यूनितों के बोधा संबंध; प्रतिरोध लम्बाई का प्रभाव, क्षेत्र; सामग्री और तापमान; विशिष्ट प्रतिरोध; विद्युत रोधन के प्रकार, चालन गिवरों को लागू करना; फन प्रतिरोधी पाईरोमीटर आदि।
- (ख) प्राथमिक और द्वितीय काल, निर्माण और सिद्धांत अनुरक्षण, चार्ज करना; दक्षता।

(ग) साधारण चुम्बकीय सिद्धांत; चुम्बकीय क्षेत्र; बल मार्ग; क्षेत्र प्रबलता; क्षेत्र तीव्रता सीधे संवाहकों में तरंग के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, लूप, कुंडलिया और परनातिका; तरंग और क्षेत्र की सापेक्ष दिशा; आवरण पलक्स डैसिटी का प्रभाव टोटल पलक्स; प्रतिष्ठम्भ; पारगम्यता; प्रतिष्ठी बो/एच और यू/बो कर्व।

(घ) फराडे और लेन की विधि; तरंग बहने करने वाले संवाहक पर उत्पन्न किए गए उत्प्रेरित सी० एम० एफ० बल का परिमाण और दिशा।

(ङ) इलेक्ट्रानिकी परिपथ में उपयोग किए गए; बैरिआनिक उत्सर्जन; शून्य में संवाहन: गैस रोधक; अर्धसंवाहक और संवाहक; शुद्धिकरण।

(च) ज्वाकीय तरंग आवृत्ति; आर एम एस और परिवर्ती तरंग का औसत मूल्य; सादिश निरूपण; फेज के अन्तर; ए० सी० परिपथ; विप्रेरक; विप्रेरण और उसका परिपथों पर प्रभाव; प्रतिरोध प्रतिकार्य और अवबाधिता के बीच संबंध; शक्ति गुणांक।

(छ) ए० सी० और डी० सी० सिद्धांत और कार्यकरण, गतिमान कुंडली के सूचक उपस्कर; मूविंग आवरण और शक्तिमापी टाइपस; रेंज बढ़ाने के लिए शंट और श्रृंखला प्रतिरोधी; तरंग ट्रांसफार्मर; विभव ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी और ट्रांसड्यूसर।

(ज) ए० सी० और डी० सी० संस्थापन के वितरण की प्रणाली; संस्थापन; फ्यूजों का उपयोग; परिपथ समापक और अर्थ लैंप।

(झ) ए० सी० जनित्रों की सुरक्षा; काल समीकरण और समांतर चालन; एम० सी० मोटरों के स्टार्टर; गति और टॉर्क; गति नियंत्रण।

(ञ) डी० सी० जनित्रों की सुरक्षा; स्वउद्योपन; भार-लक्षण; बोल्टेज निबंधन; समांतर प्रचालन; डी० सी० मोटरों के स्टार्टर; गति और टॉर्क, भार लक्षण और गति नियंत्रण।

3. निकर्षक का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

(क) निकर्षक निर्माण में उपयोग की गई सामग्री; निकर्षक के प्रकार; संरचनात्मक बल; ब्रेड करने की पद्धति; वेलिंग का निरीक्षण और परीक्षण।

(ख) लोड लाइन का समनुदेशन; स्थायित्व अपेक्षा; हल के उपभाग; अग्नि सुरक्षा; नुकसान नियंत्रण।

(ग) शिपर बल और बंकन आचूर्ण; शिपर और नंकर द्वारा उत्पन्न प्रतिबल।

(घ) ड्राई डाकिंग या ग्राउंडिंग करते समय स्थिरता और टिम; बिलीजिंग का प्रभाव और कक्षों का आप्लावन।

(ङ) निकर्षण संविदा; दर, बोली लगाना; निकर्षण संविदा के खंड; निकर्षक के स्वामी के दायित्व और उत्तरदायित्व; परियोजना तैयार करना और कार्यान्वयन; बजट नियंत्रण।

(च) जल के नीचे सन्निर्माणों निकर्षण उत्पाद; शक्ति और दक्षता मूल गति उत्पादक; निकर्षक की मितश्रयिता।

(छ) जलीय निकर्षण में हाल में हुए विकास; पुनरुद्धार निकर्षण उपकरण; विनिर्देश; अन्वेषण, प्रबंध; कामिक

4. मोटर का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

(क) अंतर्दहन इंजन के कार्यकरण के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के इंजनों में अन्तर; साधारण उपयोग के अंतर्दहन इंजन का संरचनात्मक व्यौर।

(ख) अंतर्दहन इंजन में साधारणतया उपयोग किए जाने वाले ईंधन और स्नेहक तेल की प्रकृति और गुणधर्म; विभिन्न प्रकार के इंजनों के सिलिंडरों में वायु और ईंधन का प्रदाय; वायु संपोड़कों के संरचनात्मक व्यौर और कार्यकरण।

(ग) अंतर्दहन इंजनों के निर्माण की पद्धति; वे प्रक्रियाएं जिनमें अनेक पुर्जों को डाला जाता है या जो उनके विनिर्माण के आनुषंगिक हैं; और निकर्षक के पालक पर उस मशीनरी को फिट करने में अपनाई गई प्रक्रिया;

(घ) स्टाविंग और प्रतिवर्ती व्यवस्था और उससे संबंध विभिन्न संक्रियाएं।

(ङ) मशीनरी के विभिन्न पुर्जों को प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सावधानी।

(च) मशीनरी के कार्यकरण से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों की संगणना और वर्णन और ऐसी त्रुटियों को दूर करने के उपाय।

(छ) सहायक वाष्प बायलरों के संरचनात्मक व्यौर और प्रबंध; जलमापी और सुरक्षा वाल्वों के प्रति विशेष निर्देश से उनको फिट करना, उनकी मार्जिटिंग; सहायक मशीनरी के संरचनात्मक व्यौर और प्रबंध वात-प्रवाह, दहन उपस्कर और तेल ईंधन उपस्कर।

वाष्प का ज्ञान

समय—3 घंटे

अंक—100

(क) वाष्प इंजन टरबाइनों और बायलरों के निर्माण की पद्धति; वे प्रक्रियाएं जिनमें विभिन्न पुर्जों को डाला जाता है; और निकर्षक के फलक पर मशीनरी को फिट करने के लिए अपनाई जाती है।

(ख) विभिन्न प्रकार के नोदन और निकर्षण मशीनरी-प्रत्येक महत्वपूर्ण पुर्जों के कार्य और निकर्षक के पालक पर मशीनरी के विभिन्न पुर्जों द्वारा अपेक्षित सावधानी।

(ग) सहायक मशीनरी के वाष्प प्रवेशन और निष्कास वाल्वों का परीक्षण करने और उनको सैटिंग को परिवर्तित करने की पद्धति तथा वाल्वों की सैटिंग में दिशित परिवर्तन करके इंजन के कार्यकरण पर उत्पन्न प्रभाव।

(घ) उद्वाष्पितों, निवेप्य जल हीटरों और निवेप्य जल फिल्टरों के सन्निर्माण के व्यौर और कार्यकरण।

(ङ) विभिन्न प्रकार के आधुनिक बायलर उनका निर्माण और निकर्षक लगाने की रीति।

(च) जल प्रमापियों और सुरक्षा वाल्वों के प्रति विशेष निर्देश के बायलर फिटिंग और मार्जिटिंग का उपयोग और प्रबंध नाटल हैमर कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले खतरों के प्रति विशेष निर्देश से वाष्प बनाते समय और सांपान वाल्व को प्रचालित करने समय आवश्यक पूर्वविधानियां।

(छ) वात-प्रवाह को सहायता, वाष्प का अतितापन और ईंधन जलाने के लिए साधारणतया लगाए जाने वाले संस्थापनों के संरचनात्मक व्यौर, प्रचालन और अनुरक्षण।

6. मौखिक परीक्षा

अंक—100

परीक्षा का विस्तार

मौखिक परीक्षा, सामान्यतः परीक्षा के विषयों के व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होगी और इसमें मशीनरी और वायलरों के प्रबंध, विद्युत्, मशीनरी, अग्नि निवारण और अग्निशमन, निकर्षक इंजीनियर के कर्तव्यों, मुख्य इंजन वायलरों और सहायक मशीनरी के संबंध में किए जाने वाले कार्य और कार्यकरण पुर्जों की कालिक परीक्षा पर प्रश्न सम्मिलित होंगे समुचित कानूनी उपबंधों का ज्ञान भी अपेक्षित है।

मोटर या स्टीम पूर्ण परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र 1. मशीन रेखांकन तथा लिखित प्रश्नपत्र, 2. विद्युत्, और 3. निकर्षक के ज्ञान में बैठने की अपेक्षा की जाएगी। मोटर परीक्षा या मोटर पृष्ठांकन के लिए अभ्यर्थियों से लिखित प्रश्नपत्र, 4. मोटर का ज्ञान और वाष्प परीक्षा या वाष्प पृष्ठांकन के लिए अभ्यर्थियों से लिखित प्रश्नपत्र, 5. वाष्प का ज्ञान में बैठने की अपेक्षा की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों से समुचित मौखिक परीक्षा, 6. में बैठने की अपेक्षा की जाएगी।

परिशिष्ट "ज"

[नियम 24(1) देखें]

प्राधिकार पत्र

निकर्षक प्रमाणपत्र

सं०.....

आवेदक का नाम.....

चक्रानुक्रम सं०.....

उत्तीर्ण की गई परीक्षा.....

श्रेणी.....

वाणिज्य समुद्रीय विभाग.....

से अपने सक्षमता का प्रमाणपत्र

प्राप्त करने के लिए उपरोक्त

अभ्यर्थी को दिया गया प्राधिकार

पत्तन.....

तारीख..... परीक्षा.....!

उस अभ्यर्थी को जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है निकर्षक सक्षमता प्रमाणपत्र के प्रदान के लिए प्राधिकार पत्र।

सं०.....

आवेदक का पूरा नाम.....

उत्तीर्ण की गई परीक्षा..... श्रेणी.....

लम्बाई..... मी०..... से०मी०..... रंग.....

आंखों का रंग..... वाल.....

व्यक्तिगत चिह्न.....

आवेदक के हस्ताक्षर

उपरोक्त व्यक्ति को अपेक्षाएं पूरी करने पर सक्षमता प्रमाणपत्र का परिदान कर दें जो मुख्य परीक्षक द्वारा आपको अभिषिक्त किया गया था।

परीक्षक के हस्ताक्षर.....
तारीख.....

प्रधान अधिकारी/भारसाधक सर्वेक्षक
वाणिज्य समुद्रीय विभाग।

मुहर

परिशिष्ट इ

[नियम 37(1) देखें]

मुहर

भारत सरकार द्वारा निकर्षक चालक या इंजीनियर के प्रमाण-पूर्ववर्ती
जारी की गई पत्र की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि के लिए प्रमाणपत्र
आवेदन-पत्र का सं०.....

पूर्ववर्ती
प्रमाणपत्र
की श्रेणी.....

ध्यान दें :—यह प्ररूप किसी भी वाणिज्य समुद्रीय कार्यालय से नि-शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। जब मुद्रित शीर्षक के अनुसार प्रभाग (क) (ख) और (ग) को भर दिया गया हो तो प्ररूप उस प्रधान अधिकारी को वापस किया जाना है जिससे प्राप्त किया गया है। यदि दी गई जानकारी संतोषप्रद है तो प्रमाणपत्र, आवेदक द्वारा नीचे प्रभाग (घ) में नामित वाणिज्य समुद्रीय विभाग को भेज दिया जाएगा। प्रमाणित किए जाने के लिए आदिष्ट फॉस को छोड़कर जो प्रधान अधिकारी को संदत्त की जानी चाहिए; कोई भी पारिश्रमिक या उपदान, प्रत्यक्ष रूप से, या अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। सरकार का ऐसा अधिकारी या सेवक जो कोई उपहार या उपदान प्राप्त करता है, संक्षिप्त रूप से पदच्युत किए जाने का भागी होगा।

(क)

आवेदक का नाम आदि

नाम	पता	जन्म की तारीख	जन्म-स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)

(ख)

अंतिम सेवा की विशिष्टियां

अंतिम निकर्षक का नाम	अंतिम नि-कर्षक का रजिष्ट्री पत्तन और अधिकृत सं०	अंतिम नि-पदनाम	अंतिम नियोजन का वर्णन	निकर्षक का अव-स्थान	सेवा का प्रारंभ	सेवा का समापन
5	6	7	8	9	10	

खोया गया प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले कुछ अन्य निकर्षक जिसमें आवेदक ने सेवा की है।

निकर्षक का नाम	रजिस्ट्री पत्तन और अधिकृत सं०	फलक पर पदनाम	सेवा कब प्रारंभ हुई	कब समाप्त हुई
11	12	13	14	15

(ग)

प्रधान अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा दी जाने वाली घोषणा ध्यान दें :— कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए दुर्व्यपदेशन करेगा या करवाएगा या करने में सहायता करेगा, नियम 32 और 36 के अधीन भारी शास्त्रियों का भागी होगा।

मैं जो का हूँ
इसके द्वारा घोषण करता हूँ कि

- (1) मेरा प्रमाणपत्र निकर्षक श्रेणी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र या और उक्त संख्यांक या तारीख थी।
- (2) उक्त प्रमाणपत्र पर नष्ट हो गया था।
- (3) इसमें और प्रभाग (क) तथा (ख) में किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार सही और सत्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष तारीख को घोषित और हस्ताक्षरित किया गया

प्रधान अधिकारी
वाणिज्य समुद्रीय विभाग
..... जिला

* यहाँ प्रमाणपत्र के खो जाने के स्थान, तारीख, घटना और कारण कथित करें।

(घ)

प्रमाणपत्र का गंतव्य स्थान
(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

मैं चाहता हूँ कि प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति, पत्तन पर जारी की जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ङ)

प्रधान अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन

सं०

मुख्य परीक्षक, पोत परिवहन महानिदेशालय, मुम्बई को अर्पित।
..... की फीस प्रभारित कर ली गई है।

ता० प्रधान अधिकारी
वाणिज्य समुद्रीय विभाग
..... जिला

(च)

मुख्य परीक्षक, पोतपरिवहन महानिदेशालय, मुम्बई द्वारा प्रमाणपत्र संलग्न हैं :

निर्देश

मुम्बई, तारीख

सेवा में,

प्रधान अधिकारी,
वाणिज्य समुद्रीय विभाग,
..... जिला

मुख्य परीक्षक

प्रमाणपत्र जारी करने के विषय में प्रधान अधिकारी का टिप्पण आज तारीख को प्रमाणपत्र जारी किया गया।

प्रधान अधिकारी
वाणिज्य समुद्रीय विभाग,
..... जिला।

[सं० एम० डब्ल्यू/5-एम०एस०आर (1)/81-एम० ए०]

अनुराग भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1982
(Merchant Shipping)

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 read with the sub-section (3) of section 78 and section 83 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

PART I—PRELIMINARY

1. Short Title and commencement—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Examination of Dredge Driver and Dredge Engineers) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions—(1) In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) 'Act' means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);
- (b) 'Appendix' means an appendix to these rules.
- (c) 'Approved' means approved by the Chief Examiner;
- (d) 'Dredger' means a self-propelled floating craft equipped for hydraulic dredging operations;
- (e) 'Examination' means the examination for the grant of certificates of competency as "Dredge Drivers" and "Dredge Engineers".
- (f) 'Examiner' and 'Chief Examiner' mean the respective persons specified in Appendix 'A';
- (g) 'motor dredger' means a dredger, propulsion power of which is provided by internal combustion engines;

(h) 'steam dredger' means a dredger, propulsion power of which is provided by reciprocating steam engines or steam turbines in conjunction with boilers.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Grades of Examinations : (1) Examinations shall be held in accordance with provisions of these rules for the grant of certificates of competency in the following four grades namely.—

- | | |
|---------------------|---------------|
| (a) Dredge Driver | Grade II; |
| (b) Dredge Driver | Grade I; |
| (c) Dredge Engineer | Grade II; and |
| (d) Dredge Engineer | Grade I. |

(2) For each grade of Dredge Drivers and Dredge Engineers, certificates of competency may be granted as follows, namely:—

- (i) Motor Certificate, entitling the holder thereof to serve in the respective grade on board any motor dredger;
- (ii) Steam Certificate, entitling the holder thereof to serve in the respective grade on board any steam dredger; and
- (iii) Combined Motor and Steam Certificate, entitling the holder thereof to serve in the respective grade on board any motor dredger or a steam dredger.

4. Endorsement of Certificates:—Any person holding as Dredge Driver Grade II, Dredge Driver Grade I, Motor Certificate or steam certificate, Dredge Engineer Grade II or Dredge Engineer Grade I, for Motor or Steam may, after serving for the prescribed period specified in these rules in the type of dredger for which he does not hold a certificate appear of endorsement examination and any person passing such endorsement examination may be granted a combined motor and steam certificate for the respective grade.

PART II

QUALIFICATIONS FOR VARIOUS GRADE OF CERTIFICATES OF COMPETENCY

5. Dredge Driver Grade -II.—(1) Every candidate appearing at the examination for certificate of Competency as Dredge Driver Grade II—

- (a) shall not be less than twenty years of age; on the date fixed for the examination and
- (b) shall possess any one of the following qualifications namely:—
 - (i) satisfactory service for a period of not less than eighteen months as apprentice or fitter on work suitable for the training of a Dredge Driver or in the manufacture or maintenance or both of dredging Driver machinery followed by service for not less than three years in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 250 KW and above, of which not less than one year as service has been performed in the capacity of a watchkeeping greaser or equivalent in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and
 - (ii) Satisfactory service for a period of not less than five years in the engine department of any type of self propelled vessel having propulsion power of 250KW and above, and of which not less than one year's service has been performed in the capacity of a watch-

keeping greaser or equivalent in the engine or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and

- (iii) Certificate of competency as Second Class Engine Driver granted under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)/or equivalent certificate granted under the various Harbour Craft Rules made under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) where the examination is considered by an Engineer and Ship Surveyor of the Mercantile Marine Department, followed by satisfactory Service for a period of not less than one year in the capacity of a watch-keeping greaser or equivalent in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days.

(2) Any person holding a Certificate of Competency as dredge Driver Grade II, Motor or steam, may, after performing six months service in keeping regular watch in the engine room or pump room of dredger having propulsion power of not less than 375 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

6. Dredge Driver Grade-I—(1) Every candidate appearing at the examination for certificate of competency as Dredge Driver Grade I—

- (a) shall not be less than twenty years of age on the date fixed for the examination; and
- (b) shall possess any one of the following qualifications namely:—

- (i) Certificate of Competency as Dredge Driver Grade II followed by satisfactory service for a period of not less than two years in the engine department on any type of self propelled vessel having propulsion power of 250 KW and above, of which not less than one year service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and
- (ii) Educational qualification equivalent secondary school leaving Certificate at Xth level followed by satisfactory service for a period of not less than two years as an apprentice or a fitter on work suitable for the training of a Dredge Driver or in the manufacture of dredging machinery further supplemented by service for a period of not less than three years in the engine department of any type of self propelled power of 250 KW and above, of which not less than one year service has been performed in the capacity of watch-keeping keeping watch as a greaser or equivalent in the engine room or pump room of dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or
- (iii) Certificate of Competency as First Class Engine Driver granted under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or an equivalent certificate granted under the various Harbour Craft Rules made under the

Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) where the examination is conducted by an Engineer and Ship Surveyor of the Mercantile Marine Department, followed by not less than one year's service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or

(iv) Certificate of Competency as Engine Driver of sea-going ship following by not less than six months service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days; or

(v) Diploma in Mechanical Engineering granted by a Board of Technical Education of a state in India followed by not less than two years service in the engine department on any type of self-propelled vessel having propulsion power of 250 KW and above, of which not less than one year's service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger room of a dredger having propulsion power of 375 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days.

(2) Any person holding a certificate of competency as Dredge Grade I, Motor or Steam, after performing service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of not less than 375 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

(7) Dredge Engineer Grade II—(1) Every candidate appearing at the examination for Certificate of competency as Dredge Engineer Grade II—

- (a) shall be not less than twenty one years of age; on the date fixed for the examination; and
- (b) shall possess any one of the following qualifications namely :—

(i) Pass in Part 'A' of the examination for Certificate of Competency as Second Class Engineer in the Merchant Navy held under the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1965 or a degree in Mechanical Engineering of a recognised University or Electrical Engineering, or Institution in India followed by not less than two years service in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 750 KW or above, of which not less than one year service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or

(ii) Diploma in Mechanical Engineering of a Board of Technical Education of any State in India followed by satisfactory service for a period of not less than one year as an apprentice engineer on work suitable for training of a dredge Engineer further supplemented by service for a period of

not less than three years in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 750 KW and above, of which not less than one year's service has been performed in keeping regular watch in the engine room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or

(iii) Educational qualification equivalent to secondary school leaving certificate at Xth level and Inland Engineer's Certificate of Competency granted under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or an equivalent certificate granted under the various Harbour craft rules made under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) where the examination is conducted by an Engineer and ship surveyor of the Mercantile Marine Department followed by not less than one year's service on keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which the period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; or

(iv) Educational qualification equivalent to Secondary School Leaving Certificate at Xth level and Certificate of Competency as Dredge Driver Grade I followed by not less than three years service in the engine department of any type of self-propelled vessel having propulsion power of 750 KW and above out of which not less than one year's service has been performed in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days.

(2) Any person holding a certificate of competency as Dredge Engineer Grade II, Motor or steam, may, after performing service in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having propulsion power of not less than 750 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

(8) Dredge Engineer Grade I—(1) Every candidate appearing at the examination for certificate of Competency as Dredge Engineer Grade I—

- (a) shall not be less than twenty three years of age on the date fixed for the examination; and
- (b) shall possess,—

(i) Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade II followed by not less two years' service in engine department of any type of self propelled vessel having propulsion power of 750 KW and above of which not less than one year's service has been performed in the capacity of Engineer-in-charge of a watch (shift of duty hours) in the engine room and pump room of a dredger having propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days; and

(ii) Certificate of proficiency in Fire Fighting and First Aid at sea Certificate.

Provided that a candidate who does not possess the certificate required under Sub-Clause (ii) of clause (a), permitted to appear for the examination if the examiner is satisfied that candidate does not possess the said certificate for reasons beyond his control.

(2) Any person holding a certificate of competency as Dredge Engineer Grade I, Motor or steam, may, after performing service as Engineer-in-charge of a watch (shift of duty hours) in the engine room and pump room of a dredger having propulsion power of not less than 750 KW, being a dredger of the type for which he does not hold the certificate, during which period the dredger was engaged in dredging operations, for not less than 120 days, appear at the endorsement examination.

9. Qualifying service—For the purposes of rules 5 to 8, both inclusive, qualifying dredger service prescribed in the respective rules shall mean service performed on dredgers having motor propelling machinery where a candidate seeks to appear for certificate of competency of the respective grade for a Motor Certificate and an dredgers having steam propelling machinery where a candidate seeks to appear for a certificate of competency of the respective grade for a Steam Certificate.

10. Grant of Dredge Engineers Certificate to Persons holding Certificate of Competency issued Under the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963. (1) Any person who holds a Certificate of Competency as Second Class Engineer, Motor or Steam, granted under the Merchant Shipping Examination of Engineers in the Merchant Navy Rules, 1963, May be eligible for endorsement of his certificate as Dredge Engineer Grade II of the respective type on producing evidence of having performed satisfactory service for not less than six months in keeping regular watch in the engine room or pump room of dredger having the particular type of machinery and propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days. For any such endorsement a fee one hundred and fifty only shall be payable.

(2) Any person who holds Certificate of Competency as Second Class Engineer, Motor or Steam granted under the Merchant Shipping Examination of Engineers in the Merchant Navy Rules, 1963 may be eligible for endorsement of his certificate as Dredge Engineer Grade I of the respective type on producing evidence of having performed satisfactory service for not less than one year in keeping regular watch in the engine room or pump room of a dredger having the particular type of machinery and propulsion power of 750 KW and above, during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 240 days and for any such endorsement a fee of rupees two hundred only shall be payable.

(3) Any person who holds a Certificate of Competency as First Class Engineer, Motor or Steam granted under the Merchant Shipping (Examination of Engineers in the Merchant Navy) Rules, 1963, may be eligible for endorsement of his Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade I of the respective type on producing evidence of having performed satisfactory service for not less than six months as Engineer in-charge of a watch (shift of duty hours) in the engine room and pump room of a dredger having the particular type of machinery and propulsion power of 750 KW and above during which period the dredger was engaged in dredging operations for not less than 120 days and for any such endorsement a fee of rupees two hundred only shall be payable.

11. Service on Indian in Naval Ships—Service performed by any person on Indian naval ships which meets the requirement of such service specified in rules 5 to 8, both inclusive, he may be assessed by the Chief Examiner and accepted towards qualification.

fyng service for appearing of the respective examinations for Certificates of Competency under these rules.

Provided that service on board Indian naval ships shall not be accepted in lieu of service required to be performed on board dredgers.

PART III

GENERAL PROVISIONS

12. Testimonials—(1) Every candidate shall produce:—

(i) Testimonials in respect of workshop service duly signed by the employer(s) or his/their authorised representatives and such testimonials shall testify as to the conduct and ability of the candidate and certain detailed particulars of work and the period for which the candidate was engaged in different branches of the workshop.

(ii) Testimonials in respect of service on merchant ships, Naval ships or dredgers duly signed by the Chief Engineer of the respective ship and such testimonials shall testify as to the sovrity, experience, ability and conduct of the candidate and contain detailed particulars as to his rank on watch-keeping duties and shall be countersigned by Engineer Superintendent or any other representative of the owners of equivalent rank, but not testimonial shall be deemed as valid unless it is signed by the Chief Engineer and countersigned by owners representative as aforesaid.

(2) Testimonials referred to in sub-rule (1) shall be in the forms specified in Appendix 'B' or as near thereto as possible.

13. Verification of Service—(1) Any service claimed to have been rendered on board a ship or dredger which is not supported by documentary evidence may not be accepted for the purpose of these rules.

(2) Where any service is rendered on a ship or vessel which does not normally open Articles of Agreement with the crew, such service should be supported by other equally authentic evidence.

(3) Whenever there is any doubt as to acceptability of any service referred to in sub-rules (1) and (2) such case may be referred to the Chief Examiner who shall decide the same.

14. Eye-sight—Every candidate shall produce a certificate granted by the Merchant Marine Department or Port Health Office certifying that he is not colour blind and he possessed normal vision with or without glasses.

15. Physical or Mental Defects—If the Examiner finds that a candidate is afflicted with deafness or with some other physical or mental infirmity and is satisfied that the degree of infirmity is such as to interfere with the proper performance of the candidate's duties, he shall report the case with full particulars to the Chief Examiner for such action as may be deemed necessary.

16. Calculation of Service—The service of any candidate as shown in the testimonials shall be reckoned by the calendar month, that is to say the time included between any given day in any month and the preceding day of the following month, both inclusive. The number of complete months from the commencement of the period, ascertained in this way, should be computed after which the number of odd days should be counted. The day on which the service commences as well as that on which it terminates should both be included and all odd days added together and reckoned at 30 days to a month.

PART—IV

17. Examinations-Applications—(1) Any candidate who is eligible for appearing of any examination for Certificate of Competency in accordance with the provisions of Part II of these rules may submit his application in the form specified in Appendix 'C'.

(2) Application for examination for certificate of Competency as dredge Driver Grade II or Dredge Driver Grade I may be addressed to the Mercantile Marine Department, Calcutta Visakhapatnam, Madras, Tuticorin, Cochin, Marmugao, Bombay, or Jamnagar. Application for examination for Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade II or Dredge Engineer Grade I may be addressed to the Mercantile Marine Department, Calcutta or Vishakapatnam. Every such application shall be accompanied by supporting documents specified in rule 18 and appropriate fees in accordance with the scale of fees specified in rule 19.

18. Documents required to accompany applications :—

(1) Every application shall be accompanied by the following documents, as applicable, namely :—

- (i) Certificate of nationality;
- (ii) Certificate of birth;
- (iii) Testimonials in respect of service rendered in workshop, merchant ships/naval ships and dredgers;
- (iv) Certificate of Competency, if any held by the applicant;
- (v) Certificate of eye-sight;
- (vi) First Aid at Sea Certificate; and
- (vii) Certificate of Proficiency in Fire Fighting.

(2) All documents received with the application shall be returned to the candidate after verifying his eligibility for appearing for the examination for Certificate of Competency mentioned in the application.

(3) Certificate of nationality shall establish that applicant is a citizen of India and Certificate of birth or certificate of naturalisation may be accepted as adequate for this purpose.

19. Fees—(1) Every application for appearing for the examination for the grades specified in column (2) of the Table set out below shall be accompanied by fees specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Grade	Examination Fee
(a)	(b)
Dredge Driver Grade II (Motor or Steam)	Rs. 100/-
Dredge Driver Grade II (Endorsement)	Rs. 50/-
Dredge Driver Grade I (Motor or Steam)	Rs. 200/-
Dredge Driver Grade I (Endorsement)	Rs. 100/-
Dredge Engineer Grade II (Motor or Steam)	Rs. 300/-
Dredge Engineer Grade II (Endorsement)	Rs. 150/-
Dredge Engineer Grade I (Motor or Steam)	Rs. 400/-
Dredge Engineer Grade I (Endorsement)	Rs. 200/-

(2) A candidate desirous of verifying whether he is eligible for appearing at the examination for any particular grade shall submit his testimonials and other documents for scrutiny to the office of the Mercantile Marine Department which has been specified as an examination centre for that grade in rule 25 and every such enquiry shall be accompanied by a fee of rupees fifty in the case of applicants aspiring for appearing at examinations for Dredge Engineers of any Grade and rupees twenty-five in the case of applicants aspiring for appearing in examination for Dredge Drivers of any Grade.

20. Language—(1) Examination for Dredge Drivers of either grade shall be conducted in both Hindi and English languages.

(2) Examinations for Dredge Engineers of either grade shall be conducted in English only.

21. Nature of Examination—(1) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Driver Grade I shall consist of viva voce examination in accordance with the syllabus specified in Appendix 'D'.

(2) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Driver Grade II shall consist of viva voce examination in accordance with the syllabus specified in Appendix 'E'.

(3) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Engineer Grade II shall consist of written papers and viva voce in accordance with syllabus specified in Appendix 'F'.

(4) Examination for Certificate of Competency and endorsement as Dredge Engineer Grade I shall consist of written papers and viva voce in accordance with the syllabus specified in Appendix 'G'.

22. Exemption—Any candidate appearing at the examination for Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade II being a candidate satisfying the requirements specified in sub-clause (b)(i) of (b) (ii) sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 7 may be exempted from appearing for the paper on 'General Engineering Science'.

23. Marks Required for Passing—(1) Candidates are required to obtain not less than fifty per cent marks in each written paper and not less than sixty per cent marks in viva voce for being declared as pass.

(2) Where examination of a candidate consists of only viva voce examination, result shall be decided by the examinee after the examination is over.

(3) Where examination consists of both written papers as well as viva voce, results shall be declared at the examination centre within two months of the completion of the examination.

24. Certificate—(1) A candidate who passes examinations for any Certificate of Competency under these rules shall be issued a letter of Authority in the form specified in Appendix 'H' addressed to the Principal Officer of any district of the Mercantile Marine Department of the choice of the candidate for delivery of Certificate of Competency in exchange thereof as and when the said certificate is ready for issue.

Provided that in the case of a candidate passing examination for the Certificate of Competency as Dredge Engineer Grade I issue of such letter of Authority may be held up until the candidate complies with requirement of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) of rule 8.

(2) The letter of Authority referred to in sub-rule (1) unless cancelled by the Chief Examiner, shall have the same effect as if it were a Certificate of Competency for the respective grade for a period of two years from the date of its issue or until such shorter time as a Certificate of Competency is issued to the candidate, whichever is earlier.

(3) Certificate of Competency for different Grades shall be issued in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Certificates of Competency) Rules, 1961.

25. **Place and Day of Examination**—(1) (a) Examination for Certificates of Competency as Dredge Drivers, Grades II and I, shall be held at the Mercantile Marine Department Calcutta, Visakhapatnam, Madras, Tuticorin Cochin, Mormugao, Bombay and Jamnagar. (b) Candidates may be individually informed of the date of examination on acceptance of the applications.

(2) Examination for Certificates of Competency as Dredge Engineers, Grades II and I, shall be held at the Mercantile Marine Department Calcutta, in the month of May of Mercantile Marine Department Visakhapatnam in the month of November on days notified by the Chief Examiner.

PART V MISCELLANEOUS PROVISIONS

26. **Punctuality** :—(1) Every candidate who has filed his application for appearing at the examination for Certificate of Competency of any Grade under these rules shall be present at the examination centre prior to the commencement of examination.

(2) A candidate arriving late at the examination centre may not be permitted to appear at the examination except under special circumstances where the examiner is satisfied that delayed arrival of the candidate at the examination centre has occurred due to reasons beyond his control.

27. **Stationery** :—(1) Answer papers and other items of stationery, books, tables, drawing boards, T-squares etc. required at the examination centre shall be supplied to every candidate.

(2) (a) Unused stationery, books, table etc., shall be returned to the examiner before leaving the examination centre and any candidate who causes damage to any item of stationery, books, tables, etc., shall be liable to compensate for such damage.

(b) The Examiner may withhold the documents submitted by the candidate until such compensation is received from the candidate.

28. **Instruments**—A candidate may, subject to prior permission of the examiner, bring in the examination hall his own instruments, for answering papers and may be permitted to use Slide Rules.

29. **Answering Questions**—(1) No candidate shall work out problems on any other paper except on answer papers supplied to him at the examination hall and the blotting papers shall not be used for this purpose.

(2) All working on answer papers except for sketches shall be in ink, and the sketches may be drawn in pencil.

(3) Answers shall be written in clear and legible manner on the allotted page of the answer paper and of at the commencement of answer to any question, serial number of such question shall be written on the left hand margin of the answer paper.

30. **Copying During Examination**—Copying from answer papers of any other candidates or from other books, publications or manuscripts or affording assistance to any other candidate for copying from his own answer paper or communicating any information to any other candidate while examination is in progress shall constitute an offence and the offender may be debarred from appearing at the examination for such period not exceeding twelve months at the discretion of the Chief Examiner.

31. **Leaving Examination Hall**—No candidate shall leave examination hall without prior permission of the examiner and before so leaving he shall hand over to the Examiner his answer paper and unused items of stationery including books and tables.

32. **Fraud, Mis-representation, Bribery etc.**—(1) Any persons who makes, causes to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself or for any other person a Certificate of Competency under these rules, shall be guilty of an offence liable for prosecution under Sections 182 and 420 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and if the offender be the candidate appearing for at any examination under these rules, he shall further be liable for action under rule 36.

(2) Any attempt at offering illegal gratification to any public servant who is in any way connected with the conduct of the examinations for Certificates of Competency under these rules or related matters, shall be construed as misconduct within the meaning of these rules and person guilty of such misconduct shall be liable for criminal proceeding and other action in accordance with rule 36.

33. **Service Found to be Insufficient After Examination**—Where in the case of a candidate who has passed any examination for a Certificate of Competency under these rules it is found that there is any deficiency in his qualifying service entitling him to appear for at the examination, such candidate may not be granted the certificate until

- (a) he has made good the deficiency in qualifying service by rendering such additional service as necessary; and
- (b) he has reappeared for and passed the examination :

Provided that the requirement of clause (b) above may be waived in the case of any candidate at the discretion of the Chief Examiner.

34. **Requirement to be Complied with by Candidates reappearing at an examination.** No candidate who had failed in any examination for a Certificate of Competency under these rules shall reappear for examination of the respective grade unless seven calendar months have elapsed since his last attempt at the examination.

35. **Further Experience for candidates reappearing at an examination in Certain cases**—Where any candidate appearing at an examination for a Certificate of Competency of any grade under these rules is found to be so weak and ignorant as to give cause for apprehension that his lack of knowledge may, if he is allowed to keep independent watch as certificated officer, endanger a dredger or lives of persons on board a dredger, such candidate may be required to perform additional service on board a dredger for such period, not exceeding twelve months at the discretion of the Chief Examiner, before he is permitted to reappear for the examination.

36. **Punishment for Misconduct**—(1) Where a candidate has been found to be guilty of any misconduct in relation to an examination including copying, insolence to any examiner or

disorderly or improper conduct in or about the hall where the examination is conducted or is guilty of contravention of any provision of these rules, he may be liable for punishment in any one or more of the ways specified below namely:—

- (a) Where the examination has not commenced, the candidate may be debarred from appearing in the examination;
- (b) Where the examination has commenced but not completed, the candidate may be debarred from taking further part in the examination.
- (c) Where the examination is completed but its result is not declared, the candidate's result may be withheld;
- (d) where the examination is completed and the candidate has been declared to have passed it, issued of certificate to the candidate may be held up for such period as may be decided by the Chief Examiner.

(2) Any candidate against whom action is taken under sub-rule (1) may be debarred from appearing at any examination for Certificate of Competency under these rules for such further period as may be decided by the Chief Examiner.

37. Issue of Certified True Copy of Certificate of Competency—

- (1) Where a Certificate of Competency issued under these rules or a Letter of Authority specified in sub-rule (1) of rule 24 is destroyed or defaced or otherwise lost, the holder may obtain a certified copy thereof from the Chief Examiner.
- (2) Application for such certified copy shall be made in the form specified in Appendix 'I' to the Chief Examiner

through the Principle Officer, or Surveyor-in-charge of any of the Mercantile Marine Departments and shall be accompanied by a declaration explaining the circumstances in which the original Certificate of Competency or the letter of Authority was destroyed, defaced or otherwise lost, and such declaration shall be made in the presence of the Principal Officer, Mercantile Marine Department or the Surveyor in Charge of the Mercantile Marine Department to whom the application is made for onward transmission to the Chief Examiner.

- (3) Every application for a certified copy of Certificate of Competency or Letter of Authority shall be accompanied by a fee of rupees fifty in the case of Certificate for Dredge Drivers and rupees one hundred in the case of Certificate for Dredger Engineers.

APPENDIX 'A'

[See Rule 2(1)(d)]

EXAMINERS

- 1. Chief Surveyor with the Government of India who shall be the Chief Examiner.
- 2. Deputy Chief Surveyor with the Government of India in charge of examination.
- 3. Deputy Chief Surveyors promoted as Principal Officer:
- 4. Deputy Chief Surveyors with the Government of India:
- 5. Engineer and Ship Surveyors attached to the Directorate General of Shipping and those in the Mercantile Marine Departments.

APPENDIX 'B'

[See Rule 12(2)]

Specimen Form of Testimonial for Workshop Service

Name and address of the Engineering Works

Types of job undertaken

I certify that the following is a full and true statement of the satisfactory workshop service performed by Shri.....son of Shri..... under my supervision at the above works.

Type of work	Designation	Period		Total			Remarks
		From	To	Y	M	D	
1. Fitting							
2. Metal Turning							
3. Boiler making/ reporting							
4. Pattern making							
5. Shaping, Milling etc.							
6. Tool room							
7. Smithy							
8. Welding							
9. Electrical							
10.							
11.							
12.							
Total							

Report
Report
General

2. Spec
Name :
e

I
son of
Officia
ACT C
single

Report
Report
Report
Gener

3. Sp
Nam

I
unde
Offic
Inlar
total
pelle

Report as to ability
 Report as to conduct
 General Remarks

Signature of the Officer-in-Charge of Training.

Name
 Designation :
 Seal

Countersigned by

Name :
 Designation : General Manager
 Seal

2. Specimen Form of Testimonial for Ship Service

Name and address of the employer

I certify that the following is a full and true statement of service performed by Shri.....
 son of Shri..... under my supervision on board MV/SS/MT/ST/MD/SD.....
 Official No. registered under the Merchant Shipping
 ACT Coasting Vessels Act/Inland Vessels Act/Harbour Craft Rules having Internal Combustion/Steam Engine, propelled by
 single twin screw of total power.....KW.

Period		Total			Propelling Days			Rank	Remarks
From	To	Y	M	D	I	M	D		

Report as to ability
 Report as to conduct
 Report as to sobriety
 General remarks

Signature of Chief Engineer

Name
 Certificate of Competency No.
 Seal

Countersigned by
 Name
 Designation : Engineer Superintendent
 Certificate of Competency No.

3. Specimen Form of Testimonial for Dredger Service

Name and address of the employer

I certify that the following is a full and true statement of service performed by Shri.....
 under the supervision on board MD/SD..... Type
 Official No. registered under the Merchant Shipping Act/Coasting Vessels Act/
 Inland Vessels Act/Harbour Craft Rules having Internal Combustion/Steam engine of.....Kw
 total for propelling power andKw total for dredge pump and pro-
 pelled by single/twin screw.

Period		Total			Dredging Days			Rank	Nature of duties*	Remarks
From	To	Y	M	D	Y	M	D			

- *Nature of duties—
- (a) Keeping watch as greaser or equivalent in the engine or pump room.
 - (b) Keeping regular watch in the engine or pump room.
 - (c) Engineer-in-charge of a watch in the engine and pump room.

Report as to ability
 Report as to conduct
 Report as to sobriety
 General Remarks

.....

Signature of the Chief Engineer
 Name
 Certificate of Competency No.
 Seal
 Countersigned by
 Name
 Designation : Engineer Superintendent
 Certificate of Competency No.
 Seal

APPENDIX 'C'

[See Rule 17(1)]

Application for Drope Duties/Engineers Examination

Port Rotation No.

(A) Particulars of Applicant

Full Name (in Block Letters) Permanent Postal Address
 Last First Middle

Date of Birth (Birth Certificate to be produced) Where Born Nationality
 Day Month Year Place State Country

(B) Previous Certificate

Number	Motor, Steam, Endorsement	Driver or Engineer	Place and Date of		If at any times suspended or cancelled, state	
			Examination	Issue	Court of authority	Date Cause

(C) Examination Now Required

Motor, Steam Endorsement	Driver or Engineer	Grade	Port	Month and Year	Mercantile Marine Department office to which certificate is to be sent

(D) Previous Results for the Examination Now Required

Port	Day	Month	Year	Results

4. Results—

- (a) Written papers
(b) Viva voce examination

5. In case of failed candidates—

- (a) Reason for failure.....
(b) Details of serious weakness in particular knowledge, if any,.....
(c) Further dredger service to be performed before appearing in the examination.....
I hereby certify that the particulars contained in Division 'K' are correct.

Port

Signature of Examiner.....

Date

APPENDIX 'D'

[See Rule 21 (i)]

Syllabus for Dredge Driver Grade II Examination:

Viva Voce Examination

Marks 100

(a) Dredge Knowledge

Development of dredging processes; Running of dredging machinery; Tracing and rectification of faults; Operation of dredging pumps; Reading of measuring gauges Dredging pipelines; Electrical power circuits.

(b) Motor knowledge

Principal parts of machinery: Attention required by the various parts; starting and reversing; overhauling of engines; Fuel and lubricating oils; Precautions against explosion; Air compressors and starting air vessels, Estimation of consumption.

(c) Steam knowledge

Principal parts of machinery: Raising of steam in boilers; Reading of gauge glass; Treatment of boiler water; overhauling and setting of engines; Evaporators and condensers; Precautions against explosion; Estimates of consumption.

Candidates for motor certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (b) and candidates for steam certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (c). Candidates for endorsement of certificate shall be examined in (b) or (c) as applicable.

APPENDIX 'E'

[See Rule 21 (2)]

Syllabus for Dredge Driver Grade I Examination

Viva Voce Examination

Marks 200

(a) Dredge knowledge

- (i) Early dredgers; first hydraulic dredger; pipeline; dredger speeds; types of modern dredgers.
(ii) Cutterheads happer dredger; flow of dredged material.
(iii) Dredge pumps; operation and maintenance; emergency repairs.
(iv) Electrical Installation and Safety devices.

(b) Motor knowledge

- (i) Construction, operation and maintenance of two stroke and four stroke engines (naturally aspirated and supercharged); starting and reversing arrangements; safety devices.
(ii) Starting air vessels and mounting; air compressors and safety devices.
(iii) Explosions in crank cases and starting air systems; fuel and lubricating oils; flash point; bunkering.

(c) Steam knowledge

- (i) Operation and maintenance of reciprocating steam engines; valve setting; lubrication.
(ii) Boilers; mountings; gauge glasses; treatment of boiler water; blowing down boilers.
(iii) Pump engines; auxiliary engines; evaporators; condensers; feed water filters and heaters.

Candidates for motor certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (b) and candidates for steam certificate shall be required to have thorough knowledge in (a) and (c). Candidates for endorsement of certificate shall be examined in (b) or (c) as applicable.

APPENDIX 'F'

[See Rule 1 (3)]

Syllabus for Dredge Engineer Grade II Examination

1. General Engineering Science

Time 5 Hours Marks 100

- (a) Fundamental units; density and specific gravity; parallelogram of forces; triangle of force; moments and levers; parallel forces; centre of gravity; steam and strain; friction work.

- (b) Equilibrium of floating bodies; variation fluid pressure with depth; total pressure on immersed surfaces; centre of pressure flow of liquid through pipes; flow through orifice; coefficients of velocity; contraction of area and discharge.
- (c) Temperature scales; expansion due to temperature change; specific heat; heat transfer; Boyle's and Charle's laws; combustion of fuels; minimum air required; calorific value; principles of refrigeration.

2. Dredge knowledge

Time 5 Hours, Marks 100

- (a) Structural members of dredger; name of various parts; watertight bulkhead; stern tube; rudder; bilge and ballast system.
- (b) Methods for preventing corrosion; local stiffening periodic inspections and surveys of dredgers hopper barged & equipments.
- (c) Pipelines anchors and cables; dredging anchors and spuds; derrick derrick; safety equipment; drydocking routines; emergency repairs; repair lists.
- (d) Maintenance of dredging equipment; dredge pumps; central equipments; dredge heads; dredging tubes; dredging hoses; gimbal rings; suction and delivery pipes and valves; cutter shafts and ladders.
- (e) Floating and shore pipelines; floaters; ball sockets; flexible hoses; frame pontoon.
- (f) Theory of centrifugal pumps; characteristics of dredge pumps; jet pumps in dredging; monometers.
- (g) Electric power and auxiliary machinery.

3. Motor knowledge

Time 3 Hours, Marks 100

- (a) Principles of working, construction, operation and maintenance of two stroke and four/interal combustion engines.
- (b) Supercharged and naturally aspirated engines; starting and reversing arrangements; safety devices.
- (c) Construction; operation and maintenance of air compressors; starting air vessels and mountings.
- (d) Fuel lubricating oil and water consumption; explosions in crank cases and starting air systems.
- (e) Precautions against fire and explosions due to oil vapour or gas; flash point; danger of oil leakage; precautions while bunkering.

4. Steam knowledge

Time 3 Hours, Marks 100

- (a) Construction features of steam engines and boilers; operation and maintenance; principles of steam turbines.
- (b) Valve gear in reciprocating engine; effects of altering setting lubricating system.
- (c) Various types of boilers; boiler mounting gauge glasses; boiler water testing and treatment; blowing down boilers.
- (d) Raising steam; forced draught; coal and oil burning; prevention of smoke.
- (e) Auxiliary steam engines; evaporators; food water heaters and filters; condensers.

5. Viva Voce

Marks 100

The examinations will be based upon practical knowledge subjects of the examination, duties of and engineer keeping watch in engine room and pump room of a dredger and knowledge of the appropriate statutory provisions.

Scope of Examination

Candidates for full examination, motor or steam, shall be required to appear in written papers 1, General Engineering Science (if not exempted under rule 22) and 2 Dredge knowledge. Candidates for motor examination or motor endorsement shall be required to appear in written paper 3. Motor knowledge, and candidates for steam examination or steam endorsement shall be required to appear in written paper 4, steam knowledge. All candidates shall be required to appear for the appropriate Viva Voce Examination (5).

APPENDIX 'G'

[See rule 21 (4)]

Syllabus for Dredge Engineer Grade I Examination

1. Machine Drawing

Time 6 Hours, Marks 100

- (a) Reading and interpretation of blue prints.
- (b) Production of working drawings of machine and engine parts.
- (c) Thorough knowledge of Code of Practice of General Engineering Drawing published by the Indian Standards Institution.

2. Electricity

Time 3 Hours, Marks 100

- (a) Units—Ampere, Ohm and Volt; Ohm's law; Series and parallel circuits; Current distribution in simple circuits; power and energy; Relationship between heat, mechanical and electrical units; Resistance—Effect of length, area, material and temperature. Specific resistance; Types of insulation; Application to Steering gears, resistance pyrometers, etc.
- (b) Primary and Secondary Cells, Construction and principle Maintenance; Charging; Efficiency.
- (c) Simple Magnetic theory; Magnetic field; lines of force; Field strength; field intensity; Magnetic fields due to current in straight conductors, loops, coils and solenoids Relative directions of current and field; Effect of iron Flux density; Total flux; Reluctance; Permeability; Typical B/H and U/B curves.
- (d) Faraday's and Len's laws, Magnitude and direction of induced e.m.f. Force produced on a current carrying conductor.
- (e) Terms used in electronic circuits; Thermionic commission; Conduction in vacuum, gases, insulators, semi-conductors and conductors; Rectification.
- (f) Sinusoidal wave; Frequency; r.m.s. and average values of alternating current; Vector representation; Phase difference; a.c. circuit; Inductor; Inductance and its effects on circuits; Relationship between resistance, reactance and impedance; power factor.
- (g) Principles and functions of a.c. and d.c. indicating instruments of moving-coil, moving-iron and dynamometer types; shunt and series resistance to increase range; Current transformer; Potential transformer; Rectifiers and transducers.
- (h) Distribution systems for a.c. and d.c. installation; use of fuses, circuit-breakers and earth lamps.
- (i) Protection of a.c. generators, Synchronising and parallel running; Starter for s.c. meters, speed and torque; speed control.
- (j) Protection of d.c. generators, Self-excitation, Load characteristics, Voltage control, Parallel operation; Starters for d.c. motors, Speed and torque; Load Characteristics and speed control.

II—
Dredge
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
4. Motor
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
5. Steam
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
6. Viva
The
tions on t
the dredg
parts.
A k
Candi
2. Electric
paper 4, P
5. Steam
Letter of
Name c
Rotation
Examinat
Grade...
Aut

Dredge knowledge

Time 3 Hours, Marks 100

- (a) Material used in dredge construction; types of dredgers; structural strength; methods of welding; inspection and testing of welds.
- (b) Assignment of load line; stability requirements; sub-division of hull, fire protection; damage control.
- (c) Shear forces and bending moments; stresses produced by shear and bending.
- (d) Stability and trim when drydocking or grounding; effects of bilging and flooding of compartments.
- (e) Dredging contracts; rates; bidding; clauses in a contract of dredging; dredge owners liabilities and responsibilities; project formulation and execution; budget control.
- (f) Dredging in underwater construction; output, power and efficiency; Prime mover; economics of dredging.
- (g) Recent development in hydraulic dredging; reclamation dredging instrumentation; specification; investigation management; personnel.

4. Moto: knowledge

Time 3 hours, Marks 100

- (a) The principles underlying the working of internal combustion engines; The differences between various types of engines; Constructional details of internal combustion engines in general use.
- (b) The nature and properties of the fuel and lubricating oils generally used in internal combustion engines; The supply of air and fuels to cylinders of engines of different types; Constructional details and working of air compressors.
- (c) The methods of constructing internal combustion engines; The processes to which the several parts are submitted or which are incidental to their manufacture, and the methods employed in fitting the machinery on board dredgers.
- (d) Starting and reversing arrangements and the various operations connected therewith.
- (e) The attention required for the operation and maintenance of the various parts of machinery; The use and management of valves, pipes, connections and safety devices employed.
- (f) Enumeration and description of defects arising from working of machinery and remedy for such defects.
- (g) Constructional details and management of auxiliary steam boilers, their fittings and mountings, with special references to water-gauges and safety valves; Constructional details and management of auxiliary machinery Draught, combustion equipment and oil fuel equipment.

5. Steam knowledge

Time 3 hours, Marks 100

- (a) The methods of constructing steam engines turbines and boilers; The processes to which the several parts are subjected; and employed in fitting the machinery on board dredgers.
- (b) The various types of propelling and dredging machinery; The functions of each important part and the attention required by the different parts of the machinery on board dredgers.
- (c) The methods of testing and altering the setting of the steam admission and exhaust valves of auxiliary machinery and the effect produced in the working of the engine by definite alterations in the setting of the valves.
- (d) The construction details and working of evaporators, feed water heaters and feed water filters.
- (e) Boilers of various modern designs; Their construction and manner of attachment of dredger.
- (f) The use and management of boiler fittings and mounting with special reference to water-gauges and Safety valves; Precautions necessary when raising steam and operating stop valves with particular reference to the danger arising from water-hammer action.
- (g) Constructional details, operation and maintenance of installations generally employed for assisting draught, superheating steam and burning fuel.

6. Viva Voce

Marks 100³

The viva voce examination will be largely based upon the practical knowledge subjects of the examination and will include questions on the management of machinery and boilers, electrical machinery, prevention of fire and methods of fighting fires, the duties of the dredge engineer, the work to be done to main engines boilers and auxiliary machinery and the periodical examination of the working parts.

A knowledge of the appropriate statutory provisions is also required.

Scope of Examination

Candidates for full examination, motor or steam, shall be required to appear in paper 1, Machine Drawing, as well as written papers 2, Electricity and 3, Dredge knowledge. Candidates for motor examination or motor endorsement shall be required to appear in written paper 4, Motor knowledge and candidates for Steam examination or Steam endorsement shall be required to appear in written paper 5, Steam knowledge. All the candidates shall be required to appear for the appropriate Viva Voce Examination (6).

APPENDIX 'H'

[See Rule 24(1)]

Letter of Authority Dredge Certificate

Letter of Authority for delivery of a Dredger Certificate of Competency to an applicant who has passed the Examination.

No.

No.

Name of the applicant.....

Full name of applicant.....

Rotation No.....

Examination passed..... Grade.....

Examination Passed.....

Height.....m.....cm.....Complexion.....

Grade.....

Colour of Eyes.....Hair.....

Personal Marks.....

Authority given to the above candidate to

Signature of applicant.....

obtain his certificate of competency from the Mercantile Marine Department. Please deliver to the above named person on his complying with the requirements the Certificate of Competency forwarded to you by the Chief Examiner.

Signature of the Examiner

Port Dated at the day of 19

Date Examiner The Principal Officer/Surveyor-incharge Mercantile Marine Department.

SEAL

APPENDIX 'I'
[See Rule 37(1)]

SEAL
Issued by the Government
of India

APPLICATION FOR CERTIFIED COPY OF THE CERTIFICATE
OF A DREDGE DIVER OR ENGINEER

N.B. :—This form can be obtained at any Mercantile Marine Office, free of charge. When the divisions (A),(B) and (C) have been filled in according to the printed heading, the form is to be returned to the Principal Officer from whom it is received. If the information given is satisfactory the Certificate will be sent to the Mercantile Marine office named by the Applicant in Division (D) below. No remuneration or gratuity whatever, either directly or indirectly, can be received by any Officer or Servant of the Government except the fees ordered to be charged which should be paid to the Principal Officer. Any Officer or Servant of the Government accepting any present or gratuity, is liable to summary dismissal.

No. of Former Certificate
Grade of Former Certificate

(A)

NAME, ETC., OF APPLICANT

Name 1	Address 2

Date of birth 3	Place of birth 4

(B)

PARTICULARS OF LAST SERVICE

Name of last dredger 5	Port of registry of last dredger and official No. 6	Designation 7	Description of last employment		
			Location of dredger 8	Service commenced 9	Service ended 10

SOME OTHER DREDGERS IN WHICH APPLICANT HAS SERVED BEFORE AND AFTER OBTAINING THE CERTIFICATE LOST

Name of Dredger 11	Port of Registry & Official No. 12	Designation on board 13	Service	
			Commenced 14	Ended 15

(C)

DECLARATION TO BE MADE BY APPLICANT BEFORE A PRINCIPAL OFFICER

CAUTION :—Any person who makes or procures to be made, or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself or for any other person a Certificate of Competency render himself liable to heavy penalties under rules 32 and 36.

I of
do hereby declare,

- (1) That my certificate was a Certificate of Competency as Dredger Grade and it was numbered Dated
- (2) The said Certificate was destroyed at*
- (3) That the Statements made herein and in Divisions (A) and (B) above are correct and true to the best of my knowledge and belief.

Applicant Signature

Declared and subscribed at this
day 19 before me.

Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
..... District.

*Here state the place, date, occasion and cause of the loss of the Certificate.

(D)

DESTINATION OF CERTIFICATE

(To be filled up by applicant)

I wish the certified copy of Certificate to be issued at the Port of

Applicant's Signature

(E)

ENDORSEMENT BY THE PRINCIPAL OFFICER

No.
Forwarded to the Chief Examiner, Directorate General of Shipping, Bombay. A fee of Rs. has been charged.

Dated
the

Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
..... District.

(F)

DIRECTION BY THE CHIEF EXAMINER, DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, BOMBAY

The Certificate is enclosed.

Dated, Bombay, the day of 19

To
The Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
..... District.

Chief Examiner


(G)

PRINCIPAL OFFICER'S NOTE OF ISSUE OF CERTIFICATE

Certificate issued this day of 19

Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
..... District.

[No. SW/5-MSR(1)/81-MA]
A. BHATNAGAR, Under Secy.



(for Ministries/Departments only)

Not applicable

- (i) Whether the Hindi Advisory Committee has been constituted as per the guidelines* issued by the Department of Official Language?
- (ii) If so, the date of its constitution.
- (iii) Dates of its meetings held during the last one year.
- (1) In the quarter of January to March
.....
- (2) In the quarter of April to June
- (3) In the quarter of July to September
.....
- (4) In the quarter of October to December
.....
- Not applicable**
- (iv) If the meetings of the Committee are not being held regularly, give details of the steps taken in this regard to convene the meetings regularly in future.
Not applicable
- (v) Have the decisions of the Central Hindi Committee been discussed in the meetings of this Committee for compliance? If so, give details of the action taken on these decisions
(Please attach a separate sheet)
Not applicable
- (vi) Other decisions taken in the meeting of Hindi Advisory Committee and the action taken thereon(Please attach separate sheet)
Not applicable
- (vii) If the Hindi Advisory Committee has not been constituted/reconstituted, give the reasons thereof.
Not applicable